18/X/73

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ — १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... — १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ — १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... — १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ — १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ — २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ — २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका — २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ — २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ — २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ — २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... — २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ — ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ — ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८	३३३–५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ...	३५३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ ...	३६५–८४
दैनिक संक्षेपिका	३८५–८८
अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६	३८९–४१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७	४१०–२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५	४२०–३८
दैनिक संक्षेपिका	४३९–४२
अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६	३४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९	४६५–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ...	४८३–९६
दैनिक संक्षेपिका	४९७–५००
अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६	५०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७	५२३–४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६	५४१–६४
तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि	५६४
दैनिक संक्षेपिका	५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५६, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५६ से ५८८ और ५६० से ५६६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२६, ८३४, ८३६, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१६, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४६ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३६

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८६०, ८६२, ८६६, ६०३, ६०४, ६०६, ६०७ और ६१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७६, ८८३, ८८४, ८८६, ८६१, ८६३, ८६४, ८६७ से ६०२, ६०५, ६०८ से ६१४ और ६१६ से ६२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ७१५ ... ८७८–६४

दैनिक संक्षेपिका ८६५–६८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६३०, ६३३ से ६३८, ६४२, ६४५, ६४६, ६५७, ६४७, ६४६, ६५०, ६५२ और ६६३ ८६६–६२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ६२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४८, ६५१, ६५३ से ६५६, ६५८ से ६६२ और ६६४ से ६६६ ६२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ६३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ६४६–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला खनन मशीनें

†*९२७. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ लाख रुपये के वह संयंत्र और मशीनें, जिनके लिये मास्को की फ़र्म मैसर्स मैकिनी एक्सपोर्ट को आर्डर दिया गया था, प्राप्त हो चुकी हैं; और

(ख) क्या कोयला खनन मशीनों के लिये कोई और आर्डर दिये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां; कुछ सामान (उपसाधनों) को छोड़ कर, जो सोवियत संघ रूस से मंगवाया गया है और भारत आ रहा है।

(ख) जी, नहीं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : जिन मशीनों के लिये आर्डर दिया गया है वह किस प्रकार की हैं और किस कार्य के लिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वे कोयले की खोज के लिये हैं, और वे सुराख करने की मशीनें हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या यह मशीनें कोरबा कोयला क्षेत्रों में काम में लाई जायेंगी या यह नाईवेली लिगनाइट खानों के लिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह ठीक-ठीक ब्यौरा नहीं दे सकता, कि इस मशीनरी का कहां उपयोग किया जायेगा। किन्तु, जसा मैंने कहा, कोयला खोदने के लिये इसका उपयोग किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में।

तेल शोधक कारखाना

+

†*९२८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कजरोलकर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तेल समवाय द्वारा स्थापित किये जाने वाले पांचवें तेल शोधक कारखाने के स्थान का निर्णय करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान की सिफारिश की गई है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चूंकि इस समिति में मंत्रालय के कुछ प्रतिनिधि थे इसलिये क्या अग्रेतर परीक्षण की आवश्यकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रतिवेदन प्राय: अन्तिम है, और बहुत शीघ्र ही सरकार को दे दिया जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : चूंकि अधिकतर अशोधित तेल आसाम आयल कम्पनी द्वारा आसाम राज्य में ही निकाला जाता है, फिर इतनी अधिक देर तक इस विवाद को देश में क्यों चलने दिया गया है और क्यों तेल शोधक कारखानों के आसाम में ही स्थापित किये जाने का निर्णय नहीं किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैं ने कहा, समिति समूचे प्रश्न पर विचार कर रही है, और प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है ।

†**श्री दवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या यह सच है कि आसाम में जो नया तेल पाया गया है उस के लिये तेल शोधक कारखाने के स्थान का प्रश्न आसाम आयल कम्पनी के इस आग्रह पर ही, कि आसाम में तेल शोधक कारखाना प्रविधिक दृष्टि से अनुपयुक्त और आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होगा, विशेषज्ञ समिति को सौंपना पड़ा था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : क्या सरकार का ध्यान हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रतिवेदनों की ओर आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार की इन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किस प्रकार के प्रतिवेदन ?

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : हाल ही में कुछ समाचार पत्र, संभवत:, निहित स्वार्थ वालों से प्रेरित होकर यह प्रचार कर रहे हैं कि आसाम में तेल शोधक कारखाना उचित नहीं है और वह एक अलाभदायक

†मूल अंग्रेजी में ।

संस्थापन होगा। क्या इस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, और यदि हां, तो इस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार इस विषय में तब तक कोई निर्णय नहीं कर सकती, जब तक कि विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दिया जाये।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : मेरा प्रश्न भिन्न था।

†**अध्यक्ष महोदय** : विशेषज्ञ समिति इस पर ध्यान देगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : आज कल एक प्रवृति बढ़ रही है कि सरकारी कर्मचारी दिल्ली, कलकत्ता मद्रास आदि बड़े शहरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या सरकार इसका अनुभव करती है, और यदि हां, तो क्या वह इस प्रवृति को रोकने का प्रयत्न करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उस मामले पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : इसे कलकत्ता में ले जाया जा रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यही तो समस्या की जड़ है। सभी बड़े समवाय बड़े शहरों में हैं। दामोदर घाटी निगम या कोयला आयुक्त का कार्यालय तथा कोयला खानें बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, किन्तु पदाधिकारी और निगम के सभापति तक बड़े राजधानी नगरों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न होता है क्योंकि यही समस्या की जड़ है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : आसाम की जनता द्वारा व्यक्त की गई अत्यन्त बलवती भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार समिति के प्रतिवेदन के परीक्षण में शीघ्रता करने का विचार करती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : यदि यह पाया गया कि आसाम में तेल शोधक कारखाना प्रविधिक दृष्टि से ठीक और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है तो क्या सरकार तल शोधक कारखाना आसाम में स्थापित करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कल्पना पर आधारित प्रश्न है। माननीय मंत्री इसका उत्तर न दें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह परीक्षणाधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त ह। सरकार उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

†**श्री क० प्र० त्रिपाठी**: क्या यह सच है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, और कहा गया है कि आसाम में स्थापित किये जाने से प्रति गैलन ७ आने लाभ होगा, और प्रविधिक दृष्टि से यह प्रस्थापना पूर्णत: ठीक रहेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सरकार इसे प्रकाशित करने का विचार करती है ? मंत्रालय द्वारा परीक्षण किये जाने की प्रतीक्षा क्यों की जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार द्वारा प्रतिवेदन का परीक्षण किये जाने के बाद ही इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नागा

+
†*६२९. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को, जो नागाओं द्वारा मारे गये हैं कितना प्रतिकर दिया गया है ; और

(ख) देशभक्त नागाओं के पुनर्वास में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) आसाम सरकार ने ३३,६८० रुपये की धन राशि दी है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३३]**

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी मारे गये हैं उन के कितने परिवारों को प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री दातार** : मारे गये लोगों के आठ परिवारों को प्रतिकर दिया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या हाल के महीनों में विद्रोहियों द्वारा देश भक्त नागाओं को डराने और यातना पहुंचाने के संगठित प्रयत्न किय गये हैं ?

†**श्री दातार**: सरकार ऐसे संगठित प्रयत्नों का सामना करने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : ऐसे कितने प्रतिशत देशभक्त नागाओं को अभी तक नहीं बसाया गया है जो अपने घरों को छोड़ कर भाग गये हैं ? विवरण में यह नहीं बताया गया है ।

†**श्री दातार** : बहुत कम प्रतिशत नागा अभी अपने घरों को वापस नहीं आये हैं ।

नेपाल की पंचवर्षीय योजना

+
†*६३०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल की पंचवर्षीय योजना की प्रति मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) भारत द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी गई है; और

(घ) क्या वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कोई प्रविधिक सहायता भी दी जा रही है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) नेपाल की पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाने, रोज़गार दिलाने, जीवन स्तर को ऊंचा करने और जनता के सामान्य कल्याण के लिये लगभग ३३ करोड़ रुपये के व्यय की कल्पना की गई है। इस व्यय का लगभग एक तिहाई परिवहन तथा संचार के विकास के लिये होगा और इतना ही व्यय ग्राम विकास परियोजनाओं पर किया जायेगा। इस धन राशि का पांचवां भाग विद्युत् योजनाओं तथा उद्योग और वाणिज्य के लिये है। शेष धन राशि, स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिये है।

(ग) मार्च १९५६ के अन्त तक कोई ४·२ करोड़ रुपये। योजना के लिये १० करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिये सहमति दे दी गई है।

(घ) हां, श्रीमान्।

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी हाल में नेपाल के प्रधान मंत्री हमारे देश की राजधानी में थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय ने उन से इस बारे में कोई परामर्श किया है और उस के फलस्वरूप क्या नेपाल की पंचवर्षीय योजना में कुछ और सहायता देने का निश्चय किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी नहीं, श्रीमान्। मैं ने परामर्श नहीं किया।

†**श्री भक्त दर्शन** : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। श्रीमान्, अखबारों में निकला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर में बातें हुईं और ज्यादातर बातें नेपाल की डेवेलपमेंट स्कीम्स (विकास योजनाओं) के बारे में हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है और क्या इसके फलस्वरूप नेपाल की स्कीम को बढ़ाने के बारे में विचार किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे विश्वास है कि उन में कई वार्ताएं हुई थीं। इस विषय में मुझे अपने प्रधान मंत्री से कोई जानकारी नहीं मिली है, परन्तु मेरा अनुमान है कि उनकी वार्ताओं में इन विकास परियोजनाओं पर अवश्य चर्चा की गई होगी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या नेपाल की प्रथम पंचवर्षीय योजना की इन परियोजनाओं में से किसी को भी भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दी जाने को है, यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी कुल लागत क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास जो जानकारी है उस में इस का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य निश्चित जानकारी चाहते हैं तो वे एक प्रश्न की सूचना दें।

†**श्री चं० द० पांडे** : भारत के अतिरिक्त, नेपाल ने चीन जैसे अन्य देशों को भी प्रार्थना की है। क्या और कोई ऐसे देश हैं जिन से ऐसी सहायता की प्रार्थना की गई है और क्या ऐसी प्रार्थनाओं में कोई राजनैतिक महत्व अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक नेपाल द्वारा अन्य देशों से प्रार्थना किये जाने की जानकारी हमारे पास हो सकती है, मैं समझता हूं कि मुझे माननीय सदस्य से अधिक जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि नेपाल के प्रधान मंत्री चीन गये थे और यदि उन्हें किसी सहायता का वचन दिया गया हो यह एक संभावना मात्र है। और अन्य देशों की भी अभिरूचि नेपाल में है क्योंकि नेपाल कोलम्बो योजना क अन्तर्गत आता है।

राजनैतिक महत्व के सम्बन्ध में मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है कि मैं प्रश्न का उत्तर दे सकूं, यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी बताया गया कि नेपाल को एक तो भारत सरकार सहायता दे रही है और उधर चीन की सरकार सहायता दे रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भी सहाया दे रही है । क्या इन सहायताओं के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि आपस में ओवरलेपिंग (अतिछादित) न हो ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जब विभिन्न देशों से सहायता प्राप्त होती है तो सहायता लेने वाले को ही उनका सामंजस्य करना चाहिये ।

विदेशों को ऋण

†*९३३. { **श्री राम कृष्ण** +:
श्री बंसल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों को, देशवार, ऋण और अनुदान के रूप में अब तक दी गई वास्तविक धन राशि क्या है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, तीन लाख रुपये और ७५,००० रुपये क दो ऋण इंडोनेशिया को दिये गये हैं । नेपाल को लगभग कुल ४·०५ करोड़ रुपये की राशि के अनुदान दिये गये हैं, और इसी प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के आय व्ययक में १·४५ करोड़ रुपये का उपबन्ध है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इंडोनेशिया को कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने बताया कि तीन लाख रुपये और ७५,००० रुपये के दो ऋण दिये गये हैं । कुल धन राशि ३,७५,००० रुपये है ।

†**श्री बंसल** : क्या ब्रह्मा की सरकार को कोई ऋण या अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हां, श्रीमान् । हमने २० करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया था परन्तू हम ने जिस कालावधि में ऋण देने की बात कही थी उस में उसन उक्त धन राशि का उपयोग नहीं किया । अब उसी करार को दोहराया जा रहा है ।

नौसैनिक अभ्यास

†*९३४. { **श्री दी० चं० शर्मा** +:
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के अन्तिम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में नौसैनिक अभ्यासों में किन-किन देशों ने भाग लिया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : भारत, इंगलैण्ड, आस्ट्रेलिया, लंका और पाकिस्तान ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हम उन देशों के साथ, जो राष्ट्र मंडल में नहीं हैं, अन्योन्यता के आधार पर व्यावहार करते हैं, और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : आदान प्रदान के प्रबन्ध से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है, मैं नहीं समझ सका । यह तो सर्व विदित है कि भारत के सम्बन्ध संसार के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा अभिप्राय: उन देशों से है जिन का उल्लेख माननीय मंत्री ने नहीं किया है, और यदि हां, तो उन में से कितने देश इस विषय में अन्योन्यता का व्यवहार करते हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी नौ सेना ने अन्य देशों की नौ सेनाओं के साथ अभ्यासों में भाग लिया है, तो गत वर्ष नहीं वरन् उस से पूर्व के वर्षों में हम दूसरे देशों में गये थे और उनकी नौ सेनाओं के साथ अभ्यास में भाग लिया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं उत्तर को सुन नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में हम ने अन्य देशों के साथ अभ्यास में भाग लिया है।

†**सरदार मजीठिया** : प्रतिवर्ष हमारी नौ सेना अभ्यास के लिये जाती है और यह अभ्यास संसार की अन्य नौ सेनाओं के सहयोग से किये जाते हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हाउस आफ कांमन्स में श्रम दल के एक सदस्य विशेष ने यह बताया था कि आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण के फलस्वरूप, गूढ़लेख तथा संकेत अमरीका द्वारा जान लिये गये थे। क्या इस का कुछ प्रभाव पड़ा और यदि हां, तो इन गूढ़ लेखों और संकेतों के पकड़े जाने के कारण इन अभ्यासों में भाग लेने वाले हमारे जहाज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**सरदार मजीठिया** : यह तो अभी हाल ही में हुआ है और उस समय हमारा कोई जहाज़ वहां नहीं था। अतएव प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र

†*९३५. **श्री बंसल** :
श्री साधन गुप्त :
श्री वेलायुधन :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री का० प्र० त्रिपाठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की सरकार से कोई योजना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्थापना की मुख्य बातें, जो कि हमें इस समय ज्ञात हैं, यह हैं :

(१) यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के छ: देशों के सीमा शुल्क संघ के चारों ओर स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र का एक बाहरी घेरा हो।

(२) इस क्षेत्र में, प्रशुल्कों को शनै: शनै : कम किया जाये; परन्तु इस क्षेत्र में प्रत्येक देश के लिये बाहर के देशों के साथ व्यापार पर प्रशुल्क लगाने और उन्हें घटाने-बढ़ाने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(३) सामान्यतः कृषि उत्पाद और विशेषतः खाद्यान्न पेय और तम्बाकू को इस क्षेत्र से अलग रखा जाये ।

(ग) प्रस्थापना अभी प्रयोगात्मक रूप में ही है, और मैं समझता हूं कि पूर्ण ब्योरा तयार किया जा रहा है । इंगलैण्ड की सरकार भारत सहित अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ परामर्श कर रही है, और मैं समझता हूं कि हमारे सहित इन सभी देशों की प्रथम प्रतिक्रिया अनुकूल ही रही है ।

†**श्री बंसल** : अन्तिम निर्णय किस स्तर पर किया जायेगा और क्या भारत इस योजना में भाग लेगा अथवा नहीं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : केवल एक ही स्तर है जिस पर भारत द्वारा इस प्रकार का निर्णय किया जा सकता है और वह उच्चतम सरकारी स्तर है ।

†**श्री बंसल** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रमंडलीय देशों का एक सम्मेलन होगा जिस में कि इन प्रस्थापनाओं पर चर्चा होगी और कोई निर्णय किया जायेगा अथवा क्या भारत सरकार अपना निश्चय इस योजना को प्रस्तुत करने वालों को एक-पक्षीय रूप से सूचित कर देगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ऐसा कोई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में, जहां ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की जा सके, यह ऐसा विषय नहीं है जिस की प्रस्थापना हम करें अथवा सुझाव दें । जहां तक हमारी प्रतिक्रियाओं का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें बता दिया है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जिन वस्तुओं में हमारी अभिरुचि है उन्हें खाद्यान्नों की श्रेणी में सुरक्षित किये जाने पर मुझे भारतीय व्यापार को कोई विशेष हानि होने की संभावना नहीं मालूम होती है ।

†**श्री क० प्र० त्रिपाठी** : यह कहा गया है कि यह सारी योजना एक यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र के सम्बन्ध में है । निश्चय ही, इसका विरोध सामाज्यिक अधिमान या राष्ट्रमंडलीय अधिमान से होगा । अतः माननीय मंत्री ने यह कैसे कहा कि इस योजना से कोई हानि नहीं होनी थी और भारत का हित सुरक्षित था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक कि जिन वस्तुओं में हमारी अभिरुचि है उनके अधिमान सुरक्षित ह, अर्थात् व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के चाहे कुछ भी प्रबन्ध हों और साम्राज्यिक अधिमान को सुरक्षित रखा जाये, मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं और मैंने बताया कि यही हम ने सूचित किया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हाल ही के स्वेज संकट से इस योजना की रूप रेखा पर कोई प्रभाव पड़ा है और क्या योजना में कोई रूप भद किया जा रहा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कौन सी योजना में, क्या स्वतन्त्र व्यापार योजना में ? मैंने बताया कि सारी योजना पर अभी चर्चा हो रही है और इस के सम्बन्ध में अभी तक कोई ऐसा अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है जिस से हम इस में रूप भेद करने के प्रश्न पर विचार करें ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार ने इस योजना की सभी उपलक्षणओं के प्रभावों का और विशेषतः इस बात का, कि इसका भारत के उन देशों के साथ, जो इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, व्यापार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अध्ययन कर लिया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सरकार इस प्रकार की किसी बात पर बिना गुण-दोषों पर विचार किये अपना विचार व्यक्त नहीं करती । जसा मैंने बताया, यदि वह सुरक्षण जिस का कि मैंने उल्लेख

†मूल अंग्रेजी में ।

किया है, दिये गये तो यदि वे इस यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की योजना को, जिस में इंगलैण्ड भाग ले रहा है, कार्यान्वित करें तो उसका हम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता संगठन से इस विषय में परामर्श किया गया था, और इस विशेष बात के सम्बन्ध में भारत का क्या दृष्टिकोण था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस सम्बन्ध में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता के समक्ष अपना दृष्टिकोण बताने के लिये हमें आमंत्रित नहीं किया गया था ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच नहीं था कि सरकार की वर्तमान राय व्यापार के वर्तमान ढंग पर आधारित थी जब कि औद्योगीकरण के कारण व्यापार के ढंग में शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है । यदि हां, तो क्या यह भी सच नहीं है कि यदि व्यापार के ढंग में हो रहे इस परिवर्तन के समय यूरोप का स्वतन्त्र व्यापार अस्तित्व में आ जाता है, तो यह भारतीय हितों के विरुद्ध होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हम जो राय भी व्यक्त करते हैं अथवा जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह केवल व्यापार के वर्तमान ढंग पर आधारित नहीं है वरन् व्यापार के उस ढंग पर आधारित है जिसे हम निकट भविष्य में विकसित करेंगे, परन्तु दूर भविष्य में जिस स्थिति का विकास हो सकता है उस से स्थिति की सुरक्षा के लिये किसी देश से कहना सम्भव नहीं है ।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार ने इस योजना क सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया की सूचना देने स पूर्व सक्षम गैर-सरकारी निकायों अथवा इस सभा की वाणिज्य तथा उद्योग से सम्बन्धित समितियों से परामर्श किया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक मुझे विदित है, परामर्श नहीं किया गया था ।

†**श्री वेलायुधन** : यदि भारत द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया तो क्या सामाज्यिक अधिमान के आधार पर इंग्लैण्ड को जो व्यापार सुविधायें इस समय प्राप्त हैं उन के अतिरिक्त उसे और अधिमान दिया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय भारत द्वारा अतिरिक्त अधिमान दिये जाने के बारे में है ?

†**श्री वेलायुधन** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि यदि इन प्रस्थापनाओं को स्वीकार किया गया तो हमारे व्यापार करारों के ढंग में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं समझता कि यूरोपियन स्वतन्त्र व्यापार के अस्तित्व में आने स हमारे व्यापार के ढंग में कोई गम्भीर परिवर्तन होंगे ।

राजप्रमुखों और उपराजप्रमुखों के पद

†***९३६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९५६ से देश में राजप्रमुखों और उपराजप्रमुखों के पदों के समाप्त कर दिये जाने से सरकारी कोष में कितनी बचत होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : चालू वर्ष में और अगले वर्ष (अर्थात् १९५७–५८) से आगे लगभग जो बचत होगी वह नीचे दी जाती है :

चालू वर्ष	१२,५८,००० रुपये
अगले वर्ष के बाद	३०,२०,००० ,, प्रतिवर्ष

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन बचतों से, जो माननीय मंत्री ने की है, ऐसा कोई वातावरण पैदा हो जान को है जिसमें कि नये पदधारी सरल और सीधा सादा जीवन व्यतीत करेंगे।

†**श्री दातार** : सादा जीवन के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। भूतपूर्व शासकों को इसे स्वयं अपनाना है।

†**श्री अ० म० थामस** : कुल बचत कितनी होगी क्योंकि कुछ राज्यों में राज्यपालों को वेतन भी देना पड़ेगा ?

†**श्री दातार** : कुल बचत २४,००,००० रुपये होगी, क्योंकि केरल, राजस्थान और मैसूर म तीन और राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं और उन्हें लगभग ६,९४,००० रुपये की राशि दी जायेगी।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या मैसूर के वर्तमान राज्यपाल को राज्यपाल के रूप में उस के पारिश्रमिक के अतिरिक्त निजी थली भी दी जाती है ?

†**श्री दातार** : उन्हें निजी थैली दी जाती है।

†**श्री कामत** : क्या यह सच ह कि राजप्रमुख और उपराजप्रमुख के पदों के समान कर दिये जाने पर भी, वे संविधान के पारित होने के पूर्व और तुरन्त पश्चात् जिन निजी थैलियों के अधिकारी थे वे थैलियां अब भी उन्हें दी जा रही हैं, और यदि हां, तो अग्रेतर बचत करने के लिये, क्या सरकार इस सम्बन्ध में संविधान को संशोधित करना चाहती है ?

†**श्री दातार** : जहां तक निजी थैलियों का सम्बन्ध है उन का राजप्रमुख अथवा उपराजप्रमुखों स कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक राजप्रमुखों और उपराजप्रमुखों का सम्बन्ध है, उन्हें कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा था, वरन् उन्हें संचित भत्ता मिल रहा था। वह अब बन्द कर दिया गया है, और जो प्रयोजन माननीय सदस्य की दृष्टि में है उस के लिये कोई प्रस्थापना सरकार के समक्ष नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इन पदों की समाप्ति पर, वे सब वित्तीय सुविधायें और रियायतें जो राजप्रमखों को दी जा रही थीं वापस ले ली जायेंगी अथवा उनमें से किन्हीं को किसी अन्य रूप में रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : उन्हें राजप्रमुख अथवा उपराजप्रमुख के नाते जो भी रियायतें मिल रही थीं वे समाप्त हो जायेंगी। भूतपूर्व शासकों के नाते उन्हें जो रियायतें मिलती हैं वे मिलती रहेंगी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : प्रधान मंत्री ने राजप्रमुखों से जो प्रार्थना की थी कि वे या तो अपनी निजी थैलियों को कम कर दें अथवा छोड़ दें, उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री दातार** : उन्होंने अभी उस प्राथना का उत्तर नहीं दिया।

†**श्री कामत** : इस समय सब से बड़ी निजी थैली किसे मिलती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** मुझे विश्वास है कि निजाम को सब से बड़ी निजी थैली मिलती है।

†**श्री कामत :** कितनी ?

†**श्री दातार :** मुझे विश्वास है कि वह ५० लाख रुपये हैं।

†**श्री कामत :** क्या अब भी ?

†**श्री दातार :** अब भी उन्हें यह मिल रही है।

अतिरिक्त शिविर क्षेत्र

*९३७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त शिविर क्षेत्रों के उत्सर्जन के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ५० शिविर क्षेत्रों में से जिन की नीलामी २१–८–५६ को शुरू हुई थी, जैसा कि २७–८–५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर में बताया गया है, अब तक २१ शिविर क्षेत्र नीलाम हो चुके हैं।

राज्य सरकार ने तब से बाकी ४४ शिविर क्षेत्रों में भी रुचि दिखाई है। उन्हें १५–११–५६ तक अपना आखिरी फैसला बताने को कहा गया था पर उनकी प्रार्थना पर यह मियाद १५–१२–५६ तक बढ़ा दी गई है।

इन के अलावा ३३ शिविर क्षेत्रों की नीलामी की भी अब मंजूरी दे दी गई है जो उनके कानूनी भारों के न हटने तक रोक दी गई थी और जिसका जिक्र १७–४–५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर में किया गया था।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इन कैम्पिंग ग्राउंड्स (शिविर क्षेत्रों) के बारे में लगभग पिछले ढाई साल से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ लिखा पढ़ी की जा रही है और क्या आखिर कोई मियाद भी है इस सब्र की ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा मैंने पहले बताया, हम ने अब उत्तर प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर, तिथि १५ दिसम्बर, १९५६ तक बढ़ा दी है, और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह तिथि और नहीं बढ़ाई जायेगी !

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि जिन कैम्पिंग ग्राउंड्स को राज्य सरकार नहीं ले रही है उनकी नीलामी की जा रही है, इससे पहले जहां तक मुझे स्मरण है यह घोषित किया गया था कि स्थानीय संस्थाओं, जैसे म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड ऐरिया कमेटीज़ वगैरह, को तरजीह दी जायेगी तो क्या इस नियम का पालन किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया :** जी हां, इस का पालन किया जा रहा है।

सेना चिकित्सा सेवा अभ्यास और सम्मेलन

†*९३८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५६ में इंगलैण्ड में मिचेट स्थान पर हुए सेना चिकित्सा अभ्यास और सम्मेलन में भारतीय सेना चिकित्सा पदाधिकारियों ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस से क्या लाभ हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें सीखी गई हैं कि सैनिक आपात काल के समय सेना चिकित्सा एकक असैनिक जनता को क्या सहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो डिफेंस (प्रतिरक्षा) के अफसरों की कान्फ्रेंस (सम्मेलन) होती है तो वहां पर जो बातें आपस में की जाती हैं और विचार विमर्श किया जाता है, उसके सम्बन्ध म सरकार कुछ आम जनता को भी बतलाने का कष्ट करेगी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस अभ्यास का सम्बन्ध इस से है कि सेना आपात काल में असैनिक जनता को सेना द्वारा क्या सहायता दिये जाने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे आशा है कि भारत में कोई आपात काल नहीं आयेगा, परन्तु फिर भी, इस का सम्बन्ध असैनिकों से है और इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जो पदाधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेने को गये थे उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**सरदार मजीठिया** : मेरे पास व्यय का ब्योरा नहीं है परन्तु यह सामान्य किराया, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डिफेंस के मामले में जो कान्फ्रेंस होती है उसके अलावा भारत सरकार कुछ सीक्रेट (गोपनीय) बातें ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) के लिये अपने अफसरों को बतलाती है कि नहीं बतलाती है ?

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक इस सम्मेलन के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात है, यहां चिकित्सा सम्बन्धी विषयों पर केवल चर्चा ही होती है, और जहां तक इन विषयों का सम्बन्ध है, इन में कुछ भी गोपनीयता नहीं होती है ।

सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा तलाशी

†*६४२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क कर्मचारी जिस प्रकार से तलाशी लेते हैं उस के बारे म शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण और तलाशी को और अधिक सम्मानपूर्ण ढंग में करने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय की शिकायतों सम्बन्धी पंजी से पता चलता है कि अगस्त १९५५ से केवल तीन शिकायतें इस प्रकार की गई हैं । जांच करने पर पता लगा कि ये तीनों निराधार थीं अथवा अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर की गई थीं ।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया म यह पहले ही ध्यान रखे जान का उपबन्ध है कि तलाशी सम्मानपूर्ण ढंग से ली जाये ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो । उदाहरणतः, यह तलाशी अनिवार्य रूप एक अलग कमरे में जो हवाई अड्डे पर इसी प्रयोजन के लिये नियत है ली जाती है । यह भी आवश्यक है कि यह जांच यथासम्भव एक वरिष्ठ पदाधिकारी क पर्यवेक्षण में ही की जाये, ये भी स्थायी अनुदेश हैं कि यात्रियों और उन के सामान की तलाशी लेते समय अत्यन्त शिष्टता से व्यवहार किया जाय, और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा य अनुदेश भी समय-समय पर दिये गये हैं कि यात्रियों के

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रति अधिक से अधिक शिष्टता दिखाई जाये। इन अनुदेशों का और निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन व्यवहार-रूप में किया गया है और जहां तक मेरी जानकारी है इसका कोई गम्भीर रूप से उल्लंघन नहीं किया गया है ।

†**पंडित ह्रा० ना० तिवारी** : क्या वहां की गई शिकायतों के अतिरिक्त सरकार को यात्रियों से भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : नहीं, जी; मेरे विचार में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। केवल तीन विदेशी यात्रियों की बम्बई के विमान पत्तन पर इस प्रकार से तलाशी ली गई थी। और किसी विमान पत्तन पर ऐसे मामले नहीं हुए हैं। इस लिये मैं अनुभव करता हूं कि हमारे अधिकारी उचित शिष्टाचार और सावधानी से काम करते रहे हैं।

†**श्री चं० द० पांडे** : क्या सरकार को पता है कि हमारी सीमा शुल्क सम्बन्धी औपचारिकतायें दूसरे देशों से अधिक कठिन और कष्टकर हैं ? हम में से जिन को भी विदेशी सीमा शुल्कों का अनुभव है, वे अनुभव करते हैं कि वास्तविक यात्री का सामान निकालने करने में बहुत कठिनाई होती है और कुछ ऐसे मामलों में जिन में कि सामान यात्री के साथ नहीं होता है, तो उसे लेने में बहुत देर लगती है, कभी-कभी दो मास तक लग जाते हैं।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे देश में जो स्तर है उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। जैसा मेरे सहयोगी ने अभी कहा कि हम यह देखने का विचार करते हैं कि क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। मैं सदन को इस भ्रान्त धारण में नहीं रहने देना चाहता हूं कि यहां हमारे सीमा शुल्क सम्बन्धी प्रबन्ध आदर्श हैं। वह ऐसे नहीं हैं। परन्तु इस में समय लगता है और चाहे जो कुछ भी हो विदेशी सीमा शुल्क अधिकारी भी किन्हीं तरीकों को काम में लाते हैं, और मेरे माननीय मित्र उनसे परिचित हैं। वे भी यात्रियों की काफी देर तक तलाशियां लेते रहे हैं और चीजों का पता लगाते रहे हैं। और वह तो चेहरा देख कर ही अभियुक्त पहचान सकते हैं। हम ने उस प्रणाली को विकसित नहीं किया है, समय आने पर हम भी उसे विकसित करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को कवल यह आश्वासन दे रहा हूं कि हम यह देखगे कि समय के साथ-साथ इन स्थानों पर और अधिक अच्छ तरीकों को अपनाया जाये।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : परन्तु, श्रीमान यात्री सीमा शल्क अधिकारियों का चेहरा देख कर ही यह पहिचान लेते हैं कि उनम से अपराधी कौन ह ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह तो जीवन के प्रति एक काव्यमय दृष्टिकोण है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : सीमा शुल्क का यही नियम है ।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री को लंका से भारत आ रहे निष्क्रान्तों से मंडपम पर रेलवे गाड़ियों में सीमा शुल्क की परेशानियों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई हैं ? उनके सम्बन्ध में वह क्या कर रहे हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह तो बिल्कुल ही दूसरा प्रश्न ह। हम जानते हैं कि लंका से जो निष्क्रान्त आ रहे हैं, उनकी कुछ कठिनाइयां ह। हम न कुछ परिवर्तित आदेश जारी किये हैं। फिर भी, हम इन यात्रियों की तमाम उन सभी कठिनाइयों को तो दूर नहीं कर सकते जो कि उनके समक्ष आ रही हैं। हम ने कुछ अनुदेशों में परिवर्तन कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मात्तन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उन शिकायतों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि सीमा शुल्क अधिकारी इन अनुदेशों का पालन करते हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपने माननीय मित्र से सहायता की प्रार्थना करूंगा, यदि वह मुझे कोई ऐसा मामला बतायेंगे, तो मैं दोषों को सुधारने और दूर करने का प्रयत्न करूंगा । जब हम कोई अनुदेश जारी करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हमारे अधिकारी पूरी तरह से उसका पालन करेंगे । इस सम्बन्ध में की गई उपेक्षा का निश्चय ही ध्यान रखा जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम मंत्री महोदय के आश्वासन के लिये बहुत कृतज्ञ हैं । उन्होंने कहा कि सुधार करने में कुछ समय लगेगा । क्या यह सम्भव नहीं है कि कोई चौथाई दर्जन छोटे मंत्री स्वयं वहां जा कर इन अधिकारियों के व्यवहार को देखें ताकि स्थिति में तुरन्त सुधार किया जा सके ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कुछ मंत्रियों को छोड़ो मैं स्वयं समय मिलते ही इसे करने को तैयार हूं ।

नागा लोग

†*९४५. { **श्री कामत** +:
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री झूलन सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री गिडवानी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जठालाल जोशी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या नागा पहाड़ियों में सशस्त्र विद्रोह अभी तक जारी है ;

(ख) यदि हां, तो वहां की वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सामान्य स्थिति को वापस लाने, असन्तोष के कारणों को हटाने और उस क्षेत्र में लोगों का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां की जा रही हैं उन का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सड़क पर चल रही गाड़ियों के समूहों और चौकियों पर गोलियां चलाने, गश्ती दलों पर चोरी छुपे हमला करने, ग्रामों के मुखियों, दुभाषियों और वफादार नागाओं का अपहरण करने, अरक्षित ग्रामों से खाद्य और धन बलात् लेने और सीमावर्ती मैदानों की दुकानों पर कभी-कभी हमला करने जैसी इक्की-दुक्की कार्यवाहियां अभी भी हो रही हैं ।

(ग) सेना, आसाम राइफिल्स और सशस्त्र पुलिस के दस्ते नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं । वर्षा के समाप्त हो जाने पर, वे उस क्षेत्र में दूर अन्दर तक जा रहे हैं, उन क्षेत्रों को साफ कर रहे हैं । उनके सुरक्षित स्थानों इत्यादि पर आक्रमण कर रहे हैं साथ ही नक़द अनुदानों,

†मूल अंग्रेजी में ।

खाद्यान्नों, नमक, कम्बलों, अस्थायी निवास स्थानों और चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था भी की जा रही है। जिन लोगों को उन विद्रोहियों के कारण अपने गांव छोड़ देने पड़े थे अथवा जिन के गांव उन की विद्रोही कार्यवाहियों के कारण या सैनिक गतिविधियों के समय नष्ट हो गये थे, उन को पुनर्वासित करने के लिये नक़द अनुदान, बीज, औज़ार, मकान बनाने का सामान आदि देने की व्यवस्था की जा रही है। जेपू फीज़ों और उसके साथियों ने स्वतन्त्रता की जो मांग की थी और जिसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने यह सशस्त्र विद्रोह किया था, उस के अतिरिक्त इस क्षेत्र में असन्तोष के और कोई कारण नहीं हैं।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि नागा पहाड़ियों का यह विद्रोह केवल सैनिक ढंग से दबाया जा रहा है, और इतनी कठोरता से दवाया जा रहा है कि जिससे राजनीतिक-मनोवैज्ञानिक समस्यायें खड़ी होती जा रही हैं, और जैसा कि प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री द्वारा इस सदन में अनेक बार कहा गया था कि इस समस्या को मानवीय और राजनीतिक ढंग से सुलझाया जाये, उस भावना के अनुसार यहां कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि गृह-कार्य मंत्री ने सदन में ३१-७-१९५६ को दिये अपने वक्तव्य में सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। यद्यपि विद्रोह को तो कठोरता से दबाया ही जाना चाहिये, तथापि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां भी आवश्यक होता है मानवीय तरीकों को अपनाया जाता है।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि श्री फीज़ों और उसके साथियों ने सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप, अब अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग को छोड़ दिया है और अब वे आसमीकरण के किसी प्रयत्न के बिना अधिक से अधिक स्थानीय और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता से, जिसका कि गत सत्र में ही प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था सन्तुष्ट हो जायेंगे ?

†**श्री दातार** : उन की स्वतन्त्रता की पहली मांग तो बहुत हद तक समाप्त हो गई है और अब वे स्थिति की वास्तविकता का अनुभव करते जा रहे हैं।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से तो यह पता चलता है कि वहां अभी भी श्री फीज़ों द्वारा संचालित आन्दोलन के अनुयायियों में काफी असन्तोष फैला हुआ है। क्या मैं इससे यह समझ लूं कि सरकार के इस वक्तव्य के बावजूद कि स्थिति सुधर रही है, अधिकांश नागा जाति अभी भी फीज़ों और उसके आन्दोलन की समर्थक है ?

†**श्री दातार** : मुझे यह निश्चय नहीं है कि अधिकांश जाति उसकी अनुयायी है। एक भाग उसका अनुयायी है। शनैः शनैः स्थिति सुधर रही है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्योंकि इस प्रकार के सशस्त्र विद्रोह अभी भी हो रहे हैं क्या सरकार ने इन सशस्त्र मुठ भेड़ों में प्राप्त हुए अस्त्र शस्त्रों के मूल और गुण प्रकार का परीक्षण कराया है ?

†**श्री दातार** : सरकार हर समय इस समूचे प्रश्न का परीक्षण और पुनरीक्षण कर रही है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : किस प्रकार के युद्धोपकरण और शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं, क्या वे विदेशी बने हुए थे अथवा भारत में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उपयोग किया गया है ?

†**श्री दातार** : मैं ने इस मामले के सम्बन्ध में पहले एक प्रश्न का उत्तर दिया है। इस क्षेत्र में जापानियों द्वारा युद्ध के पिछले दौर में, कुछ शस्त्रास्त्र तथा हथियार आदि इकट्ठे करके छपा कर रखे गये थे। उनमें से कुछ पुनः प्राप्त हो चुके हैं कुछ अभी तक शत्रुओं के हाथ में है। यथासम्भव अधिकाधिक शस्त्रास्त्रों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या सरकार ने अगले सामान्य चुनावों में, तीन नागा स्थानों की पूर्ति की वांछनीयता तथा व्यवहारिकता पर विचार किया है ?

†**श्री दातार** : मैं प्रश्न के पहले भाग को ठीक नहीं समझ सका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे तीन नागा स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री दातार** : इस स्थिति में यह एक काल्पनिक प्रश्न हो जाता है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के अतिरिक्त, यह बात इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होती है ?

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है—माननीय मंत्री ने यही कहा है—सभा यह जानना चाहेगी कि क्या उन तीन स्थानों की पूर्ति के लिये, जो इस सारी अवधि में खाली रहीं, चुनाव किये जाने की कुछ संभावना है ?

†**श्री दातार** : चुनाव करने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न किया जायेगा ?

विश्व बैंक से ऋण

†*९४६. { **श्री रघुनाथ सिंह** : +
श्री क० प्र० त्रिपाठी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय रेलों के लिये वित्तीय व्यवस्था के लिये विश्व बैंक से निवेदन किया गया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी, हां।

विश्व बैंक

†*९५७. { **श्री रघुनाथ सिंह** : +
डा० राम सुभग सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री नि० वि० चौधरी :
श्री भीखा भाई :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री बुचिकोटय्या :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :
सरदार इक्बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री का० प्र० त्रिपाठी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक के आर्थिक मिशन, जिसने अभी हाल में भारत का दौरा किया था, के प्रतिवेदन पर विश्व बैंक के विचार ज्ञात हो गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उनके विचारों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और उन पर कुछ निर्णय किया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जहां तक बैंक के अध्यक्ष ने अपने ५ सितम्बर, १९५६ के पत्र में उन विचारों का जिक्र किया है, इस प्रश्न का उत्तर उस सीमा तक हाँ में है। यह पत्र प्रकाशित हो चुका है। इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

(ग) जी, हां। जहां तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये हैं वे बैंक के अध्यक्ष को भेजे गये मेरे पत्र में उल्लिखित हैं। मेरे पत्र की प्रतिलिपि जो प्रकाशित हो चुकी है सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

इस अवसर पर मैं सभा के पटल पर श्री ब्लैक के आनुशंगिक पत्रों तथा अपने उत्तरों की एक प्रतिलिपि भी सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

श्री रघुनाथ सिंह : स्टेटमेंट विवरण देखने से पता चलता है कि रेलवे के वास्ते और शिपिंग (नौवहन) के वास्ते भी इसमें से आप कुछ देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) से कितने कर्ज की उम्मीद करते हैं और उस कर्ज में से आप शिपिंग के वास्ते कितना रुपया देंगे, उसका क्या अनुपात होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रश्न ९५७ के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्व बैंक मिशन के मत पर विचार किया गया है। उनका एक प्रश्न यह था कि योजना के अधीन घाटे की अर्थ व्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया था, वह बहुत अधिक है। क्या विश्व बैंक मिशन द्वारा व्यक्त किये गये विचार को ध्यान में रख कर सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था के लक्ष्यों में परिवर्तन किया है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : भारतीय अर्थ व्यवस्था पर विश्व बैंक की आलोचना पर हमारी सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह मेरे द्वारा श्री ब्लैक को भेजे गये पत्र में उल्लिखित है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : इस विवाद के सम्बन्ध में प्रकाशित पत्रों से यह ज्ञात होता है कि यहां के वित्त मंत्री और विश्व बैंक के बीच पर्याप्त मत-भेद था। विश्व बैंक की कौनसी टिप्पणियों को सरकार ने स्वीकार किया है, तथा वित्त मंत्री की किन बातों को विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : खास मत-भेद होने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ दृष्टिकोणों में हमारा मत-भेद अवश्य था। बैंक से मेरा सम्बन्ध बैंक से उधार के रूप में वित्तीय सहायता लेने से है। यह मुझे बैंक से प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई मत-भेद नहीं हो सकता है। हमने उधारों के लिये आवेदन पत्र दिये हैं तथा हमें वहां से यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि उन पर विचार किया जा रहा है और समस्याओं की जांच की जा रही है। इसलिये इस सम्बन्ध में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है। सम्पूर्ण प्रश्न पर श्री ब्लैक के कुछ दृष्टिकोण हैं। मेरे दृष्टिकोण भारत सरकार से मिलते हैं और उनमें कोई अन्तर नहीं आया है। इस मामले से बैंक और भारत सरकार तथा समूचे भारत के सम्बन्धों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जोकीम आल्वा** : आज के समाचार पत्रों में परिवहन और नौवहन को दी जाने वाली सहायता का जिक्र किया गया है। क्या हमारे विमान उद्योग अथवा नागरिक उड्डयन को भी सहायता देने का कोई जिक्र किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्री ब्लैक द्वारा मेरे पत्र के उत्तर में, उन प्रस्तावों का जिक्र किया गया है, जिनकी वे जांच कर रहे हैं, अथवा करने वाले हैं। जहां तक नागरिक उड्डयन का प्रश्न है, अन्तर्देशीय विमानों के लिये विश्व बैंक से उधार लेने का हमारा कोई निश्चित इरादा नहीं है। 'एयर इंडिया इन्टरनशनल' के सम्बन्ध में कुछ इरादा था। तथापि मेरे विचार से यह परियोजना इस स्थिति तक नहीं पहुंची है कि हम विश्व बैंक अथवा किसी अन्य संस्था से वित्तीय सहायता के लिये आवेदन भेज सकें।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि विश्व बैंक के प्रतिनिधि भारत आये हैं तथा वे रलवे के सम्बन्ध में वित्तीय व्यय और उनके लिये उधार के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर रहे हैं; यदि हां, तो क्या अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार से माननीय सदस्य उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो कुछ समय पूर्व भारत आये थे। इस समय विश्व बैंक का कोई व्यक्ति यहां नहीं है। हम रेलवे सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये एक दल के आने की आशा कर रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : विश्व बैंक के अध्यक्ष ने उन चार मदों का जिक्र किया है जिन पर विश्व बैंक से सहायता ली जा सकती है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कितनी सहायता प्राप्त की जायेगी और क्या भारत सरकार ने कुछ अन्य योजनायें प्रस्तुत की हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहां तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के पत्र में दिये गये मोटे संकेतों का प्रश्न है, उसमें उस प्रकार की परियोजनाओं का जिक्र है जिन पर वे उधार देने के प्रयोजन से विचार करने को तैयार हैं। हमने रेलों क विकास और विद्युत् परियोजनाओं के लिये उधार लेने के लिये कुछ योजनायें रखी हैं; नौवहन के सम्बन्ध में उधार लेने का भी विचार है और मेरे विचार से उक्त उद्योग के भावी विकास क सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। मेरे विचार से उन मामलों पर यहां चर्चा करनी पड़ेगी, प्रस्ताव करने होंगे तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा की राशि का निर्धारण करना होगा। विदेशी मुद्रा की राशि के मुख्य कारण से ही हमें विश्व बैंक से निवेदन करना पड़ता हैं।

श्री विभूति मिश्र : वर्ल्ड बैंक के प्रेज़िडेन्ट के पत्र को देखने से पता चलता है कि वह प्राइवेट सक्टर पर ज्यादा ज़ोर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक हिन्दुस्तान को जो रुपया कर्ज़ देगा उसमें से कम से कम कितना फीसदी सरकार प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) पर खर्च करेगी और कितना फीसदी पब्लिक सैक्टर (सरकारी क्षेत्र) पर खर्च करेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक इस चर्चाधीन वार्ता का सम्बन्ध ह, भारतीय लोहा और इस्पात समवाय को दिया जाने वाला उधार गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये है। ट्रोम्बे योजना भी गैर-सरकारी क्षत्र के लिये है, यह एक विद्युत् परियोजना है। हम साधारणतः विद्युत् परियोजना के लिये उधार लेते हैं। टाटा लोहा ओर इस्पात समवाय को कुछ समय पहले विश्व बैंक से बहुत पर्याप्त उधार मिल चुका है। शेष सब सरकारी क्षेत्र को मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के सम्बन्ध में, विश्व बैंक ने कुछ सुझाव देने का प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो इस बात से भारत सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमारी एक योजना है जिसमें हमने कुछ लक्ष्य निश्चित किये हैं। हम सभी लोगों को उसकी समालोचना करने को आमंत्रित करते हैं। संभव है हमारी योजना में कुछ कमियां हों; किन्तु बुनियादी लक्ष्य हमारे अपने हैं, और हमारे बनाये हुए हैं। मेरे विचार से कोई भी देश जिस के अपने कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, वह दूसरे की सलाह मात्र से अपने लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मैंने स्पष्ट शब्दों में अपने पत्र में लिखा है कि अन्य लोगों का मत हमसे भिन्न भले ही हो, हम अपनी नीति के कुछ पहलुओं पर, अन्य पहलुओं की अपेक्षा, जो आर्थिक दृष्टि से उतने सशक्त नहीं हैं, अधिक जोर देते हैं। क्योंकि हमारे सामने कुछ निश्चित सामाजिक और नीति सम्बन्धी लक्ष्य है जो हमें पूरे करने हैं। इन मामलों में सलाह लेने की, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की, कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब लोग ऐसे मामलों पर सलाह देते हैं जिन्हें करने को हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हम उनकी सलाह का स्वागत भले ही करें, तथापि उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : विश्व बैंक ने रेलवे के विकास के लिये, हमारी उधार सम्बन्धी मांग की जांच करते समय रेलवे के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी और लाभदायक सुझाव दिये हैं। क्या सरकार उधार का उपयोग करने के पूर्व इन उपयोगी सुझावों को भी क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस बात का निश्चय करना प्रशासन पर निर्भर करता है। टी० सी० एम० (टेक्नीकल कोओपरेशन मिशन) के अधीन एक दल आया था। मेरे विचार मे यह सेन्डर्सन एन्ड पोर्टर-परामर्शदाता धर्म के लोग थे। उन्होंने रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं और अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था, मैंने उस प्रतिवेदन का बहुत गौर से अध्ययन किया है। उस प्रतिवेदन के कई पहलू अपनान और उपयोग में लाने के योग्य हैं। इस सम्बन्ध में मैंने रेलवे प्राधिकारियों और अपने वित्तीय सलाहकारों से भी चर्चा की है। किन्तु इसका अन्तिम प्रतिवेदन बाद में आयेगा। हम उस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है।

जैसा कि मैंने कहा है कि इस विषय को बैंक अच्छी प्रकार समझता है और जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है उनका रुख इस समय हमारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सहायक ही है।

†**श्री मात्तन** : मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्व बैंक हमें नौवहन के विकास के लिये धन देगा, जिस के लिये धन की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं बता चुका हूं। ठीक-ठीक प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : इस विषय में वैधानिक स्थिति क्या है ? विश्व बैंक एक ओर तो राज्य परियोजनाओं के लिये ऋण देता है और दूसरी ओर टाटा जैसी गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिये ऋण देता है। क्या यह तय हो गया है कि निजी व्यक्तियों के मामले में विश्व बैंक को भारत सरकार स सम्पर्क स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह गैर-सरकारी सार्थ को सीधे सहायता दे सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी, नहीं। विश्व बैंक किसी भी देश के किसी निजी व्यक्ति को सीधे कभी ऋण नहीं देता जब तक उसे उस देश की सरकार ने और भारत की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार ने न भेजा हो। हम उन ऋणों की प्रतिभूति देने वाले हैं और इसलिये हमें वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो किसी प्रतिभूति देने वाले को ऐसे मामलों में प्राप्त होते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि विश्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र को कुल कितना ऋण दिया है और भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र के लिये कितना ऋण मांगने का विचार है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्या अलग से एक प्रश्न पूछें तो मैं सारी जानकारी, जो मेरे पास है, उन्हें देने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

†**श्री कामत** : मेरी यह प्रार्थना है कि आप राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विधि मंत्री से यह कहें कि वे प्रश्न संख्या ९६३ का उत्तर अवश्य दें। राष्ट्रीय हित की यह मांग है कि इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाय। सभा के १६ सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है, संभवतः वे सभी यहां उपस्थित नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय गाईड आयुक्त सम्मेलन

†*९४७. { **श्री रघुनाथ सिंह** :+
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५६ मास में दिल्ली में एशियन क्षेत्र का एक अन्तर्राष्ट्रीय 'गाईड' आयुक्त सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्मेलन में एशिया में एक विश्व 'गाईड' केन्द्र खोलने और विश्व समिति की एक उपसमिति को किसी एशियायी देश में स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) उस सम्मलन में किये गये फसलों के सम्बन्ध में भारत सरकार क पास कोई जानकारी नहीं है।

जन्तर मन्तर

†*९४९. **श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५६ म हुई भारी वर्षा क कारण दिल्ली की प्रसिद्ध 'जन्तर मन्तर' वेधशाला को किसी प्रकार की क्षति पहुंची है;

(ख) क्या यह सच है कि वेधशाला के कुछ एक उपकरण भूमिगत जल के बढ़ जाने के कारण डूब गये थे; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के एक रक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

भवनों का निर्माण

*९५०. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री अपने मंत्रालय के वर्ष १९५५–५६ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ५९ और ६० पर उल्लिखित निर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भवनों का निर्माण आरम्भ हो चुका है, और १९५६ के अन्त तक किन-किन के बन कर तैयार हो जाने की आशा है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) (१) राष्ट्रीय अजायबघर भवन और प्राणि-विद्या सम्बन्धी नमूने रखने के लिये भारतीय अजायबघर, कलकत्ते के अदाह्य भवन का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है ।

(२) कोई नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय अजायबघर भवन पर ७७·६३ लाख रुपये और भारतीय अजायबघर भवन पर १९·५० लाख रुपये ।

†**श्री खू० चं० सोधिया**: अन्धे और बहरे आदमियों के लिये इसी सम्बन्ध में जो केन्द्र बनने वाले थे, क्या उनके बारे में कोई काम हुआ है ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिये चार कार्यक्रम हैं । वे हैं: राष्ट्रीय अकादमी का भवन, राष्ट्रीय नाट्यशाला, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय । जहां तक राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय का सम्बन्ध है, उनका कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

अनुसूचित जाति कल्याण

*९५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-काय मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर १,९९,७२७/७/३ रुपये की धन राशि व्यय की गई ।

(ख) किये गये कार्य का ब्योरा तथा हर कार्य पर किये गये खर्च का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३५]**

श्री नवल प्रभाकर : पहली पंचवर्षीय योजना क लिये कितनी राशि रखी गई थी ?

श्री दातार : जैसा कि मैंन अभी बताया ह, एक लाख और कुछ रुपया ।

श्री नवल प्रभाकर : उस में स खर्च कितना किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री दातार : जहां तक मैं जानता हूं, वह सब खर्च हुआ है ।

श्री नवल प्रभाकर : पहली पंचवर्षीय योजना के लिये बजट में कितना रुपया रखा गया था ?

श्री दातार : मुझे मालूम नहीं है ।

सामान्य निर्वाचन

†*९६३. **श्री कामत** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बंसल :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री साधन गुप्त :
श्री राम कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० शि गुरुपादस्वामी :
श्री मु० इस्लामुद्दीन:
श्री शिवनंजप्पा:
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वोडियार :
श्री नेत्तूर पं० दामोदरन :
श्री बुचिकोट्य्या :
सरदार इक्बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **विधि** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सामान्य निर्वाचनों के प्रश्न पर विचार किया गया है और उसके लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम किस प्रकार का है;

(ग) क्या लोक-सभा आगामी सामान्य निर्वाचनों से पहले ही विघटित हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या वैसा करने में कोई वैधानिक अथवा प्रथा की दृष्टि से कोई कठिनाई आयेगी ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) और (ख). सरकार आगामी सामान्य निर्वाचनों के कार्यक्रम पर विचार करती रही है। परन्तु विधि के अनुसार यह काम निर्वाचन आयोग का है कि वह राष्ट्रपति तथा सभी राज्यपालों को, निर्वाचन के लिये निर्वाचन क्षेत्रों को प्रारम्भिक अधिसूचनायें जारी करने के लिये ठीक लिपियों के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करे । तदुपरान्त विभिन्न तिथियां, जिनमें विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथियां भी सम्मिलित हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित कर दी जायेंगी । तथापि, सरकार यह समझती है कि मतदान के लिये उपयुक्त तिथियां २८ फरवरी से १४ मार्च, १९५७ तक होंगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि यद्यपि अभी तक परिसीमन आदेश प्रकाशित नहीं हुआ है तो भी जिन राज्यों के सम्बन्ध में परिसीमन निश्चित हो चुका है, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी अर्थात् कांग्रेस पार्टी के केवल कुछ सदस्यों को तथा रक्षकों को वे परिसीमन आदेश उपलब्ध हो चुके हैं जबकि विपक्ष के सदस्यों को वे उपलब्ध नहीं हुए हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है । मैं नहीं जानता कि इसका उत्तर कैसे दूं ।

†**श्री कामत** : यह प्रश्न निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । निर्वाचन जल्दी से करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया था कि परिसीमन के सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम विनिश्चय कर दिया जायेगा और उसे प्रकाशित कर दिया जायेगा । परन्तु उसे नवम्बर से दिसम्बर के अन्त तक स्थगित कर दिया गया था । क्या यह सच है कि उन राज्यों में, जहां परिसीमन आदेश पूरा हो चुका है, केवल कांग्रेस पार्टी ही उन आदेशों की प्रतियां प्राप्त कर सकी है, और अन्य पार्टियों को अभी तक अन्धकार में ही रखा हुआ है ?

†**श्री पाटस्कर** : यह आरोप न्यायोचित नहीं है । तथ्य यह है कि परिसीमन कार्य अभी पूरा होने को है और आशा है कि लगभग दो सप्ताहों में यह सब कुछ गजैट में प्रकाशित हो जायेगा । मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में और कुछ कहा जाये ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार समझती है कि परिसीमन आदेश के प्रकाशन में और मतदान प्रारम्भ होने में केवल दो महीने का समय देना विभिन्न दलों के साथ न्याय करना है ?

†**श्री पाटस्कर** : इन सभी बातों पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि अन्तिम अधिसूचना जारी की जायेगी ।

†**श्री कामत** : क्या इतनी देर करना पार्टियों के साथ न्याय करना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी कह रहे हैं कि अन्तिम तिथि निश्चित करने से पूर्व इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने इस बात की सिफ़ारिश की है ?

†**श्री साधन गुप्त** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि लोक-सभा सामान्य निर्वाचनों से पहले विघटित नहीं होगी । उन्होंने यह भी कहा है कि सामान्य निर्वाचन २८ फरवरी और १४ मार्च के बीच होंगे । समाचार पत्रों में एक यह समाचार था कि सामान्य निर्वाचनों का अन्तिम भाग हिमाचल प्रदेश में मई में होगा । क्या वह सूचना ठीक है, और यदि हां, तो क्या लोक-सभा उसके बाद विघटित होगी अथवा पहले ?

†**श्री पाटस्कर** : क्या आगामी प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कि लोक-सभा आगामी सामान्य निर्वाचनों से पहिले विघटित हो जायेगी, के उत्तर में मैंने कहा था "नहीं" ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या उत्तर १४ मार्च का या मई का उल्लेख करता है जब कि सामान्य निर्वाचनों का अन्तिम भाग बर्फ से ढके हुए हिमाचल प्रदेश में समाप्त होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : क्या माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश का उल्लेख कर रह हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

†**श्री पाटस्कर** : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री वि० घ० देशपांड** : हमारा प्रश्न यह है कि इस दृष्टि से कि परिसीमन आदेश के प्रकाशन और निर्वाचनों के होने के बीच बहुत थोड़ा समय रह जायेगा, क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को परिसीमन आदेश दे दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इसका प्रत्याख्यान करता हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की समय-सूची सम्बन्धी सिफ़ारिश राष्ट्रपति और राज्य सरकारों को भेजी है तथा यदि हां, तो क्या अब तक कुछ राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं पहले बता चुका हूं कि सरकारी अधिसूचनायें निकालने की ठीक तारीखों की राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों से सिफ़ारिश करना निर्वाचन आयोग का काम है; सरकार की बात ही नहीं आती ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या वह सिफ़ारिश भेज दी गई है ?

†**श्री पाटस्कर** : मुझे विदित नहीं है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : श्री कामत न सरकार पर एक बड़ा गम्भीर आरोप लगाया है; उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

दिल्ली में पटाखा विस्फोट

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.**

श्री काजरोल्कर :
श्री गिडवानी :
श्री भीखाभाई :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मु० ला० अग्रवाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९५६ को रामलीला ग्राउंडस में जिस समय चीन के प्रधान मंत्री का नागरिक स्वागत किया जा रहा था उस समय एक पटाखा फटा था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को चोटें आई थीं; और

(ग) क्या अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) पटाखा फटने से छः व्यक्तियों को साधारण चोटें आई थीं ।

(ग) जांच-पड़ताल में जो अब भी हो रही है कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं ।

†**श्री गाडगील** : कथित पटाखे कैसे थे, क्या वे पटाखे थे या कुछ भयंकर वस्तु थी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे बताया गया है कि यह पटाखा था बम नहीं था । बम में खनिज तत्व होत हैं परन्तु इस में कोई खनिज तत्व न था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री काजरोल्कर :** क्या जांच पड़ताल के लिये बम्बई राज्य से किसी पुलिस पदाधिकारी की सेवायें प्राप्त की गई हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** अभी तक यह आवश्यक नहीं समझा गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** प्राय: होने वाले विस्फोटों का ध्यान रखते हुए क्या सरकार ने साधारण व विशिष्ट रूप में पुलिस की देख रेख को और कड़ा कर दिया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** सरकार को परिस्थिति और इसके उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान है ।

†**श्री बंसल :** क्या इस बात के परिणामस्वरूप कि पुलिस उन व्यक्तियों का पता नहीं लगा सकी है जो बमों के फेंकने वाले समझे जाते हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों में हाल में एक उलट फेर हो गया है तथा क्या इस का सम्बन्ध इस घटना से है जो हुई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** कुछ देख भाल करने वाले कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारी रख दिये गये हैं तथा निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में भी कुछ कार्यवाही की गई है । परन्तु यह सर्वथा आवश्यक नहीं है कि इसका सम्बन्ध इस घटना या घटनाओं से जोड़ा जाये ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** इस मामले में कार्यवाही करने में सरकारी सावधानी तथा सत्वरता को पूर्णतया समझते हुए .....

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार महसूस करती है कि ये कार्यवाही उन भयंकर घटनाओं की पूर्वाभ्यास हैं जो भविष्य में होंगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वे किसी भी रूप में उचित नहीं है, परन्तु अस्वीकार्य हैं तथा भयंकर भी हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी भी बन्दी बनाया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** हां, शायद ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** जो व्यक्ति दिल्ली में और भारत में अन्य स्थानों पर इस या अन्य बम तथा पटाखा विस्फोटों क सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गये हैं, क्या उनके कोई राजनीतिक सम्बन्ध हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या सरकार को अभी तक सभा में पटाखे फैंकने का कोई उद्देश्य ज्ञात हुआ है और यदि हां, तो क्या उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका अभी उत्तर दिया गया है । मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या इस घटना का सम्बन्ध किसी प्रकार की साम्राज्यवादी व्यवस्था से लगाया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री कामत :** क्या उन विभिन्न पटाखों या बमों की तुलनात्मक परीक्षा से, जो पिछले मासों में इस क्षेत्र में या इसके आस-पास फैंके गये हैं, यह प्रकट होता है कि इनका करने वाला एक गिरोह या एक योजना या एक व्यक्ति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जहां तक पटाखों का सम्बन्ध है, उनका प्रयोग कभी-कभी भोले-भाले व्यक्ति भी करते हैं। ऐसे भी अवसर आये हैं जब कि कुछ पटाखे फटे तथा जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि उनके पीछे कोई बुरा उद्देश्य न था। परन्तु, यदि ऐसे विस्फोट करने वाले व्यक्तियों का पता नहीं लगता है, तो उनका उद्देश्य बताना कठिन है। परन्तु, सरकार को आशा है कि सबके सहयोग तथा पुलिस की मेहनत से हम बाद में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

†**श्री गाडगील :** क्या यह सच नहीं है कि इस सभा में ऐसी अभिव्यक्ति का स्वयं पुलिस की जांच पड़ताल पर कुप्रभाव पड़ता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं समझता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्य समस्या के इस अंग से पूर्णतया जानकारी रखते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्वयं माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यह पटाखा था या बम ।

श्रमिकों को छंटनी का प्रतिकर

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३.**

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :
श्री गाडगील :
श्री का० प्र० त्रिपाठी :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ नवम्बर, १९५६ को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनेश मिल्स लिमिटेड और बरसी लिमिटेड लाइट रेलवे कम्पनी के मामले में दिये गये निर्णय से, छंटनी प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम का शून्यीकरण हो जाता है;

(ख) क्या इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५-च और २५-चच का उल्लंघन नहीं होगा; और

(ग) सरकार ने भूतलक्षी अवधि से प्रतिकर चुकाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). २७–११–१९५६ को दिये गये निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि छंटनी का अर्थ किसी चालू उद्योग से अतिरिक्त श्रमिकों को हटाया जाना है, और यह ऐसे मामले पर लागू नहीं होगा जहां पर उद्योग वस्तुतः सद्भाव से बन्द कर दिया गया है और सभी श्रमिकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि कारोबार के बन्द हो जाने पर अथवा उसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिये जाने पर यदि सभी श्रमिकों की सेवायें समाप्त कर दी जायें तो उन्हें कोई छंटनी प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५-चच वहां प्रयुक्त नहीं हुई।

(ग) निर्णय के प्रभावों का इस बात को ध्यान में रख कर सावधानी से अध्ययन किया जा रहा है कि कौनसी कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या इस बात का स्पष्ट उल्लेख करने के लिये, कि मिलों को सद्भाव से बन्द किये जाने पर, अथवा मिलों के स्वामित्व का हस्तांतरण होने पर भी, छंटनी प्रतिकर दिया जाना चाहिये, विधानिक कार्यवाही अथवा संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री आबिद अली** : हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : सरकार इसका कब तक निर्णय करेगी, क्या वर्तमान सत्र में ऐसा कोई विधेयक रखे जाने की सम्भावना है ?

†**श्री आबिद अली** : इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†**श्री गाडगील** : क्या इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बरसी लाइट रेलवे के ३० लाख रुपये जो उन्हें चुकाने से रोक दिये गये थे, क्या उन्हें सरकार का निर्णय होने तक नहीं चुकाया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : ३० लाख रुपयों में से १५ लाख रुपये रेलवे बोर्ड के पास हैं और १५ लाख रुपये उस पक्ष के दोनों वकीलों के नाम बैंक के खाते में जमा हैं। जहां तक सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि यदि सरकार तत्काल कार्यवाही नहीं करेगी तो इन ३० लाख रुपयों को देश से बाहर भेज दिया जायेगा, तब इन्हें किसी प्रकार वसूल नहीं किया जा सकेगा ? क्या सरकार ऐसा कोई अध्यादेश जारी करेगी जिससे कि प्रश्न पर विचार होने तक, यथापूर्व स्थिति ही जारी रहे ?

†**श्री आबिद अली** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री पुन्नूस** : उपमंत्री ने यह बताने की कृपा की है कि सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। इसी बीच कुछ मामले और भी निलम्बित हैं। उदाहरणार्थ, केरल के काजू उद्योग में २५,००० व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई है। यह मामला सरकार के समक्ष निलम्बित है। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि कारखानों के मालिक अपनी सम्पत्ति का हस्तांतरण इत्यादि न करने पायें जिससे कि सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने तक वे प्रतिकर चुकाने से बच जायें ?

†**श्री आबिद अली** : यह निर्णय पिछले महीने की २७ तारीख को ही किया गया है।

†**श्री पुन्नूस** : तत्पश्चात् ?

†**श्री आबिद अली** : काजू उद्योग का मामला न्यायाधिकरण के समक्ष है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कर्मचारियों द्वारा लेन-देन

†*९३१. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार और घूसखोरी रोकने के लिये, आगे और कोई निरोधात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि एक निदेश जारी करके, सरकारी कर्मचारियों से, उनकी चल सम्पत्ति के लेन-देन के सम्बन्ध में पूछा गया है; और

(ग) यदि हां, तो वह निदेश किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो कार्यवाही की गई है उसका पूरा विवरण प्रशासन निगरानी विभाग के ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त

†मूल अंग्रेजी में।

होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में है। इसे सभा में पिछली मई को प्रस्तुत किया गया था। प्रशासन निगरानी विभाग उक्त प्रतिवेदन में बताये गये तरीकों से काम कर रहा है।

(ख) और (ग). सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले आचरण नियमों के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को १,००० रुपये से अधिक के मूल्य की चल सम्पत्ति का लेन-देन, एक विहित अधिकारी को सूचित करना होता है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में कोई निदेश नहीं है।

सेनाओं में मद्य-निषेध

†*९३२. **श्री डाभी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेनाओं में मद्य-निषेध जारी करने का कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय किस प्रकार का है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). मद्य-निषेध के सम्बन्ध में सरकार की नीति के अनुसरण के अनुसार, सशस्त्र सेना के सैनिकों में मद्य की खपत को उत्तरोत्तर घटाने की कार्यवाही की जा चुकी है। सशस्त्र सेनाओं में मद्य-निषेध के सम्बन्ध में निर्णय, इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इस सम्बन्ध में समस्त देश के लिये क्या नीति अपनायेगी।

ओलम्पिक खेल

†*९३९. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओलम्पिक खेलों के लिये भारतीय खिलाड़ियों के चुनने की क्या प्रक्रिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : खिलाड़ियों का चुनाव तत्सम्बन्धी विभिन्न खेल संघों द्वारा किया जाता है।

त्रिपुरा में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक

†*९४०. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये त्रिपुरा के उन २०० प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन मंजूर नहीं किया जो १९५५–५६ में नियुक्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इन प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति स्थायी करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) उक्त अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) मामला त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी

†*९४१. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण डिब्बों के निर्माण के लिये खुलने वाले नये विभाग में, काम करने के लिये मेशीनन-फेब्रिक आउसवर्ग न्यूरेम्बर्ग, पश्चिमी जर्मनी, के द्वारा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा;

(ख) मेशीननफेब्रिक आउसवर्ग न्यूरेम्बर्ग के द्वारा, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी के भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये कितने टेक्नीशियनों और इंजीनियरों को भेजा जायेगा; और

(ग) सरकार तथा मैसर्स मेशीननफैब्रिक आउसवर्ग न्यूरेम्बर्ग द्वारा क्रमशः कितना व्यय किया जायगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के हित में अपेक्षित बातों की जानकारी देना उपयुक्त नहीं होगा ।

त्रिपुरा की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक

†*९४३. **श्री बीरेन दत्त** :
श्री दशरथ देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, १९५६ तक त्रिपुरा के प्राथमिक पाठशालाओं के कितने अध्यापकों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिये जा चुके हैं;

(ख) क्या इन पदों पर नई नियुक्तियां की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नौ ।

(ख) नौ में से सात पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

(ग) उन अध्यापकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था । नियमों के अनुसार उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ।

विदेशी बीमा समवाय

*९४४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कौन-कौन से विदेशी बीमा समवाय अपने कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन (पेन्शन) देते थे;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे विदेशी समवायों के, जो अपने कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन देते थे, निवृत्ति-वेतन खाते में जमा रकम अपने अधिकार में ले ली है; और

(ग) यदि हां, तो वह कितनी है ?

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित ६ विदेशी बीमा कम्पनियों में, जिनका नियंत्रित कारबार कारपोरेशन ने अपने हाथ में ले लिया है, कर्मचारियों के लिये किसी न किसी रूप में पेंशन योजना थी :

(१) ग्रेशम लाइफ़ एशोरेंस सोसाइटी लिमिटेड;

(२) नार्थ ब्रिटिश एण्ड मर्केन्टाइल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड;

(३) फोनिक्स एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(४) स्काटिश यूनियन एण्ड नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी;

(५) सनलाइफ़ एशोरेंस कम्पनी आफ़ कनाडा;

(६) यार्कशायर इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड;

(ख) और (ग). केवल एक को छोड़कर बाकी सब में पेंशनें उनकी चालू आमदनी में से दी गयीं। पेंशन दायित्व की सही-सही रकम अभी नहीं आंकी गई है पर अनुमान है कि वह लगभग १५ लाख रुपये होगी।

मन्नार में पब्लिक स्कूल

†*९४८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के मन्नार नगर में पब्लिक स्कूल खोलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस पब्लिक स्कूल को कुछ अनुदान देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो १९५६–५७ के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है अथवा की जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सरकार का मन्नार में पब्लिक स्कूल खोलने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में विकास कार्य

†*९५१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि कई विकास कार्य यथा सिंचाई की नहरें, कुएं, गांवों को मिलाने वाले रास्ते इत्यादि जो मनीपुर के आदिम जाति के ग्रामीणों के द्वारा १९५३–५५ में राज्य सरकार के आदेश पर तैयार किये गये थे उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर में ऐसे ३०० मामले हैं;

(ग) आदिम जाति के ग्रामीणों द्वारा तैयार किये गये विकास कार्यों का भुगतान करने में इतने विलम्ब का क्या कारण है ; और

(घ) तैयार हो चुके विकास कार्यों का तत्काल भुगतान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में ताड़ी की दुकानें

†*९५३. { **श्री पुन्नूस** :
श्री वे० प० नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य की सरकार ने कई ज़िलों में ताड़ी की कुछ प्रतिशत दुकानें बन्द कर देने का विनिश्चय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत और किन निर्वाचित क्षेत्रों में बन्द की जायेंगी; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप कितने ताड़ी निकालने वाले तथा अन्य श्रमजीवि अपने काम मे वंचित हो जायेंगे ?

†**गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सूर्यतापी चूल्हा

†*९५४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री रा० प्र० गर्ग :
श्री वेलायुधन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कामत :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूर्य तापी चूल्हे को लोकप्रिय बनाने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सूर्य तापी चूल्हे दो गैर-सरकारी सार्थों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और अब उनका प्रचार करने का काम उन्हीं सार्थों का है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी छात्रवृत्तियां

†*९५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्र-वृत्तियों के देने की योजना के क्षेत्र को व्यापक बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ में पुनरीक्षित योजना के अधीन कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां; इस योजना के अधीन मैट्रिक के बाद स्नातकोत्तर उपाधि तक की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ।

(ख) ११० ।

न्यूज़ीलैण्ड से सहायता

†*९५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में न्यूज़ीलैण्ड द्वारा भारत को सहायता देने के सम्बन्ध में जो प्रस्थापना थी, उस के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी राशि है ; और

(ग) उस राशि को विभिन्न परियोजनाओं में कैसे बांटा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत में विदेशी पहलवान

†*६५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में कुल कितने विदेशी पहलवान आये थे;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सरकार को जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार दिसम्बर, १९५५ और जनवरी, १९५६ में ईरान से १६ पहलवानों का एक दल भारत आया था।

(ख) और (ग). उनके रेलवे के किराये के लिये तथा उनके भारत में ठहरने के लिये निवास तथा भोजन सम्बन्धी खर्च के लिये ६,०४२ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

प्रतिकर भत्ता

†*६५९. **श्री दशरथ देब :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५६ से त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता का दिया जाना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव बहुत चढ़ गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) त्रिपुरा में भी भाव वैसे ही चढ़े हैं जैसे कि भारत के अन्य भागों में। पूजा उत्सव के कारण भी अस्थायी रूप से भाव थोड़े से चढ़े थे। अत्यावश्यक वस्तुओं को विमानों द्वारा वहां पर पहुंचा कर मूल्यों को न बढ़ने देने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है।

चुनावों में पररूप धारण

†*६६०. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय परदानशीन स्त्रियों और अनुपस्थित या मृतक मतदाताओं के रूप धारण की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३६**]। सभा का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन कराना तथा निर्वाचन याचिकायें) नियम, १९५६ के नियम संख्या २६, २७ तथा ३५ में हाल ही में किये गये संशोधनों की ओर दिलाया जाता है, उनकी एक प्रति सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिपुरा में कोयले का खनन

†*९६१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोयले के खोदने का काम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम किस अभिकरण को सौंपा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने त्रिपुरा के कोयला-क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये कई विशेषज्ञ भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या उपपत्ति है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में त्रिपुरा की किसी भी कोयला खान को खोदने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तथा (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य से आयकर

†*९६२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ के लागू होने के बाद आयकर का निर्धारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस से क्या परिणाम निकला है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन १९५४–५५ के वर्ष से लेकर, जब कि भारतीय आयकर अधिनियम, जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू हुआ था, चालू वित्तीय वर्ष १९५६ की ३१ अक्तूबर तक ८,९४३ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, आयकर को निर्धारित किया जा चुका है । उक्त कालावधि में मांगे गए कर की कुल राशि १९·१९ लाख रुपये थी और वास्तव में प्राप्त हुई राशि १६·३० लाख रुपये है ।

शिक्षा संस्थाओं में जाति-वाद

†*९६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संस्थाओं से जातिवाद को दूर करने के सम्बन्ध में कोई योजना सम्मिलित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३७**]

†मूल अंग्रेजी में ।

तेल की खोज

†*९६५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री भीखा भाई :
श्री वोडयार :
श्री नेत्तूर प० दामोदरन :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के नेतृत्व में भूतत्ववेत्ताओं तथा भू-भौतिकीय-विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में कैनेडा, अमरीका तथा फ्रांस में पैट्रोल उद्योग के कार्य चालन तथा पैट्रोल की विधियों का अध्ययन करने के लिये वहां गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का भारत में हो रहे तेल की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस प्राप्त किये गये अनुभव तथा स्थापित सम्पर्कों से निम्नलिखित बातों में सहायता मिलने की आशा की जाती है :

(१) देश में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज करने, उन्हें बाहिर निकालने और उनके शोधन के लिये विनियमों के बनाने में;

(२) अपने तेल क्षेत्रों में तेल क्षेत्र सम्बन्धी आधुनिकतम उपाय लागू करने में और तेल की खोज से सम्बन्ध रखने वाले व्यापक अनुसंधानों को लागू करने में;

(३) भूतत्वीय, भू-भौतिकीय तथा भूमि में छेद करने से सम्बन्ध रखने वाले अप अनुसंधानों में उत्तम प्रकार के साधनों और प्रविधि का प्रयोग करना; और

(४) पैट्रोल, भूतत्वीय, भू-भौतिकीय तथा भूमि में सुराख करने सम्बन्धी इंजीनियरों के क्षेत्र में विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित करने में ।

त्रिपुरा में सत्र न्यायाधीश

†*९६६. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिये एक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या त्रिपुरा के उप-न्यायाधीश के सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय, उनके द्वारा उप-न्यायाधीश के रूप में सुने गए मुकद्दमे अब सत्र न्यायालय में नहीं सुने जा सकते : और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों से उपयुक्त पदाधिकारी भेजने के लिये कहा गया है ।

युद्धपोत

†७१६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, भारत में युद्ध-पोत बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) एक अवधि, जिसमें द्वितीय योजना अवधि भी सम्मिलित है, में युद्धपोतों के अर्जन का कार्यक्रम सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उसे कई प्रक्रमों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में, भारत में कुछ प्रकार के युद्ध-पोतों का निर्माण सम्मिलित है ।

(ख) कार्यक्रम का ब्यौरा बताना लोक-हित में नहीं होगा।

आसाम तथा उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज

†७१७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ .

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की पूर्वी प्रदेश की समिति द्वारा स्वीकृत दो इंजीनियरिंग कालेज, एक आसाम में तथा दूसरा उड़ीसा में, खोलने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). इस जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३८]**

तेल सर्वेक्षण

†७१८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री रा० प्र० गर्ग :
श्री स० चं० सामन्त :
सरदार इक्बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के विशेषज्ञों के दल द्वारा जैसलमेर में तेल की खोज के लिये किए गए वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। (यह एकदम प्रविधिक प्रतिवेदन होगा) ।

अभ्रक तथा ग्रेफाइट

†७१९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य में अभ्रक तथा ग्रेफाइट की खानों से फिर ये पदार्थ निकालना प्रारम्भ करने की संभावनाओं पर कुछ दिन पूर्व जांच की है; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार की निकट भविष्य में जांच प्रारम्भ करने की कोई योजना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). केरल राज्य के नापूमंगद तथा भुवानुपुजा के भागों में ग्रेफाइट की प्रारंभिक जांच पूर्ण हो चुकी है। भारत के भूतत्वीय परिमाप के १९५६/५७ के क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक अंश के रूप में, चालू ऋतु में ग्रेफाइट तथा अभ्रक निक्षेपों के व्यौरेवार नक्शे बनाये जा रहे हैं। जब यह काम पूर्ण हो जायेगा तब इस क्षेत्र में ग्रेफाइट तथा अभ्रक के खनन की सम्भावना का निर्धारण संभव होगा।

पाइराइट्स

†**७२०. श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के पृष्ठ ३७२ की अन्तिम कण्डिका के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में जिस पाइराइट के मिलने का पता है उस की किस्म तथा मात्रा का उचित निर्धारण करने के विचार से कोई व्यौरेवार जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने भूतत्ववेत्ताओं ने इसकी जांच की है;

(ग) नमूने के अयस्कों के विश्लेषण के क्या परिणाम हुए;

(घ) कितनी मात्रा की प्राप्ति का अनुमान है; और

(ङ) जांच से किस किस्म की पाइराइट्स का पता चला है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) चार।

(ग) प्रति टन अयस्क में औसतन २ प्रतिशत से कम गन्धक तथा २ पैनीव्हेट सोना है।

(घ) और (ङ). महत्वपूर्ण एल्फा खान, जिसकी व्यौरेवार अंशतः जांच की गई थी, में लगभग १३,००० टन अयस्क होने का अनुमान है जिसमें औसतन २·९१ प्रतिशत गन्धक है।

ज्ञान सरोवर

७२१. श्री ह० रा० नथानी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्ञान सरोवर के सभी खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितने खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं;

(ग) शेष खण्डों के कब तक प्रकाशित होने की सम्भावना है;

(घ) अब तक प्रकाशित हुए खण्डों पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ङ) शेष खण्डों पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) नहीं, जी।

(ख) केवल प्रथम खण्ड।

(ग) ३० दिसम्बर, १९५९ तक।

(घ) केवल ४०,४७८ रु०।

(ङ) लगभग १,६२,००० रु०।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत में अमरीकी नागरिक

७२२. **श्री ह० रा० नथानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने अमरीकी नागरिक व्यापार, अध्ययन और धर्म-प्रचार कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : आन्ध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों को छोड़ कर, जिनके बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, पहली जनवरी, १९५६ को भारत में रजिस्टर्ड अमरीकी नागरिकों की कुल संख्या ३,९०० थी। इनमें से १,६२९ धर्म प्रचारक, १८४ व्यापारी तथा ९८ विद्यार्थी थे।

नागा लोग

†७२३. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गिडवानी :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात्, अब तक कुल कितने नागा मारे गये हैं;

(ख) कितने अन्य व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए;

(ग) अब तक कितने नागाओं ने आत्म-समर्पण कर दिया है; और

(घ) नागाओं ने अब तक कितनी बन्दूकें आदि को समर्पित किया अथवा पदाधिकारियों द्वारा कितने छीने गए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) मारे गए अथवा जिनकी आशा है कि वह मारे गये, ऐसे विरोधी नागाओं की संख्या क्रमशः ६८६ तथा १४६ है जबकि विरोधियों द्वारा मारे गये नागा १७१ हैं।

(ख) सैनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त २३ मारे गये तथा ३० घायल हुए।

(ग) १३४।

(घ) विरोधी नागाओं ने ५१५ बन्दूकें आदि समर्पित कीं तथा उनमें ६३७ छीनी गयीं।

रेल के डिब्बों के लिये लकड़ी

†७२४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री गिडवानी :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में डिब्बों को बनाने के लिये खराब लकड़ी दिये जाने और उस के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष पुलिस संस्थापन अब जांच कर रही है । इस समय ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है ।

दशमलव प्रणाली के सिक्के

†७२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दशमलव मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत नये ढंग के छोटे सिक्के पर्याप्त मात्रा में तैयार करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : भारत सरकार की तीनों टकसालें अपने पूरे सामर्थ्य अर्थात् ५४ घंटे प्रति सप्ताह कार्य कर रही हैं । टकसालों का कुल उत्पादन, एक मास में अनुमानत: ८०० लाख सिक्के है ।

इस समय इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि जनता इस प्रकार की मुद्राओं की कितनी मांग करेगी तथा क्या प्राप्य मात्रा मांग के लिये पर्याप्त होगी या नहीं परन्तु जनता को इसलिये कोई असुविधा न होगी क्योंकि चालू मुद्रायें भी, नवीन दशमलव मुद्राओं के साथ-साथ १ अप्रैल, १९५७ से कम से कम तीन वर्ष के लिये वैध मुद्रायें रहेंगी ।

चीन को सैनिक शिष्टमंडल

†७२६. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक शिष्टमंडल, जिसके नेता लेफ्टिनेन्ट जनरल जे० एन० चौधरी थे, अक्तूबर १९५६ में चीन गया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां जाने का क्या उद्देश्य था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) चीनी सरकार के निमंत्रण पर यह शिष्टमण्डल सद्भावना यात्रा के लिये गया था ।

मैसूर में सोने की नई खान

†७२७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोलार सोने की खानों के क्षेत्र के निकट मैसूर में दूसरी सोने की खान मिली है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, नहीं ।

बुनियादी शिक्षा को आंकन वाली समिति

†७२८. { **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी शिक्षा को आंकने वाली समिति की कौन-सी सिफारिशें अब तक लागू की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३९]**

भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामले

†७२९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री रामचन्द्र रेड्डी :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **वित्त** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के वित्तीय मामलों को जो अभी तय नहीं हुए, हल करने के लिये भारत तथा पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह तिथि क्या है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†७३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के और १६ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपनी पहली और दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४०]**

पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†७३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब राज्य में कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल स्थापित किये गये; और

(ख) माध्यमिक स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूल बनाने के लिये पंजाब को पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितना अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) बहुप्रयोजनीय स्कूल बनाने के लिये ३५ हाई स्कूल चुने गये थे किन्तु उनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है ।

	रुपये
(ख) (१) पहली पंचवर्षीय योजना	४८,६१,८५७
(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना	२,५४,७१,०००

†मूल अंग्रेजी में ।

खादी

†७३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, नौसेना और विमान सेना ने १९५५ में और १९५६ में अब तक कितनी और कितने मूल्य की खादी खरीदी है ;

(ख) वह किस लिये खरीदी गई थी; और

(ग) उन वर्षों में कितना और कितने मूल्य का गैर-खादी कपड़ा खरीदा गया और किस लिये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क)

	परिमाण (गजों में)	मूल्य (रुपयों में)
१९५५-५६—		
सेना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विमान सेना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नौ सेना	६३,८०५	४०,३२२
१९५६-५७—		
सेना	३,६८१	५,४००
विमान सेना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नौ सेना	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) नैपकिन्स (छोटे तौलिये) बनाने और सफाई के काम के लिये ।

(ग)

१९५५-५६—		
सेना	९४,७४,५३२	१८९,५९,०१७
विमान सेना	५६,०२७	२,६२,१७३
नौ सेना	७,१३,५३८	१४,३२,६१२
१९५६-५७ (अक्तूबर/नवम्बर, १९५६ तक)—		
सेना	६२,३३,८४७	१,४४,८४,१२३
विमान सेना	७६,८००	२,१६,९७४
नौ सेना	१५,८२६	२७,५६७

प्रयोजन : सेवाओं के लिये पोशाक, कपड़े का सामान आदि बनाने के लिये खरीदा गया ।

सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

†७३३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५६ में अब तक भारत में कितने सांस्कृतिक शिष्टमंडल आये;

(ख) उसी अवधि में विदेशों के साथ कितने सांस्कृतिक समझौते किये गये और वे किस प्रकार के थे; और

(ग) सरकार न इन शिष्टमंडलों पर कितना व्यय किया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४१]**

†मूल अंग्रेजी में ।

यूनेस्को समितियां

†७३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक यूनेस्को की कितनी समितियों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: १५ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†७३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या-क्या मुख्य कार्य किये हैं; और

(ख) उसी अवधि में उसने विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशियां मंजूर की हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ में विहित संविहित प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें ।

पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†७३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोड न राज्य के अनुसचित क्षेत्रों में कोई कल्याण विस्तार परियोजना चालू की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तस्कर व्यापार

†७३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से नवम्बर, १९५६ तक पश्चिम बंगाल की सीमा पर तस्कर व्यापार करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) कितने मूल्य का माल जब्त किया गया ;

(ग) उसमें मुख्य चीजें क्या थीं; और

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों का दोष सिद्ध हुआ ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जुलाई स अक्तूबर १९५६ तक पश्चिम बंगाल की सीमा पर तस्कर व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ख) उस अवधि में कुल ४,४५,७७७ रुपये के मूल्य का माल जब्त किया गया ।

(ग) उसमें मुख्य चीजें ये थीं : सुपारी, चटाइयां, सोना, चांदी, भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा और सूती वस्त्र ।

(घ) उस अवधि में तस्कर व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय में मुकदमे के लिये नहीं भेजा गया ।

नवम्बर, १९५६ के लिये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब की खनिज सम्पत्ति

†७३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंजाब राज्य की खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में पंजाब के भूतत्व तथा खनन निदेशालय ने अब तक जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं क्या उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित क्षेत्रों का सविस्तार भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पंजाब सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय परिमाप ने पंजाब के सम्बन्ध में जो मद दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये हैं, उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४२]**

यूनेस्को

†७३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनेस्को ने समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र और टेलीविजन के सम्बन्ध में बालकों तथा युवकों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, नहीं ।

राजस्थान में समाज-कल्याण परियोजनायें

†७४०. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में कितनी समाज-कल्याण परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी ; और

(ख) वे कहां-कहां स्थित होंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कल्याण-विस्तार परियोजनाओं का स्थान कई बातों के आधार पर, जैसे क्षेत्र की आवश्यकता, जनता का संभावित अंशदान इत्यादि पर निर्धारित किया जाता है ।

अनुसूचित क्षेत्रों को कोई वरीयता नहीं दी गई है और इसलिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं की संख्या नहीं बतायी जा सकती ।

करापवंचन

†७४१. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री क० कु० बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी लगभग कितना कर संभवत: नहीं दिया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार की कर इकट्ठा करने की व्यवस्था में सुधार करने के लिये कोई नई कार्यवाही की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). प्रोफेसर कालडोर के प्रतिवेदन के साथ-साथ ३० मई, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये टिप्पण की ओर ध्यान दिलाया जाता है। निरीक्षण (अनुसंधान) निदेशालय कर अपवंचन के महत्वपूर्ण मामलों का विवेचन कर रहा है और विशेष क्षेत्रों में, जो विभाग के खासकर चुने गये पदाधिकारियों के अधिकार में हैं, अनुसंधान किया जा रहा है।

सरकारी ऋण

†७४२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में वर्ष १९५६–५७ के लिये आयोजित सरकारी ऋण का कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल कितना ऋण लिया है?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) २२६·२६ करोड़ रुपये।

आयकर दोहरा कराधान

†७४३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १२ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लंका की सरकारों ने आयकर दोहरा कराधान हटाने के सम्बन्ध में करार का तब से अनुसमर्थन किया है; और

(ख) वह करार कब से लागू होगा ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अभी, नहीं।

(ख) करार इसके पश्चात् लागू होगा जब कि :

(१) लंका का सीनेट आवश्यक संकल्प पारित कर चुकेगा; ऐसा ही एक संकल्प लंका की प्रतिनिधि-सभा पहले पारित कर चुकी है।

(२) भारत सरकार के राज पत्र में भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४९-क के द्वारा अपेक्षित आवश्यक अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकेगी।

आदिम जातियों के छात्र

†७४४. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के स्कूलों में अभी आदिम जातियों के कितने छात्र कक्षा ९ और १० में पढ़ रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १४३।

त्रिपरा में आदिम जातियों की छात्रायें

†७४५. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिम जातियों की छात्राओं के लिये कोई छात्रावास है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या सरकार को गणतांत्रिक नारी समिति, त्रिपुरा के पास से कोई अभ्यावेदन अगरतला तथा खवाई में दो ऐसे छात्रावासों की स्थापना करने के बारे में प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

चक्र आदिम जाति झूमिया

†७४६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा में चक्र आदिम जाति झूमियों के कितने लोगों को पुनः बसाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सैंकड़ों चक्र झूमियों ने त्रिपुरा की माम और देव घाटी में पुनर्वास के लिय आवेदन किया है; और

(ग) उनके पुनर्वास में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) २५३ परिवार ।

(ख) जी, नहीं । इन घाटियों में पुनर्वास के लिये केवल १९६ परिवारों ने आवेदन भेजा है ।

(ग) त्रिपुरा का भूमिकर सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । भूमि पर बसाने के लिये स्वीकृति देने से पूर्व प्रत्येक आवेदन पर किसी उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा स्थायी जांच आवश्यक है जिससे समीपस्थ भू-मालिकों के साथ कोई झगड़ा न हो । इस बाधा के होते हुए भी १९६ परिवारों में से १३७ परिवार बसाये जा चुके हैं । उन्हें यथाशीघ्र बसाने क लिये त्रिपुरा प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बच्चों तथा निराश्रित स्त्रियों का कल्याण

†७४७. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों तथा निराश्रित स्त्रियों के कल्याण की कुछ संस्थायें सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक में रहने वाल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके भरण-पोषण पर कितना व्यय होता है;

(ग) क्या निराश्रित स्त्रियों तथा बच्चों की देख-रेख के लिये निकट भविष्य में कुछ नई संस्थायें खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और उन पर कितना खर्च होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अफीम

†७४८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में अब तक अफीम का कुल कितना उत्पादन हुआ और उससे कितनी आय हुई; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें अफीम का उत्पादन तब से निषिद्ध कर दिया गया है अथवा निषिद्ध करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) वांछित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४३]**

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य में पोस्त की खेती १ अक्तूबर, १९५४ से बन्द कर दी गई है। सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में से किसी भी राज्य में पोस्त की खेती बन्द करने का नहीं है जहां पोस्त की खेती अफीम तैयार करने के लिये की जाती है।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

†७४९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
डा० रामा राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में कब लेने जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : केन्द्रीय सरकार शैक्षिक विशेषज्ञों की उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है, जो शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य सम्मिलित पहलुओं से प्रस्ताव की जांच करने के लिये बनाई गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में लेने का प्रश्न प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लेने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा ।

संस्कृत आयोग

†७५०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत आयोग ने अब तक किन-किन स्थानों का दौरा कर लिया है; और

(ख) क्या उसने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक भी नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

उप-कुलपति, त्रावनकोर विश्वविद्यालय

†७५१. **श्री वेलायुधन** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के सेवा-काल में कुछ वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या कोई प्रति-कुलपति नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रावणकोर-कोचीन में तीन पुलिस पदाधिकारियों का मुअत्तल किया जाना

†७५२. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व त्रावणकोर-कोचीन राज्य में तीन पुलिस पदाधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया था और उनके कदाचार के बारे में जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, जो इस मामले की जांच कौन कर रहा है;

(ग) पदाधिकारियों का कदाचार किस प्रकार का था; और

(घ) जिस घटना के कारण उन्हें मुअत्तिल किया गया वह कहां घटित हुई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । जांच पूरी हो गई है ।

(ख) भूतपूर्व महा-निरीक्षक (भ्रष्टाचार-विरोधी) ने सहायक सुपरिंटेण्डेण्ट पुलिस (अपराध शाखा) की सहायता से जांच की थी ।

(ग) अनैतिकता ।

(घ) मवेलीकाड़ा के सरकारी विश्राम गृह में ।

अनभिलिखित आय

†७५३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों की अनभिलिखित मदों में से बैंक व्यापार बीमा, नौवहन, तथा पर्यटक यातायात में से प्रत्येक से अलग-अलग कितनी वार्षिक आय हुई; और

(ख) इन मदों में अपनी विनिमय आय बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) महाजनी तथा नौवहन से आय के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी नौवहन में परिवहन से अत्यधिक आय होती है । इनसे, बीमा से तथा पर्यटक यातायात से आय के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	बीमा	परिवहन	पर्यटक यातायात
१९५१	१०·५	३९·९	७·७
१९५२	९·५	३६·६	९·८
१९५३	८·७	३१·८	७·१
१९५४	७·८	३३·७	८·४
१९५५	९·३	३८·२	१०·२

(ख) बैंक व्यापार के बारे में भारतीय बैंक व्यापार समवायों ने पिछले तीन वर्षों में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में तीन तथा बर्मा में एक नया कार्यालय खोला है ।

बीमा के बारे में

(१) भारत के जीवन बीमा निगम का पंजीयन मलाया, संघ, सिंगापुर, हांगकांग, फिजी, कीनिया तथा युगांडा के उपनिवेशों में पहले ही किया जा चुका है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) अदन, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, न्यासलैण्ड तथा मारिशस में इसके पंजीयन का प्रयत्न किया जा रहा है;

(३) यदि कठिन शर्तें न लगाई जायें तो निगम का पंजीयन बर्मा और लंका में भी करने का विचार किया जा रहा है; और

(४) भारत में पुनर्बीमा आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया गया है, जिससे आशा की जाती है कि बीमा से हमारी विदेशी आय में वृद्धि हो जायेगी ।

नौवहन के बारे में :

(१) पूर्वी तथा पश्चिमी नौवहन निगमों की स्थापना हो चुकी है;

(२) रियायती ब्याज की दर पर समुद्रपार जहाज़ों को प्राप्त करने के लिये ऋण स्वीकृत किये गये हैं;

(३) सरकार द्वारा नियंत्रित सामान में भारतीय जहाज़ों को प्राथमिकता दी गई है जिससे विदेशी विनिमय व्यय बचता है;

(४) विभिन्न समुद्रपार जहाज़ी संघों में प्रवेश पाने के लिये भारतीय जहाज़ कम्पनियों की सहायता की गई है । इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप समुद्रपार व्यापार में लगे भारतीय नौवहन का समस्त पंजीबद्ध टन भार १९५१ के अन्त में १,७३,५०५ टन से बढ़कर ३१ अक्तूबर, १९५६ को २,६७,४२२ टन हो गया है ।

और अन्त में पर्यटक यातायात के बारे में निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) १२ भारतीय नगरों में और न्यूयार्क सेनफ्रांसिसको, पेरिस, लन्दन, कोलम्बो और सिडनी में पर्यटक कार्यालय खोले गये हैं, तीन भारतीय नगरों में तीन और कार्यालय खोले जाने वाले हैं;

(२) भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में पर्यटन सम्बन्धी साहित्य तैयार किया गया है और वितरित किया गया है;

(३) यात्रा सम्बन्धी चलचित्र वितरित किये गये हैं और समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन प्रदर्शनियों, मेलों तथा प्रदर्शनों के द्वारा प्रचार किया गया है;

(४) देश के अन्दर यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है;

(५) यात्रियों के लिये सरकारी नियम आदि सरल कर दिये गये हैं;

(६) भारत में क्रय के लिये पर्यटकों के विशेष वर्गों को अधिकाधिक सुविधायें दी जा रही हैं; और

(७) होटलों, यात्रा अभिकरणों आदि में मुद्रा परिवर्तन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

आंशिक रूप में इन उपायों के परिणामस्वरूप भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में अनुमान लगाया गया है कि वह १९५१ में २०,००० से बढ़कर १९५५ में ४४,००० हो गई है ।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

†७५४. **श्री अ० म० थामस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या होगी; और

(ख) क्या उस उच्च न्यायालय में कोई नई नियुक्ति भी की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (पं० गो० ब० पंत)** : (क) केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ निश्चित की गई है ।

(ख) दो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाने वाली है ।

केन्द्रीय सचिवालयों में असिस्टेंट (सहायक)

†७५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५५ की परीक्षा में बहुत से व्यक्तियों को न्यूनतम निर्धारित अंक, अर्थात् ४० प्रतिशत से अधिक अंक मिलने पर भी सफल घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने सरकारी नौकरियों में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह सर्वथा संघ लोक सेवा आयोग का विवेक है कि वह अपने द्वारा संचालित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का अंकों के रूप में एक योग्यता मानक निर्धारित कर दे । किन्तु सहायकों के स्थान के लिये जो पिछली परीक्षा हुई थी, उसमें कुल अंकों का ४५ प्रतिशत प्राप्त करने वाले ११३६ उम्मीदवार आयोग द्वारा सफल घोषित कर दिये गये हैं ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि केवल सफल उम्मीदवारों के पत्रादि ही गृह-कार्य मंत्रालय के पास हैं ।

'सेण्डविच' पाठ्य-क्रम योजना

†७५६. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 'सेण्डविच' पाठ्य-क्रम नाम से एक औद्योगिक प्रशिक्षण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये केन्द्रों का चुनाव कर लिया गया है;

(ग) केन्द्रों की संख्या कितनी है, प्रत्येक केन्द्र के लिये कितने स्थान तथा वे केन्द्र कहां-कहां हैं; और

(घ) योजना कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). आवश्यक ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

(घ) आवश्यक प्रबन्ध पूरे हो जाने पर योजना लागू कर दी जायेगी ।

भारतीय ओलम्पिक संघ

†७५७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन को १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में अभी तक कितनी सहायता दी गई और प्रत्येक मद की अलग-अलग राशि कितनी थी ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मेलबोर्न में १९५६-५७ के ओलम्पिक खेलों में जाने वाले खिलाड़ियों और मिशन के प्रमुख के लिये परिवहन, निवास, भोजन तथा जेब खर्च के अतिरिक्त अन्य खर्च की पूर्ति के लिये १,५७,४९६ रु० २ आ० ३ पा० का अनुदान और १,१०,५०० रु० का ऋण दिया गया है। प्रत्येक मद के लिये अलग-अलग राशि निर्धारित नहीं की गई। १९५५-५६ में अनुदान नहीं दिया गया ।

विशेष पुलिस संस्थापन

†**७५८. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र में विशेष पुलिस संस्थापन खुफिया विभाग, और दिल्ली राज्य पुलिस अलग-अलग पुलिस महानिरीक्षकों के अन्तर्गत स्वतन्त्र संगठनों के रूप में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन संगठनों के गैर-राजपत्रित पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम में विषमता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने तीनों संगठनों को एक पदालि के अन्तर्गत लाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले पदाधिकारियों का सम्बन्ध है दिल्ली पुलिस, विशेष पुलिस संस्थापन और खुफिया विभाग के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन क्रम में कोई विषमता नहीं है। किन्तु दिल्ली पुलिस के प्रत्यक्ष भरती किये गये पदाधिकारियों और खुफिया विभाग और विशेष पुलिस संस्थापन के इस प्रकार के पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतनक्रम में थोड़ी विषमता है। विषमता का कारण यह है कि दिल्ली पुलिस के गैर-राजपत्रित कर्मचारी संयुक्त पंजाब-दिल्ली पदालि पर हैं तथा पंजाब में प्रचलित वेतन-क्रम दिल्ली पुलिस पर लागू है। खुफिया विभाग और विशेष पुलिस संस्थापन के अपने वेतनक्रम हैं जो दिल्ली पुलिस से कुछ अधिक हैं।

(ग) तीनों संगठनों की पदालि को सम्मिलित करना अव्यावहारिक है ।

दिल्ली में बम विस्फोट

†**७५९. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जून और अगस्त, १९५६ में जो बम फेंके गये थे, सरकार के विस्फोटक-वस्तु विभाग के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार वे किस प्रकार के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: इस अवधि में पांच विस्फोटन हुए हैं। विस्फोटक-वस्तु विशेषज्ञ के अनुसार प्रथम तीन विस्फोटों में पटाखों की किस्म के देशी विस्फोटों का प्रयोग किया गया है, जबकि पिछले दो मामलों में सेना के हथगोले प्रयुक्त किये गये थे ।

बिहार और उड़ीसा के आदिम जाति क्षेत्रों का विकास

†**७६०. श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उड़ीसा के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये १९५३-५४ और १९५४-५५ में अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उपरोक्त अवधियों में से किसी अवधि में कितनी राशि व्यपगत हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) यदि हां, तो उसके कारण; और

(घ) क्या व्यपगत राशि बाद में उपलब्ध हो गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४४]**

(ख) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी

†**७६१. श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचारार्थ निर्धारित १३० लाख रुपये की राशि उन आदिम जाति क्षेत्रों अथवा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में भी खर्च की जायेगी, जहां लोग आदिम जाति भाषाएं बोलते हैं;

(ख) क्या आदिम जातियों में हिन्दी के प्रचार के लिये उपरोक्त निधि के अतिरिक्त कोई विशेष निधि भी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जातियों के लिये राज्यवार कितनी राशि निर्धारित की गई; और

(घ) प्रत्येक राज्य में आदिमजाति क्षेत्रों में १९५५-५६ में किये गये कार्य एवं प्रगति का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (घ). विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। उत्तर पूर्व सीमान्त को छोड़कर अन्यत्र आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । उत्तर-पूर्व सीमान्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर विवरण रख दिया जायेगा ।

उत्पादशुल्क, उपकर और सीमाशुल्क

†**७६२. श्री क० कु० बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में उत्पादशुल्क, उपकर और सीमाशुल्क के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) इन करों में से प्रत्येक का कितना अनुपात विभिन्न आय वाले समूह से प्राप्त हुआ है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (शुल्क की राशि हजार रुपयों में)	सीमा शुल्क उपकर सहित (शुल्क की राशि हजार रुपयों में)
१९५३–५४	८५,९३,१६	१,६१,१३,७४
१९५४–५५	१,००,१३,८२	१,८८,४२,००
१९५५–५६	१,३९,९३,०१	१,७०,५५,३३

केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग द्वारा संग्रहीत उपकर के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ८९९–९२५

तारांकित

प्रश्न संख्या **विषय**

९२७ कोयला खनन मशीनें ८९९

९२८ तेल शोधक कारखाना ९००–०१

९२९ नागा ९०२

९३० नेपाल की पंचवर्षीय योजना ९०२–०४

९३३ विदेशों को ऋण ९०४

९३४ नौसैनिक अभ्यास ९०४–०५

९३५ यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ९०५–०७

९३६ राजप्रमुखों और उप-राजप्रमुखों के पद ९०७–०९

९३७ अतिरिक्त शिविर क्षेत्र ९०९

९३८ सेना चिकित्सा सेवा अभ्यास और सम्मेलन ९०९–१०

९४२ सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा तलाशी ९१०–१२

९४५ नागा लोग ९१२–१४

९४६ विश्व बैंक से ऋण ९१४

९५७ विश्व बैंक ... ९१४–१८

९४७ अन्तर्राष्ट्रीय गाइड आयुक्त सम्मेलन ९१८

९४९ जन्तर-मन्तर ... ९१८–१९

९५० भवनों का निर्माण ९१९

९५२ अनुसूचित जाति कल्याण ९१९–२०

९६३ सामान्य निर्वाचन ९२०–२२

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

२ दिल्ली में पटाखा विस्फोट ९२२–२४

३ श्रमिकों को छंटनी का प्रतिकर ९२४–२५

प्रश्नों के लिखत उत्तर ९२५–४८

तारांकित

प्रश्न संख्या

९३१ सरकारी कर्मचारियों द्वारा लेन-देन ... ९२५–२६

९३२ सेनाओं में मद्य-निषेध ९२६

९३९ ओलम्पिक खेल ९२६

९४० त्रिपुरा में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक ... ९२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९४१	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी	९२७
९४३	त्रिपुरा की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक	९२७
९४४	विदेशी बीमा समवाय	९२७–२८
९४८	मन्नार में पब्लिक स्कूल	९२८
९५१	मनीपुर में विकास कार्य	९२८
९५३	केरल में ताड़ी की दुकानें	९२८–२९
९५४	सूर्यतापी चूल्हा	९२९
९५५	हिन्दी छात्रवृत्तियां	९२९
९५६	न्यूज़ीलैण्ड से सहायता	९२९–३०
९५८	भारत में विदेशी पहलवान	९३०
९५९	प्रतिकर भत्ता	९३०
९६०	चुनावों में परिरूप-धारण	९३०
९६१	त्रिपुरा में कोयले का खनन	९३१
९६२	जम्मू तथा काश्मीर राज्य से आय-कर	९३१
९६४	शिक्षा संस्थाओं में जाति-वाद	९३१
९६५	तेल की खोज ...	९३२
९६६	त्रिपुरा में सत्र न्यायाधीश	९३२

अतारांकित

प्रश्न संख्या

७१६	युद्धपोत ...	९३२–३३
७१७	आसाम तथा उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज	९३३
७१८	तेल सर्वेक्षण	९३३
७१९	अभ्रक तथा ग्रेफाइट	९३३–३४
७२०	पाइराइट्स	९३४
७२१	ज्ञान सरोवर	९३४
७२२	भारत में अमरीकी नागरिक	९३५
७२३	नागा लोग ...	९३५
७२४	रेल के डिब्बों के लिये लकड़ी	९३५–३६
७२५	दशमलव प्रणाली के सिक्के	९३६
७२६	चीन को सैनिक शिष्टमण्डल	९३६
७२७	मैसूर में सोने की नई खान ...	९३६
७२८	बुनियादी शिक्षा को आंकने वाली समिति	९३६–३७
७२९	भारत पाकिस्तान वित्तीय मामले	९३७
७३०	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्	९३७
७३१	पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल	९३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७३२	खादी ...	९३८
७३३	सांस्कृतिक शिष्टमंडल	९३८
७३४	यूनेस्को समितियां ...	९३९
७३५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ...	९३९
७३६	पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें	९३९
७३७	तस्कर व्यापार ...	९३९
७३८	पंजाब की खनिज सम्पत्ति	९४०
७३९	यूनेस्को	९४०
७४०	राजस्थान में समाज कल्याण परियोजनायें	९४०
७४१	करापवंचन	९४०–४१
७४२	सरकारी ऋण	९४१
७४३	आय कर दोहरा कराधान	९४१
७४४	आदिम जातियों के छात्र ...	९४१
७४५	त्रिपुरा में आदिम जातियों की छात्रायें	९४१–४२
७४६	चक्र आदिम जाति झूमिया	९४२
७४७	बच्चों तथा निराश्रित स्त्रियों का कल्याण	९४२
७४८	अफीम ...	९४२–४३
७४९	उस्मानिया विश्वविद्यालय	९४३
७५०	संस्कृत आयोग ...	९४३
७५१	उप-कुलपति, त्रावनकोर विश्वविद्यालय ...	९४३–४४
७५२	त्रावनकोर-कोचीन में तीन पुलिस पदाधिकारियों का मुअत्तल किया जाना	९४४
७५३	अनभिलिखित आय	९४४–४५
७५४	केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ...	९४६
७५५	केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंट (सहायक)	९४६
७५६	'सेण्डविच' पाठ्यक्रम योजना	९४६
७५७	भारतीय ओलम्पिक संघ	९४६–४७
७५८	विशेष पुलिस संस्थापन	९४७
७५९	दिल्ली में बम विस्फोट	९४७
७६०	बिहार और उड़ीसा के आदिम जाति क्षेत्रों का विकास	९४७–४८
७६१	आदिम जाति क्षेत्रों में हिन्दी	९४८
७६२	उत्पाद शुल्क, उपकर और सीमा शुल्क	९४८

M18LSD—190—7-2-1958—GIPF.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

(~~१४ नवम्बर~~ ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 7-4-92 Fumigated On 29/11/83 Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२.०२ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:--

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३८९ तथा २३९० दिनांक २७ अक्टूबर, १९५६।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५५५ से २५६३ दिनांक १० नवम्बर, १९५६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--५२०/५६]

रेलवे इंजनों तथा बायलरों के मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार का संकल्प

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(१) टाटा लोकोमोटिव तथा इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड १९५६ द्वारा तैयार किये गये रेलवे इंजनों तथा बायलरों के मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

(२) भारी उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या इंग-इंड १७(१७)/५६ दिनांक २३ नवम्बर, १९५६।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस--५२१/५६]

---

†मूल अंग्रेजी में।

M47LSD—1

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं १९५६–५७ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण उपस्थापित करता हूं ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है "कि राज्य-सभा ने ५ दिसम्बर, १९५६ को हुई अपनी बैठक में, हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है जिसे लोक-सभा ने २१ नवम्बर, १९५६ की अपनी बैठक में पारित किया था "।

कार्य मंत्रणा समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में ४ दिसम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जोकि सभा में ४ दिसम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान् सभा का कार्य निबटाने के लिये समय कम रहेगा ।

मैं समझता हूं कि सभा के सामने कार्य अत्यावश्यक प्रकार का है । संसद् के पास समय की कमी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अत्यावश्यक प्रकार का काम इस सत्र के लिये रखा है ।

जो कार्य शेष है वह भी आवश्यक है । यह सत्र सभा का एक प्रकार से अन्तिम सत्र है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा ८, १५ तथा २२ दिसम्बर को भी बैठे और २१ दिसम्बर तक १ घंटा अधिक बैठे।

इस सत्र को एक दिन से अधिक नहीं बठाया जा सकता । श्रीमान् इस सम्बन्ध में सभा की राय ले ली जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्रीमान्, कार्य मंत्रणा समिति की एक सदस्या होने के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि यह मामला पहले समिति के समक्ष नहीं रखा गया । इस कारण मैं प्रार्थना करती हूं कि पहले इस मामले पर समिति विचार करे तथा बाद में सभा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : श्रीमान्, मैं भी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष पहले नहीं रखा गया।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं उस बैठक में नहीं था।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : आपके स्थान पर दूसरा मंत्री था। वहां ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया।

हमें कार्यक्रम का पता होना चाहिये। इस समय इसे लम्बित ही रखा जाये।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, हमें वैसे तो जो कार्यक्रम एक बार नियत कर लिया जाये, उसी के अनुसार काम करना चाहिये। श्री मावलंकर ने भी ऐसा एक बार कहा था। किन्तु यदि कोई महत्वपूर्ण विधेयक पड़े हैं, तो उन्हें एक या दो दिन अधिक बैठ कर पारित करने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् गत सत्र में आपने आश्वासन दिया था कि या तो सभा एक घंटा अधिक बैठेगी या शनिवार को बैठेगी। आपकी इच्छा के अनुसार यह तै कर पाया था कि एक घंटा अधिक बैठा जा सकता है किन्तु शनिवार को नहीं। इसके बाद क्या यह आवश्यक है कि हम क्रिसमिस से पहले ही समाप्त करें ?

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : निस्संदेह।

श्री कामत : क्रिसमिस के दिनों हम छट्टी कर सकते हैं। खैर, यह सब मामला कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख जाना चाहिये। वहां इस पर विचार किया जाये तब जो सिफारिशें वह समिति करे, उन पर सभा में विचार किया जाये।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, कि मामले पर कार्य मंत्रणा समिति विचार करे, किन्तु इस समय नियतन के बारे में कार्य मंत्रणा समिति ने ही निर्णय किया था। मैंने कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार ही हिसाब लगाया है और यह इसीलिये कहा है ताकि सभा नियत समय अर्थात् २१ दिसम्बर तक ही बैठे। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति दो बारा मामले पर विचार करे। सदस्य स्वयं इसे समझ सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों को जल्दी जाना चाहेंगे।

इसके अतिरिक्त यह प्रथा रही है कि हम क्रिसमिस के बाद न बैठें। यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो सभा इस सम्बन्ध में निर्णय करे। मेरे कहने का आशय यह है कि इस सत्र में हमें ये सभी विधेयक पारित करने हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस समय नये विधेयक तो आयेंगे नहीं। इसलिये हमें कार्य मंत्रणा समिति में आवश्यक समय के सम्बन्ध में पता लगना चाहिये। मैं नहीं समझती कि इस मामले को बिना समिति में लाये यहां लाने की इतनी क्या आवश्यकता थी।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इस बात को मैं कितनी बार स्पष्ट करूं कि समय नियतन का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने ही किया था। कार्य मंत्रणा समिति के नियत किये हुए समय के आधार पर ही मैंने यह वक्तव्य दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय संसद् मंत्री ने हिसाब लगाया है। वे इस बात से सहमत हैं कि इन विधेयकों को इस सत्र में पारित कराने के लिये समय निकाला जाये। माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर विचार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

मैं चाहता हूं कि कल सभा की बैठक हो। और कल ४ बजे से ५ बजे तक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो। वहां मंत्री सारा कार्य रखें ताकि उस पर व्यापक विचार हो सके और समय निकाला जा सके।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : कल की बैठक का समय क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वही ११ से ५ तक ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मुझे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में जाना है, जिसमें सभी मुख्य मंत्री आ रहे हैं। कल मैं अधिक समय वहां रहूंगा। मैं यह कहूंगा कि कल तथा सोमवार को वित्त विधेयक पर चर्चा न की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक*

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले अधिनियम को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त (संख्या २) विधेयक
तथा
वित्त (संख्या ३) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कृष्णमाचारी द्वारा वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक के सम्बन्ध में ५ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार करेगी। इसके लिये शेष समय ८ घंटे १७ मिनट का है।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैंने अपना भाषण समाप्त कर लिया है।

†**श्री तुलसीदास** (महेसाना—पश्चिम) : विधेयक पर विचार करने से पूर्व मैं अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में है। इस समय दोनों विधेयक साथ-साथ लिये हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : इसके बारे में निर्णय हुआ था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के असाधारण गजट भाग २ विभाग २, दिनांक ७-१२-५३ में प्रकाशित।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सदस्य ने सूचना दी थी ?

†**श्री तुलसीदास** : मैंने सूचना दी थी । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।"

यह वित्त (संख्या ३) के बारे में है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या सदस्य को मालूम है कि सभा २१ को उठ रही है और फिर विधेयक दूसरी सभा में भी जायेगा ।

†**श्री तुलसीदास** : श्रीमान् मैं इस मामले में आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्या यह ठीक है कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार से अर्थात् जल्दबाज़ी से पारित किया जाये । इस विधेयक के अधीन मामले स्थायी प्रकार के हैं । इसके उपबन्धों से विधि पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । इसलिये इन बातों पर बड़े ध्यान से विचार किया जाना आवश्यक है । कम से कम इसे एक प्रवर समिति को तो सौंपा ही जाये ।

प्रकटतया यह विधेयक अच्छी तरह तैयार नहीं किया गया । निगमों के रक्षित धन को आवश्यक रूप से जमा कराना वित्त विधेयक में ठीक प्रकार से सम्मिलित नहीं किया जा सकता । दूसरे इसके उपबन्धों के अनुसार १९५७–५८ में कर एकत्रित किये जायेंगे । क्या यह सभा ऐसा कर सकती है । मेरे विचार में यह एक संवैधानिक प्रश्न है । पहले कभी किसी सरकर ने नवम्बर के महीने में कर नहीं लगाये हैं पहले ऐसा कोई मामला नहीं हुआ । इस कारण मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करे । जब श्री देशमुख वित्त मंत्री थे इसी प्रकार का प्रश्न मैंने उठाया था । उस समय आपने कहा था कि वित्त विधेयक द्वारा कर लगाये जाते हैं जो उसी वर्ष में लगाये जाते हैं । मुख्य प्रयोजन व्यय के लिये रुपया इकट्ठा करना होता है । इस कारण इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध सम्मिलित न किये जाने चाहियें, जिनसे अन्य विधियों पर प्रभाव पड़े । यदि किसी विधेयक में संशोधन करना हो तो वह दूसरे तरीके से किया जाये और ध्यान से किया जाये । मैंने प्रश्न उठाया था तब आपने कहा था कि इस मामले पर पर्याप्त विचार की आवश्यकता है इसलिये ऐसा काम अगले वर्ष हो सकेगा इस वर्ष नहीं ।

इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस विधेयक के उपबन्ध अगले साल लागू होंगें– क्या यह ठीक है कि अब इस प्रकार की जल्दबाज़ी की जाये ।

दूसरी बात यह है कि क्या यह संवैधानिक दृष्टि से ठीक है ? हमें स्वस्थ परम्परायें बनानी चाहियें । हमें नहीं पता कि अगले चुनावों के बाद क्या होगा । इसलिये अगले वर्ष के लिये कर लगाना ठीक नहीं है । इस कारण मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस मामले में उचित कार्यवाही करें ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन और कारणों से करता हूं । कुछ वर्ष हुए श्री लियाकत अली खां ने पूंजी लाभ कर की प्रस्थापना की थी ।

†**श्री गाडगोल** (पूना—मध्य) : यह वैसे ही था ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : किन्तु अब वैसे ही नहीं होगा । यदि बड़े लोगों पर ही इन प्रस्तावित करों का प्रभाव पड़ता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु इससे देश में आर्थिक क्रियाकलाप कम होगा । गैर-सरकारी क्षेत्र को पूंजी जुटाने में कठिनाई होगी । मैं नहीं समझता कि यह कर प्रस्ताव प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य से कहां तक अनुकूल है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से न्याय किया जायेगा और उसे काफी छूट दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री गाडगील** : मेरा एक औचित्य, प्रश्न है । श्री तुलसीदास ने कहा है कि इसकी बजाये आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाये । मैं समझता हूं कि उसी पर विचार हो रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उसे सभा के सामने रख दिया है । उन्हें बोलने का हक है ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में इतने दृष्टिकोणों को सुनने और आपके निर्णय के बाद, अब हम आगे की अवस्थाओं को ले सकते हैं ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : संविधान संशोधन विधेयकों की चर्चा के समय कार्यमंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से सिफ़ारिश की थी कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे बिना सभा के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय ने भी यह बिलकुल स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि सामान्य नियम यही होना चाहिये कि संविधान में या सामान्य व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने वाले महत्वपूर्ण विधान को पहले प्रवर समिति को ही भेजा जाना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिये कर रहा हूं • • • • •

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या माननीय सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : क्या माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न का समर्थन करने के साथ ही साथ प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का भी समर्थन कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे प्रस्ताव के पक्ष में तर्क दे रहे हैं ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : ये दोनों ही अतिछादी हैं । औचित्य प्रश्न के समर्थन में तर्क यह दिया गया है कि इतने गम्भीर राजकोषीय परिवर्तन करने वाले और समूचे निजी क्षेत्र पर गम्भीर प्रभाव डालने वाले ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के लिये प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये । विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में ऐसी तमाम सूचनायें और ब्यौरे की बातेंहैं जिन हो सकती पर केवल प्रवर समिति में ही चर्चा करना उचित होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

वित्त (संख्या ३) विधेयक के दो भाग हैं । एक भाग में तो कर की दर निर्धारित की गई है । आयकर अधिनियम को संशोधित करके उसके संग्रह के तरीके को भी निश्चित कर दिया है । आयकर अधिनियम प्रक्रिया सम्बन्धी अधिनियम है ।

माननीय सदस्य श्री तुलसीदास ने दो बातें कहीं थीं । एक तो यह कि वित्त (संख्या ३) विधेयक अनदान की मांगें मंजूर होने से पहले प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि करों की दरें एक ही वर्ष के लिये निर्धारित की जाती हैं, सदा के लिये नहीं इसलिये इस वित्त (संख्या ३) विधेयक को अनुदानों की मांगों के स्वीकृत होने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

उनकी दूसरी बात यह थी कि कुछ वित्तीय व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करते समय इसी अवसर पर कुछ अन्य ऐसे अधिनियमों में, जो उनसे एकदम आनुषंगिक नहीं हैं, संशोधन करना वांछनीय नहीं है ।

माननीय सदस्य को इनके सम्बन्ध में क्या कहना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं दूसरी बात पर जोर दे रहा हूं कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े संशोधन किये जा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आवश्यक भी न रहें, क्योंकि हम अभी यह भी नहीं जानते कि अगले वर्ष की हमारी वित्तीय आवश्यकतायें क्या होंगी ।

इसलिये, श्री तुलसीदास की दूसरी बात में काफ़ी सार है । वह आप के विनिर्णय के भी अनुकूल है । आपने स्वयं कहा था कि संविधि में इतना अधिक परिवर्तन करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को इस प्रकार एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री चाहें तो हम प्रवर समिति में इस पर दो या तीन दिन में ही विचार कर सकते हैं । लेकिन इस पर प्रवर समिति में पूर्णरूप से चर्चा अवश्य की जानी चाहिये । प्रवर समिति इस विधेयक के संचालन को इस वर्ष के कुछ माहों के लिये भी सीमित कर सकती है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण आय-व्ययक और संशोधनों को सभा पर इस प्रकार थोपा नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री गाडगील** : श्री तुलसीदास ने दो बातें कही थीं, पहली तो यह कि इन कराधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये वैधानिक रूप से ठीक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, और दूसरी यह कि उसका औचित्य सिद्ध नहीं होता है ।

†**श्री तुलसीदास** : मैंने तो यह कहा था कि इस विधेयक के द्वारा आयकर अधिनियम संशोधन करना उचित नहीं है ।

†**श्री गाडगील** : जहां तक कि पहली बात का सम्बन्ध है, वित्त विधेयक के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया यही रही है कि उसके द्वारा कर सम्बन्धी सभी अधिनियमों में संशोधन किये जाते हैं । प्रत्येक आय-व्ययक प्रस्ताव और आनुषंगिक वित्तीय प्रस्ताव इसी प्रकार के रहे हैं ।

अब जहां तक औचित्य का प्रश्न है, क्या यह उचित है कि वर्तमान सभा आगे आने वाली सभा को इस सम्बन्ध में पहले से ही बाध्य कर दे ? मैं समझता हूं कि प्रत्येक पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को नैतिक, वैध और संवैधानिक रूप से बाध्य करने का अधिकार होता है । क्या पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हम पांच वर्षों के लिये उसे बाध्य नहीं कर रहे हैं ? वे यदि चाहें तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : वह प्रत्याखान भी कर सकती हैं ।

श्री गाडगील : फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या इस विधेयक के द्वारा कुछ सारभूत परिवर्तन किये जा रहे हैं । मेरी तो शिकायत यही है कि इसके द्वारा कोई सारभूत परिवर्तन नहीं किये गये हैं । हम इस पर और अधिक चर्चा कर सकते हैं ।

इसके लिये इसे प्रवर समिति को सौंपना व्यर्थ है । मेरा विचार तो यह है कि प्रवर समिति भी इस विधेयक के उपबन्धों में कुछ ऐसे ही परिवर्तन करेगी जो उनकी कार्यान्विति में प्रशासकीय रूप सें सुविधाजनक होंगे, लेकिन वह भी इस विषय में कोई सारभूत या उग्र परिवर्तन नहीं कर सकेगी । फिर, सरकार ने यह वचन भी दे ही दिया है कि योजना के ढांचे के अन्दर ही रहते हुए निजी उपक्रम के लिये जो भी प्रशासकीय रियायतें देना सम्भव हो सकेगा वह दी जायेंगी ।

फिर, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि देश की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मुद्रा-स्फीति वृद्धि पर है, ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन विधान प्रस्तुत करना बिलकुल उचित है । इसे देखते हुए तो कुछ बड़े-बड़े परिवर्तन करना भी उचित हैं । इसमें कुछ भी अवैधानिकता नहीं है । इसलिये औचित्य प्रश्न पर विचार करना ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : इस वर्ष कई वित्त विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिये हमें इसकी प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम २३८ पर सूक्ष्मता से विचार करना चाहिये । नियम २३८(१) में कहा गया है कि साधारणतया केवल एक ही वित्त विधेयक वर्ष के प्रारम्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। लेकिन, इस वर्ष हमारे सामने कई वित्त विधेयक आये हैं । अब आप नियम २३८ को उपनियम (२), (३), (४) और (५) को देखिये । उसमें वित्त विधेयकों सम्बन्धी प्रक्रिया बताई गई है । क्या अध्यक्ष महोदय इन नियमों को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं ? मैं यह इसलिये जानना चाहता हूं क्योंकि वित्त (संख्या ३) विधेयक के कुछ प्रस्ताव १ अप्रैल, १९५७ से प्रभावी होंगे, और इसलिये उनकी कोई शीघ्रता नहीं है । संसद् के अगले सत्र में उन पर विचार किया जा सकता है । नई संसद् द्वारा उन पर विचार करना ही अधिक उचित होगा । इसलिये, आपको इन वित्त विधेयकों की प्रक्रिया और औचित्य के सम्बन्ध में अधिक गहराई से विचार करना चाहिये ।

†**श्री राघवाचारी** : मैं केवल औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में ही कहूंगा । वित्त विधेयकों को उनके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

सबसे पहली आपत्ति तो यह है कि वित्त विधेयकों को आपाती इसलिये माना जाता है क्योंकि नये कराधान के बिना अगले वर्ष का आय-व्ययक संतुलित नहीं किया जा सकता है । लेकिन, ये प्रस्ताव तो अगले वर्ष के लिये ही नहीं, बल्कि अगले कई वर्षों के लिये हैं ।

इसके सम्बन्ध में दूसरी आपत्ति यह है कि वित्त विधेयक पर विचार करते समय तो सभी प्रकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन इस वर्तमान वित्त विधेयक के सम्बन्ध में हम वैसा नहीं कर सकते । इसके सम्बन्ध में, हम उन सभी कष्टों का उल्लेख नहीं कर सकते जो करदाता को उठाने पड़ेंगे ।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक द्वारा केवल कुछ निधियां संग्रह करने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके द्वारा निक्षेप भी अनिवार्य बनाये जा रहे हैं । अनिवार्य विनियोजन को वित्त विधेयक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ।

आगामी वर्षों के लिये की जाने वाली व्यवस्था को भी वित्त विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिये, इसे आपातकालीन विधेयक--वित्त विधेयक--नहीं माना जा सकता, और विशेष तौर पर जब कि इसके द्वारा आयकर विधेयक जैसी स्थायी विधियों में रूपभेद किया जा रहा है ।

संसद् को आपतकालीन असाधारण शक्तियां ग्रहण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह कार्य एक साधारण, सामान्य विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है । प्रश्न यह है कि क्या वर्ष के अन्त में निधियों का संग्रह करने और स्थायी विधियों में रूपभेद करने वाले विधेयक को, एक वित्त विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया जा सकता है ?

वित्त विधेयक को चालू वित्तीय वर्ष के कराधान तक ही सीमित रखा जाना चाहिये, उसे भावी कराधान के लिये सामान्य विधान नहीं बनाया जाना चाहिये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : संविधान के अनुच्छेद ११२ में दिया गया है कि संसद् के दोनों सदनों में प्रत्येक वर्ष के लिये भारत सरकार की अनुमित आय और व्यय का एक "वार्षिक वित्तीय विवरण" प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

सामान्यत: अनुदानों की मांगों के बाद ही वित्त विधेयक धारित किया जाता है । वित्त विधेयक में सदा ही उसी वर्ष के व्यय की व्यवस्था रहती है । लेकिन, इस विधेयक में मांगों का कोई उल्लेख ही नहीं

†मूल अंग्रेजी में ।

है और एक के स्थान पर तीन वित्त विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं। मैं नहीं समझता कि हम इन्हें वित्त विधेयक कैसे कह सकते हैं।

प्रस्तुत प्रश्न यह है कि इस विधेयक में स्थायी प्रकार की व्यवस्थाओं को सम्मिलित करना उचित है या नहीं। इसमें आगामी एक वर्ष ही नहीं अपितु कई वर्षों के लिये व्यवस्था की गई है। इस विधेयक को बड़ी आसानी से कई भागों में विभाजित किया जा सकता है।

आयकर विधेयक को संशोधित करने के लिये एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसे प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक है। इसके लिये जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह सही नहीं है। इस सभा में ही उस पर अधिक विस्तार से चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। प्रवर समिति में होने वाली और इस सभा में होने वाली चर्चा में अन्तर होता है।

सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को सभा में चर्चा के लिये प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये, जहां उन पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ चर्चा हो सके। तीन-चार दिन अधिक लग जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होगी।

इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध भी हैं जिन्हें आयकर अधिनियम का संशोधन भी नहीं माना जा सकता है। निक्षेपों से सम्बन्धित विधान भारतीय समवाय अधिनियम का ही भाग हो सकता है।

इसलिये इस विधेयक को पुनः प्रारूपित किया जाना आवश्यक है। इसमें केवल वही विषय रहने चाहिये जो वित्त विधेयक में रह सकते हैं। अन्य आगामी वर्षों से सम्बन्धित प्रस्थापनायें इसमें नहीं रहनी चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि आप इसके सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों पर अलग-अलग विचार करके ही अपना विनिर्णय दें। इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न तो इससे अलग ही है। इन विषयों पर आपका विनिर्णय प्राप्त होने के बाद ही हम इस प्रश्न पर पर चर्चा कर सकेंगे।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुपुर) : जब कभी भी सरकार को अधिक व्यय की आवश्यकता पड़े, तभी वह वित्त विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इसलिये, यह कहना उचित नहीं है कि कराधान विधेयकों को अब इस समय पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। आम चुनावों के पहिले हम कुछ अतिरिक्त कर लगा रहें हैं। यह बात स्वयं ही सरकार के सद्भाव का परिचायक है। हम जनता से यह कहने के लिये तैयार हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है।

एक सुझाव दिया गया था कि यह सभा को इस प्रकार का विधान पारित करने का हक नहीं है। इन विधेयकों में दो प्रकार के प्रस्ताव हैं——एक तो कराधान संबन्धी प्रस्थापनायें हैं, अर्थात् शुल्क बढ़ाना। सामान्यतः ऐसे विषय प्रवर समिति को नहीं सौंपे जाते हैं। दूसरे प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं——अनिवार्य निक्षेप से सम्बन्धित नये खण्डों का सम्मिलित किया जाना। क्या सरकार वित्त विधेयक द्वारा कराधान के नये सिद्धान्त लागू कर सकती है ? मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, और इसीलिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना आवश्यक है।

ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में हमें शीघ्रता नही करनी चाहिय। इस पर प्रवर समिति में ही पूरी तौर पर विचार किया जा सकता है। कम से कम इस भाग को तो प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया ही जाना चाहिय।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि मेरी ओर के जिन माननीय सदस्यों ने मेरे मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द के प्रस्ताव का समर्थन किया था, उन्होंने इस विलम्बकारी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

औचित्य प्रश्न के तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव के स्वरूप को भलीभांति नहीं समझा है। निश्चय ही मेरे माननीय मित्र विधान में विलम्ब करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तथा औचित्य प्रश्न का और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का यही उद्देश्य है।

मैं गत वित्त विधेयक तथा उसकी रचना पर की गई उन टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जो उन चर्चाओं के दौरान में की गईं थी जिनका उल्लेख किया गया है। गत वित्त विधेयक द्वारा आयकर अधिनियम की सत्तरह धाराओं तथा विभिन्न उप-धाराओं में संशोधन किया गया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं, कि और अधिक जांच करने की बात उठाने का मामला है या नहीं है। जो भी हुआ वह सभा को विदित है।

एक साथ रखे गये इन विशिष्ट विधानों के सम्बन्ध में उठाई गई बातें ये हैं : प्रथम, संविधान में एक वार्षिक वित्तीय विवरण का उपबन्ध है, ताकि अन्तरावधि में कोई वित्त विधेयक नहीं हो सकता तथा वित्त विधेयक वर्ष में केवल एक बार पुरःस्थापित किया जा सकता है, दूसरे आगामी वर्ष में आय का व्यय किया जायगा और इसलिये हमें जब तक कि हमारे समक्ष कोई खर्च न हो तब तक कोई वित्त विधेयक नहीं रखना चाहिये; तीसरी बात--जो निस्संदेह एक बहुत ही उपयुक्त बात है--यह है कि इस सभा की नश्वरता विदित है, तथा इसके साथ यह बात स्वाभाविक है कि सरकार सदैव रहने वाली नहीं है और न मैं ही सदैव रहूंगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द की यह बात एकदम स्वीकार करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कार्य में विलम्ब करना चाहिये।

मानव नाशवान है और इसी भांति हमारी बनाई गई प्रत्येक संस्था की भी कोई अवधि है और वह समाप्त होती है। फिर भी हमारा उत्तरदायित्व बना रहने वाला उत्तरदायित्व है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने बताया। सम्भव है कि बनने वाली आगामी सरकार अपने वचनों से डिग जाये। जब तक मैं नहीं बदलता तब तक तो यही नीति रहेगी। इस सभा की अवधि के अन्तिम दिन तक यह जारी रखनी पड़ेगी। सम्भव है कि परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मुझे परिपाटी का उल्लंघन करके एक अध्यादेश निकालना आवश्यक हो जाये। सम्भव है कि मुझे विद्यमान परिस्थितियों के कारण ही वह कार्यवाही करनी पड़े जिससे मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द अपनी संवैधानिक भावना के कारण, जो विगत साढ़े चार वर्ष में बहुत ही परिष्कृत हो गई है, प्रसन्न न हों या मर्माहत हों। अतः बात यह है कि यह निश्चय रूप से विलम्बकारी प्रस्ताव है तथा गत वित्त विधेयक का उल्लेख उस विधेयक की सत्तरह धाराओं और विभिन्न उपधाराओं के परिवर्तन के कारण उनकी बात की पुष्टि नहीं करता। उस विधेयक से आयकर अधिनियम की धारा ३४ में संशोधन हुआ था।

जहां तक मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द का सम्बन्ध है, धारा ३४ बहुत ही महत्त्व रखती है, धारा ३४ के अन्तर्गत, मामलों को फिर से उठाने, खातों की जांच करने तथा गत वित्त अधिनियम में उल्लिखित अन्य विभिन्न बातों से मुझे यह भावना होती है कि शायद उन्होंने उनमें परिवर्तन कराने के लिये भरसक प्रयत्न किया होगा यद्यपि मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं।

जहां तक इन विशिष्ट विधानों का सम्बन्ध है जो सभा के समक्ष हैं, इसमें निस्संदेह एक अविलम्बनीय तत्व है। अविलम्बनीयता का कारण यह है कि राजस्व में वृद्धि करने के अतिरिक्त--यह संयोगवश न होकर मुख्य है--एक दूसरी बात भी आती है, दूसरी बात यह है कि आजकल स्फीतिकारी परिस्थितियां विद्यमान हैं। कुछ बातें हो रही हैं जिन्हें रोकना है। एक बात और भी है तथा इसका उल्लेख न करने का कोई कारण नहीं है। बनने वाली भावी सरकार--यह मानते हुए कि मैं उसमें नहीं होऊंगा या यह मेरी पार्टी की सरकार नहीं होगी--लगभग मई मास के मध्य में कार्य करना आरम्भ करेगी और मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द, यदि यह सोभाग्यवश सदस्य बन कर लौट आते हैं, या दुर्भाग्यवश मुझे

उनका सामना करना पड़ता है, कहेंगे : "ओह, १५ मई को आप कराधान कर रहे हैं, आधा वर्ष तो बीत गया । अब आपको कोई कर नहीं लगाना चाहिये ।" यह कहना बहुत आसान है, इस बात पर विचार करना होगा ।

जहां तक स्वयं इस विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र श्री चेट्टियार ने मेरा समर्थन किया है । आय-कर अधिनियम के संशोधन के बारे में मैं कोई नया सिद्धान्त पुरःस्थापित नहीं कर रहा हूं । मैं एक विशिष्ट धारा सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन कर रहा हूं जो संविधि में पहले से ही मौजूद है । अब यह अति आवश्यक है कि मैं इन लोगों को यह बता दूं कि पूंजी लाभ कर लगाया जायेगा तथा मैं केवल इसी ढंग से लोगों से कह सकता हूं कि वे सट्टेबाजी नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि मुझे इसका केवल एक भाग मिलेगा और सट्टेबाजी का सारा लाभ सटोरिये के पास नहीं रहेगा । अतः यह बहुत आवश्यक है ।

जहां तक निक्षेपों के इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं । यह सर्वथा सही है—मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र इसे स्वीकार करेंगे—कि मैं लाभांश पर कर की दर में परिवर्तन कर सकता हूं । इसका परिणाम यह है कि लोग लाभांश घोषित नहीं करेंगे और धनराशियां संचित निधि में डाल दी जायेंगी । और फिर धन का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना हो जाती है । हम नहीं चाहते कि ऐसा हो । वस्तुतः मैं कोई नया दण्ड नहीं लगा रहा हूं, या यह नहीं कह रहा हूं कि यदि आप इस संचित निधि का एक भाग हमारे पास नहीं रखते हैं तो मैं यह या वह करूंगा । मैं तो यह कहता हूं कि यदि आप धन निक्षेप करते हैं और यदि आपको धन की आवश्यकता होती है तो मैं धन लौटा दूंगा । यदि आप ऐसा नहीं करते तो दण्ड यह है कि मैं विकास सम्बन्धी छूट और अवक्षयण भत्ता पर, जोर दे रहा हूं, रियायत से कर का विशेषाधिकार रोक लूं । मैं कहता हूं कि मैं वह रियायत रोक लूंगा । क्या यह लाभांश पर कर में वृद्धि करने में वचनबद्ध होना नहीं है कि विशेषाधिकार न दिया जाये । क्या मैं यह कहने के लिये अपने माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द तथा उनके ही मत के लोगों के अनुकूल बनूं कि 'अच्छा, मैं लाभांश पर अधिक कर लगाऊंगा आप रक्षित निधि में धन रखें और इच्छानुसार व्यय करें तथा रक्षित निधि प्राप्त करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को वह समवाय मोल ले लेने दें'। सरकार की सारी कार्यवाही एक सूत्रबद्ध कार्यवाही है । मेरे माननीय मित्र का विचार है कि हम लोगों में बुद्धि है ही नहीं और हम आंख बन्द करके तथा बिना किसी योजना के कार्य करते हैं । मेरे माननीय मित्र श्री कामत सदैव यह समझते हैं कि हम सबकी कोई योजना है ही नहीं । आखिरकार, मैंने क्या किया है । पूंजीगत लाभकर पहले से ही विद्यमान है । इसे कुछ रूपभेदों के साथ जो, इन परिस्थतियों में आवश्यक है, पुनः लागू करना है । निश्चय ही यह एक स्थायी कर है और पहले से ही विद्यमान है । मैं कोई नई कार्यवाही नहीं कर रहा हूं अपितु लाभांश पर कर की दर में वृद्धि कर रहा हूं और इसका परिणाम यह है कि यह रक्षिति में चला जाये । मैं इसे निश्शुल्क उपहार के रूप में दे रहा हूं तथा विकास छूटों व आवक्षयण भत्ता के लिये नियत की जाने वाली धनराशि का निक्षेप होना है । मैं कहता हूं कि यदि आप निक्षेप करना नहीं चाहते और उस धन को अपने कामों के लिये निकालना चाहते हैं तो मैं आपको निश्शुल्क उपहार नहीं दूंगा । मैं कहता हूं कि मैंने जो कार्यवाही की है उसके परिणाम-स्वरूप मुझे यह करने का अधिकार है ।

जहां तक मुद्रांक अधिनियम का सम्बन्ध है, यह एक आवश्यक अस्त्र है जिसकी मुझे आज कुछ धन सम्बन्धी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये आवश्यकता है तथा मैं आगामी वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता । ये दोनों एकीकृत विधान हैं ।

वस्तुतः प्रश्न यह है : क्या प्रवर समिति को जाने से इसमें सुधार होगा मैं सविनय निवेदन करता हूं कि अपने माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द की बात को मैं जितना महत्व देता हूं उतना

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

ही महत्व मैं अपने माननीय मित्र श्री चटर्जी के पाण्डित्य को देता हूं परन्तु मैं नहीं समझता कि वे किसी भी प्रकार इस विधेयक में सुधार करने में तथा उससे अधिक अच्छा बनाने में सहायक होंगे जैसा कि यह आजकल है ।

फिर समय की भी बात है । यदि मैं इसे किसी ऐसे सत्र के आरम्भ में पुर:स्थापित करता जो तीन मास तक चलता तो हम कुछ समय ले सकते हैं बशर्ते कि विधि तुरन्त ही कार्यान्वित हो जाये । प्रवर समिति को सौंपने का यह प्रस्ताव एक विलम्बकारी प्रस्ताव है । इस पर १७ दिसम्बर तक प्रतिवेदन दिया जायेगा ताकि इस सत्र में विधेयक पारित न हो क्योंकि यह केवल यहां ही पारित नहीं हो सकता । अपितु यह अन्य सभा को भी जायेगा । माननीय सदस्यों ने ८.५ घंटे मांगे थे । कार्यमंत्रणा समिति ने ८.५ घंटे दे दिये हैं ताकि हम सरकार की इस आर्थिक नीति पर चर्चा कर सकें । कार्यमंत्रणा समिति के माननीय सदस्यों का यही मत था । मैं इसकी किसी भी आलोचना का स्वागत करूंगा ।

मेरा निवेदन है कि औचित्य प्रश्न में कोई तथ्य नहीं है और इसका कारण यह है कि संशोधित होने वाला अधिनियम राजस्व में वृद्धि का आनुषंगिक है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे माननीय व सम्मानित मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के जिस विशिष्ट उपबन्ध का उल्लेख किया है कि केवल एक वार्षिक वित्त विवरण हो वह संगत नहीं है । अनुपूरक विवरण को प्रतिबन्धित करने के लिये कुछ नहीं है, क्योंकि अनुपूरक आय-व्ययक तो होते हैं ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में मैं इस विलम्बकारी प्रस्ताव से सहमत होने में असमर्थ हूं ।

†**श्री तुलसीदास** : क्या मैं माननीय वित्त मंत्री को यह बता दूं कि यह विलम्बकारी प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उन्होंने पिछले शुक्रवार को ही विधेयक पुर:स्थापित किया था । या कार्यसूची में केवल परसों से रखा गया है । अत: मुझे यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिये बहुत थोड़ा समय मिला ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों पक्षों को सुन चुका हूं । इसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव के बारे में कहा जाता है कि यह विलम्बकारी प्रस्ताव है जबकि श्री तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा नहीं है । अब यह सभा पर है कि वह व्यक्त किये मतों का ध्यान रखते हुए इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे ।

औचित्य प्रश्न के बारे में दो मत व्यक्त किये गये हैं । एक मत यह है कि यह वित्त विधेयक है और इस सम्बन्ध में संविधान तथा नियमों के अन्तर्गत जो विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है उसका अनुकरण अवश्य होना चाहिये, अर्थात् अनुदानों की मांगों के स्वीकृत होने पर प्रति वर्ष कराधान द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये । इस आधार पर ये दो दोनों (संख्या २) और (संख्या ३) वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहियें ।

माननीय मंत्री कहते हैं कि यह आपातकालीन है और यह संसद् नहीं रहेगी तथा नई संसद् केवल जून में कार्य करना आरम्भ करेगी । इस बीच में इस विधेयक में उल्लिखित वर्ष ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हो जायेगा । फिर, इन खातों आदि का रखना किसी भी व्यक्ति के लिये सम्भव न होगा, तथा कहा जायेगा कि इसे जनता के सम्मुख यकायक प्रस्तुत कर दिया गया ।

इसके अतिरिक्त योजना की आवश्यकता है । अत: इसी तात्पर्य से माननीय मंत्री कहते हैं कि आपातकाल है और वह चर्चा में इस बात से सन्तुष्ट कर सकेंगे कि इसकी आवश्यकता है या नहीं । यह दूसरी बात है जिस पर चर्चा की जा सकती है ।

यह आपत्ति की जाती है कि किसी भी विशिष्ट वर्ष के आरम्भ होने से पहिले २८ फरवरी को, अर्थात् आगामी वर्ष से पहले वित्त विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है, अधिनियम उस वर्ष के लिये

†मूल अंग्रेजी में ।

पारित नहीं किया जाता अपितु आगामी वर्ष के लिये पारित किया जाता है। अतः यदि कोई विधेयक उससे पहिले—फरवरी या मार्च—२ या ३ मास पहिले पुरःस्थापित किया जाता है ताकि १९५७-५८ से कार्यान्वित हो जाये तो कोई हानि नहीं है।

जहां तक इस विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है, एक बात और है। इन परिस्थितियों में व्यय नहीं किया जा सकता और व्यय के सम्बन्ध में उस तरह का विधेयक पुरःस्थापित करने में बहुत विलम्ब हो जायेगा। सम्भव है कि केवल लेखानुदान ही हो।

दूसरी आपत्ति के बारे में, आय-कर अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन एक पृथक् विधेयक द्वारा किया जाना चाहिये और उस पर अधिक ध्यान तथा समय दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री से मुझे मालूम हुआ है कि जहां तक निक्षेपों का सम्बन्ध है, वह उपबन्ध सहायक या आनुषंगिक है। वित्त मंत्री कहते हैं कि इस उद्देश्य से कि सट्टेबाज़ी न हो, वह यह कर लगाना चाहते हैं ताकि यह एक व्यक्ति से हट कर दूसरे व्यक्ति के पास न जा सके। वह समझते हैं कि इसे केवल कर लगा कर और उनसे धन निक्षेप करा कर रोका जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत ही थोड़े समय में चर्चा नहीं हो सकती।

यहां कुछ ऐसे वक्तव्य दिये गये हैं जो प्रकरण संगत नहीं हैं। माननीय मंत्री ने यह जो विधेयक संकट काल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है इसमें उन्होंने जमा आदि सम्बन्धी खण्ड को उचित ठहराया है गत वर्ष जो कुछ मैंने कहा था मैं उस पर कायम हूं कि वित्त विधेयक में केवल कराधान सम्बन्धी उपबन्ध ही होने चाहियें। नहीं तो वित्त विधेयक का कोई अर्थ नहीं है। इस पर चर्चा के समय समूचे प्रशासन का पुनरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है और यह जाना जाता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। स्वीकृत निधियों को ठीक ढंग से प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं इत्यादि सब बातों पर विचार होता है। इसलिये इसके अन्तर्गत कुछ ही विधेयकों और अधिनियमों को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि स्टाम्प अधिनियम और डाक घर सम्बन्धी अधिनियम इत्यादि है। यह सब राजस्व प्राप्त करने के लिये आवश्यक होता है। स्टाम्प अधिनियम ही नहीं परन्तु डाक दरों, समुद्र सीमा शुल्क दरों इत्यादि को समय-समय पर पुनरीक्षित करने के लिये उनको वार्षिक वित्त विधेयक के अन्तर्गत लिया जाता है।

मैं सामान्यतः न केवल वित्त मंत्री प्रत्युत उनके समस्त उत्तराधिकारियों से भी कहूंगा कि इस विधेयक में केवल उन उपबन्धों को ही लिया जाय जिनका सम्बन्ध कराधान से हो। जब तक अन्य कार्य बहुत ही आनुषंगिक न हों, इसी प्रक्रिया का पालन किया जाय और किसी दूसरी ओर ध्यान न दिया जाय। यदि आय-कर अधिनियम अथवा मूल अधिनियम में कोई परिवर्तन करना हो तो सरकार को अलग से एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। यद्यपि पिछली बार १७ खण्ड आय-कर अधिनियम के संशोधन के रूप में सम्मिलित कर लिये गये थे, परन्तु मेरा विचार अब भी वही है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें और हर हालत में इससे बचने का प्रयत्न करें।

इस मामले विशेष की असाधारण स्थिति में माननीय वित्त मंत्री आय-कर अधिनियम में जो संशोधन करना चाहते हैं वह समनुवर्ती है, और फिर हमारी बैठक भी तो शीघ्र नहीं हो रही है। यद्यपि यह विधेयक १९५७-५८ के आरम्भ से लागू होगा फिर भी इसका सम्बन्ध ३१ मार्च, १९५६ तक हुई आय से है। इसमें कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं न ही दोनों विधेयकों और प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

†**श्री तुलसीदास** : मैं तो प्रवर समिति को सौंपे जाने के अपने प्रस्ताव का उल्लेख कर रहा था।

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विधेयकों पर अग्रेतर चर्चा का और अवसर नहीं दे रहा हूं। वह इस प्रस्ताव और दोनों विधेयकों पर एक साथ बोल सकते हैं, और हम देखेंगे कि इस चर्चा में कितने आदमियों की रुचि है।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रिवाड़ी) : हम कोई सवा घन्टा इसी प्रश्न पर खर्च कर चुके हैं।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर—मध्य) : इस पर चर्चा कब होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगले मंगलवार को।

†**श्री तुलसीदास** : आपात स्थिति होने के कारण मेरा औचित्य प्रश्न आपने रद्द कर दिया है। मैं वित्त मंत्री को उन्हीं समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं जिसका कि उन्होंने स्वयं अपने भाषण में उल्लेख किया है। कीमतों और सट्टे की समस्यायें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके सम्बन्ध में वह जो उपाय कर रहे हैं उनसे यह सम्स्याएं हल हो जायेंगी और क्या यह आपातकालीन कार्यवाहियां हैं। परन्तु युद्ध अथवा गड़बड़ी की ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती कि जिससे वर्तमान समय को आपातकालीन कहा जा सके। उन्होंने आप ही कहा है कि इस प्रकार उन्हें सारे वर्ष में ४ अथवा ५ करोड़ रुपये की तुच्छ रकम ही प्राप्त होगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे करोड़पति मित्र को ४ अथवा ५ करोड़ रुपये संभवत: तुच्छ मालूम पड़ते हों क्योंकि उनके पास करोड़ों हैं।

†श्री **तुलसीदास** : मैं श्री कृष्णमाचारी की बात नहीं कर रहा हूं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। वह भारत सरकार की ओर से ही तो बात करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि योजना के लिये ५०० करोड़ रुपये और चाहियें। परन्तु इससे तो इस वर्ष ४-५ करोड़ रुपये और आगामी वर्ष में १०-१५ करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे, और समूची अवधि में ४०-५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिल सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक समय का सम्बन्ध है, इसके लिये ८·५ घंटे है, और इसी में इसे समाप्त करना होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि वह माननीय सदस्य, जो कि दलों के नेता है, आधा घंटा और अन्य सदस्य १५ अथवा २० मिनिट तक बोलें।

†**श्री तुलसीदास** : मतभेद चाहे कुछ हो, पर मैं कहूंगा कि हमारे तत्कालीन वित्तमंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी उच्चकोटि के, उत्तम प्रकृति के और गहन अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को गत पांच वर्षों तक बड़ी सफलता से सम्भाला और अब वह उसी योग्यता और अनुभव को वित्त विभाग के काम में लायेंगे। उन्हें देखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अथवा दूसरी योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल हों। उन्हें एक बार पुन: वही सम्मान प्राप्त हो जो कि उन्हें वाणिज्य और उद्योग विभाग सम्भालने पर प्राप्त हुआ है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इस सदन को उनसे बहुत आशायें हैं। और कोटिल्य के पश्चात् वह ही भारत के सब से बड़े राजनीतिज्ञ होंगे। हमें आशा करनी चाहिये कि वह काफी अधिक समय तक पदासीन रहें और अपने वायदों को पूरा करें। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं और आदर्शवादी बातें नहीं करते हैं।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : वित्त मंत्री की सब प्रकार से प्रशंसा की जा रही है।

†**श्री तुलसीदास** : मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि वह व्यापार और उद्योग के सलाहकार तथा मित्र हैं। वह आदर्शवादी बातों, अर्थात् समस्त कल्याण, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी

†मूल अंग्रेजी में।

समाज, से दूर ही रहते हैं। एक बार चर्चा के समय मेरा इन बातों का उल्लेख उन्हें पसन्द नहीं आया था। उन्होंने मेरी बातों का उत्तर देते हुए कहा था कि वह भावुकता में नहीं जाते हैं, क्योंकि वह कल्याणकारी राज्य से भी अधिक प्रगतिशील व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस मामले में मेरी शुभ कामनायें उनके साथ हैं।

व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि सामाजिक कल्याण ही हमारा अन्तिम ध्येय है और शेष सभी प्रयत्न तो साधन हैं। जब मैंने भाषण दिया था तो वह मजाक से कह रहे थे तो कदाचित मुझे ऐसा कहने का आदेश मिला होगा। मेरे अपने विचार हैं, परन्तु मैं अपने मित्र, वित्त मंत्री महोदय, को बताना चाहता हूं कि मैं सरकारी विभाग के स्तर पर नहीं हूं जिसे प्रेरणा अथवा आदेश मिलते हैं। यह तो मंत्रियों का एकाधिकार है और उन्हें बड़े-बड़े वेतन पाने वाले सचिव काफी आदेश देते रहते हैं।

मैं तो हमेशा यही कहता हूं समाज का समाजवादी ढांचा कोई मूल्य नहीं रखता यदि हमारा ध्येय समाज कल्याण न हो। समाजवादी समाज एक शब्द है जिसे सत्तारूढ़ दल ने गढ़ रखा है, और इस से वह उस व्यवस्था का उल्लेख कर देता है जिसकी ओर की वह देश को ले जाना चाहता है। उसे इस बात की चिन्ता नहीं कि इससे समाज कल्याण होता है अथवा नहीं।

समाज कल्याण के कार्य को अधिक से अधिक करने के लिये हमें राष्ट्र की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना चाहिये। सभी वर्गों को कर्मशील बनाना चाहिये। लोकतन्त्रात्मक समाज में सामूहिक ध्येय की प्राप्ति के लिये जन सहयोग प्राप्त करना होता है। उसके लिये उत्साह पैदा करना होता है। बल से तो सहयोग मिल नहीं सकता है। यह कार्य हमारे साम्यवादी मित्र ही कर सकते हैं और उसमें भी वह असफल रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर हुई चर्चा के समय बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह जन सहयोग चाहते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले विदेशी सरकार को निकालने के विचार मात्र से हम में जोश भर जाता था परन्तु अब कोई जोश रहा ही नहीं है, और इसका कारण यह है कि न खाने को मिलता है और न पहनने को। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी वर्ग अच्छे कपड़े पहनें। मेरा विचार है कि इस वर्ष ६ करोड़ और अगले वर्ष १६ करोड़ रुपये राजस्व तो मिलेगा परन्तु इन कराधानों से देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इतनी थोड़ी-सी राशि हमें मुद्रास्फीति से नहीं बचा सकती। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी आय-व्ययक प्रस्थापनाओं के वक्तव्य में विदेशी विनिमय और मुद्रास्फीति दो ही समस्याओं का उल्लेख किया है, और उन्हें हल करने के लिये उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : यह आय-व्ययक प्रस्थापनायें नहीं हैं।

†**श्री तुलसीदास** : क्या इससे समस्या हल हो जायेगी ? वित्त विधेयक संख्या २ में सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। क्या सीमा शुल्क में वृद्धि करने से आयात कम हो जायेगा और उत्पादन शुल्क बढ़ाने से खपत कम हो जायेगी ? यह एक राजनीतिक चालबाजी अवश्य है और इस प्रकार यह आपाती भी है। इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या तो आयात को कम करने और उत्पादन को बढ़ाने से ही हल हो सकती है।

उन्होंने रुपये की कमी का भी उल्लेख किया जिससे कि यह सारी समस्या उत्पन्न हुई है। इसके लिये सरकार को पिछले वर्ष ही चेतावनी दे दी गयी थी। सरकार ने भारी उद्यागों में पूंजी विनियोजन पर जोर देकर उपभोग वस्तु उत्पादन की उपेक्षा की, परन्तु उसके लिये वित्त मंत्री उत्तर-दायी नहीं है क्योंकि वह तो उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। उन्होंने हमेशा इस बात का

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुलसीदास]

समर्थन किया कि देश में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्पादक वस्तु उद्योग के साथ कुछ कठोरता का व्यवहार करके भी उपभोग वस्तु उत्पादन का कम से कम लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिये। उस समय उन्हें मुद्रास्फीति का भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा था कि यदि योजना का कोई अर्थ है तो हमें दो बातें अच्छी तरह देख लेनी चाहिये। प्रथम, वर्तमान आर्थिक संसाधन और योजना अवधि में उपलब्ध होने वाले आर्थिक साधन और दूसरे भौतिक संसाधन विशेषत: कर्मचारियों के दृष्टिकोण से ।

अब वित्त मंत्री के रूप में उनके समक्ष वही मुद्रास्फीति की समस्या, भौतिक अभाव और इन कारणों से उत्पन्न हुई विदेशी विनिमय की कठिनाइयां हैं, जिनका कि उन्हें उस समय भय था। शायद इन आपातकालीन प्रस्तावों से वह उसी चुनौती को स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। पर क्या वास्तव में इनसे समस्यायें हल हो जायेगी ?

इन कराधान प्रस्तावों का प्रभाव यह होगा कि उत्पादक विनियोजन को प्राप्त प्रोत्साहन समाप्त हो जायेगा। विदेशी विनियोजन में भी रुकावट पड़ेगी। लाभांश कर की वृद्धि से निगमित विनियोजन पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य घरेलू स्थिति के सम्बन्ध में तो कहें, पर वह विदेशियों में प्रचार क्यों करते हैं ?

†**श्री तुलसीदास** : मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, अपना मत व्यक्त कर रहा हूं। विदेशों की स्थिति को वह मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति की भांति जो ठीक समझता हूं कह रहा हूं ।

आप कहते हैं कि लोग अपनी पूंजी विनियोजित नहीं करेंगे। परन्तु कुछ ही दिन हुए हिन्दुस्तान, लीवर और गैस्ट, कीन और विलियम्स आदि कम्पनियों के अंश बाजार में आये थे, और अपेक्षित धन राशि से पांच-छः गुना धनराशि प्राप्त हो गई थी । यह कार्यवाही इन प्रस्तावों से पूर्व हुई थी, और मुझे पता है कि इन प्रस्थापनाओं के बाद कइयों ने अपने आवेदनपत्र वापिस ले लिये थे। यदि उनका यह विचार हो कि लोग अंशों में पूंजी लगायेंगे तो वह गलती पर हैं।

ऐसे लोग भी हैं जो कि विभिन्न निकायों में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं और वे गैर-सरकारी क्षेत्रों को पसन्द करते हैं, क्योंकि वहां कुछ अधिक लाभांश मिल जाता है। परन्तु लाभांश पर कर लग जाने से यह आय भी कम हो जायेगी । यदि लाभ अधिक होने से अंशों का मूल्य बढ़ा तो पूंजी विस्तार पर भी कर लग जायेगा । यही मैं बताना चाहता था। मेरा विचार है कि यदि मैं यह बातें उनके वाणिज्य और उद्योग मंत्री होते हुए कहता तो वह सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करते। परन्तु अब वह इसके लिये तैयार नहीं हैं।

निक्षेपों के प्रश्न को ही लीजिये, एक ओर मंत्री महोदय यह कहते हैं कि देश में धन की कमी है, विशेष कर बैंकिंग में विनियोजन की कमी है, परन्तु साथ ही इस प्रस्ताव को भी रख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस प्रस्थापना से धन की कमी बढ़ेगी ही कम नहीं होगी । मेरे ऐसा कहने के कारण हैं। यदि किसी कम्पनी के पास फालतू पूंजी है तो उसे उसका कुछ भाग रक्षित बक में रखना ही होगा । मान लीजिये कम्पनी अपनी चालू पूंजी पर ऋण लेती है तो उसे उसका

†मूल अंग्रेजी में ।

कुछ अंश भी रक्षित बैंक में रखना होगा । फिर उसे और ऋण लेना होगा इसलिये इन प्रस्तावों से बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी नहीं, अपितु वह और खराब होती जायेगी ।

वित्त संख्या (२) विधेयक में कुछ प्रस्ताव ऐसे ही हैं और स्वयं माननीय मंत्री ने कहा था कि निधि प्राप्त करने के लिये मांग बराबर की जा रही है और बैंकिंग प्रणाली के संसाधन पूर्णरूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं । सरकार इस बात की व्यवस्था करने के लिये उत्सुक है कि मुद्रा की मौजूदा स्थिति के कारण व्यापार और उद्योग की जायज़ मांगों की पूर्त्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

जैसा कि मैंने कहा ये प्रस्ताव भी धन की कमी को और बढ़ायेंगे । स्टाम्प शुल्क को प्रति १,००० रुपये पर १५ आने से बढ़ाकर प्रति एक हजार रुपये पर १० रुपये तक तथा इससे भी अधिक बढ़ा दिया गया है । इन प्रस्थापनाओं से धन सम्बन्धी कमी दूर होने की अपेक्षा बढ़ जायगी ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह बढ़ नहीं सकती ।

†**श्री तुलसीदास** : अल्पकालीन हुंडियों पर प्रति हजार ढाई रुपये शुल्क के बढ़ जाने से हुंडी की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी, बैंकों को एक प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा । रक्षित बैंक को प्रतिवर्ष ५० लाख या ६० लाख रुपये तक की हुंडियों का पुनः भुगतान करना पड़ता है ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है ।

†**श्री तुलसीदास** : क्या वह यह कह सकते हैं कि इससे बैंक दर एक प्रतिशत नहीं बढ़ेगी ?

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने केवल विलास वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बढ़ाया है । परन्तु वह सभी वस्तुयें तो विलास वस्तुयें नहीं हैं, अपितु जीवन के लिये आवश्यक वस्तुयें हैं । सिलाई की मशीनें, ग्लूकोज, मशीनरी तथा औजार जीवन के लिये आवश्यक वस्तुयें हैं । मेरा निवेदन है कि यदि देश में इन वस्तुओं का उत्पादन काफी अधिक है तो कर वृद्धि से उपभोक्ताओं के निर्वाह व्यय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की वृद्धि से जनता का निर्वाह व्यय बढ़े बिना नहीं रह सकता ।

माननीय मंत्री को यह विचार करना चाहिये कि जब वह निक्षेप लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या बैंकों, बीमा समवायों आदि को निक्षेप रखना आवश्यक होगा । इससे धन के क्षेत्र में अधिक तंगी आ जायेगी । यह पहले से ही तंग है । आयात अधिक हुआ है और परिणामतः विदेशी विनियम की स्थिति बहुत बुरी है । अब धन केवल उस क्षेत्र में है जहां मुद्रास्फीति है । धन आयोजित क्षेत्र के बाहर से आ रहा है । क्या यह स्थिति इस सम्बन्ध में धन के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी ।

इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । प्रायः सभी वक्ताओं ने इस संशोधन का समर्थन किया है । यह कोई आपातकालीन विधान नहीं है, और कर १९५७–५८ में लगाया जायेगा । इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंपने म कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । माननीय मंत्री को विधान कार्य में इतनी शीघ्रता करना उचित नहीं है । मैं आशा करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा ।

†**श्री ग० ध० सोमानी** (नागौर–पाली) : विचाराधीन वित्त विधेयकों के संविधानिक पहलू पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं श्री तुलसीदास के अत्यावश्यक और अविलम्बनीय विधेयक

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ग० ध० सोमानी]

सम्बन्धी विचार से सहमत नहीं हूं। प्रविधिक और वैधानिक दृष्टि से विचाराधीन प्रश्न ठीक हो सकता है, परन्तु वित्त मंत्री का सभी सम्भव साधनों से धन प्राप्त करने का निश्चय प्रशंसनीय है।

जो प्रस्थापनायें देश के आर्थिक विकास के लिये लाभदायक नहीं है, उनकी आलोचना की जा सकती है। परन्तु मैं वित्त मंत्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने के निश्चय से सहमत हूं और यदि चारों ओर रचनात्मक उत्साह पैदा हो जाये, तो निश्चय ही दूसरी पंचवर्षीय योजना और बाद की योजनायें सफल हो सकती हैं।

योजना की अवधि बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। इस योजना की सफलता पर देश का समस्त भविष्य निर्भर है और इसके लिये सब प्रकार का बलिदान किया जाना चाहिये। इसलिये हम किसी भी प्रकार का आपातकालीन उपक्रम किये जाने का विरोध नहीं करते हैं।

समूचा व्यापार जगत इन प्रस्थापनाओं से आश्चर्य में पड़ गया है। इन में सभी प्रकार के करारोपण का उपबन्ध है। योजना की कार्यान्विति के लिये समस्त साधनों से धन जुटाने के मुख्य उद्देश्य और उसके लिये अनुपूरक प्रस्थापनाओं तथा अतिरिक्त संसाधनों का आश्रय लिये जाने का कोई विरोध नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्री ने जो विविध उद्देश्य बताये हैं, वे सब ठीक हैं। परन्तु सर्वांगीण उत्पादन वृद्धि पर अधिक जोर नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं हमारी समस्त बुराइयों को उत्पादन में सर्वांगीण वृद्धि करके हल किया जा सकता है। सर्वांगीण उत्पादन वृद्धि से बेकारी की समस्या भी बहुत कुछ हल हो सकती है। इसे जहां तक विदेश विनिमय स्थिति का हल बताया गया है उसकी प्राप्ति के लिये आयात कम किया जाये और निर्यात बढ़ाया जाय साथ ही आयोग वस्तुओं और कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना भी अनिवार्य है। इससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा।

आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग पर ३५ करोड़ रुपये तक भारी उत्पादन शुल्क लगाया गया था। परिणामतः मूल्य गिर गये और बहुत सा माल मिलों में पड़ा है। उद्योग को ही यह सारा शुल्क बर्दाश्त करना पड़ा। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और बहुत सी मिलों को घाटे में चलना पड़ेगा, क्योंकि ३५ करोड़ का अतिरिक्त शुल्क उद्योग के कुल लाभ से अधिक होगा। रक्षित बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग का लाभ अन्य उद्योगों में हो रहे लाभों की तुलना में सब से कम है। एक ओर सरकार उद्योग का विकास होने नहीं देती है और दूसरी ओर जब मूल्य बढ़ जाते हैं तो भारी उत्पादन शुल्क लगा कर मूल्य गिरा देती है इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके कारण मूल्य पुनः बढ़ जायेंगे। यह एक बुरा चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं।

माननीय मंत्री ने जब वह उद्योग मंत्री थे स्वंचालित करघों की स्थापना करने की योजना की घोषणा की थी। किन्तु बहुत समय बीत चुका है और अभी तक स्वचालित करघे स्थापित नहीं किये गये हैं। केवल कुछ लाइसेंस दिये गये हैं और कठोर शर्तों के कारण उनका भी उपयोग नहीं किया गया है। मुझे इस योजना की कार्यान्विति में अधिक विलम्ब होना दिखाई देता है।

हम ऊंचे दामों पर बहुत सा सीमेंट बाहर से मंगवाते हैं, जिससे हमारी विदेशी विनिमय स्थिति अधिकाधिक खराब होती जाती है। भारी उद्योग मंत्री ने ३३ नवीन एकक स्थापित किये जाने या वर्तमान एककों के विस्तार के लिये लाइसेंस किये जाने की सूचना दी थी, इससे डेढ़ करोड़ टन सीमेंट तैयार होगा। केवल लाइसेंस देना पर्याप्त नहीं है उनके लिये आवश्यक साधन जुटाना भी आवश्यक होता है। अभी भी बहुत से संसाधन अप्रयुक्त पड़े हैं, जिनका यदि उपयोग किया जाये

तो गैर-सरकारी क्षेत्र उत्पादन में सर्वांगीण वृद्धि कर सकता है और आयात कम किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है। केवल लाइसेंस देने से ही उत्पादन नहीं बढ़ जाया करता है।

नवीन सीमेंट फैक्टरियां अथवा स्वचालित करघे स्थापित करना एक सरल कार्य है यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये संसाधन उपलब्ध कर दिये जायें। मैं वित्त मंत्री की इस घोषणा के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र के लिये संसाधन जुटायेंगे। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये संसाधन जुटाना भी उनका उत्तरदायित्व है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाना भी अत्यावश्यक है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि एक समिति नियुक्त करे जो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये साधन जुटाने के प्रश्न पर विचार करे।

मैं इन अतिरिक्त करों का विरोध नहीं करता हूं, परन्तु इनका प्रभाव यह होगा कि उत्पादन में हो रही वृद्धि रुक जायेगी। माननीय मंत्री को श्रेष्ठि-चत्वरों से तार प्राप्त हुए होंगे कि इन अतिरिक्त करों के फलस्वरूप विनियोजकों का विश्वास बिल्कुल समाप्त हो गया है। श्रेष्ठि-चत्वरों की गति-विधियां शिथिल हो गई हैं। यदि इस बात की ओर ध्यान न दिया गया, तो पूंजी निर्माण का कार्य बन्द हो जायेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे।

लाभांशों के वितरण पर रुकावटें लगाने की बात समझ में आ सकती है, परन्तु इससे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये विनियोजकों से धन प्राप्त करने के साधन समाप्त हो गये हैं। आज ही वित्त मंत्री ने अनिवार्य निक्षेप प्राप्त करने के बारे में कहा है। यदि इस प्रस्थापना को कार्यान्वित किया गया तो निगमित क्षेत्र को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ३५ करोड़ रुपये की राशि इस तंगी के समय कहां से आयेगी? मेरा निवेदन है कि जो समवाय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये धन लगा रहे हैं उनसे यह अनिवार्य निक्षेप न लिया जाये। केवल कुछ समवायों को इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये बाध्य करने के हेतु समस्त निगमित क्षेत्र को इस कठिनाई में डालना उचित नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि सभी प्रकार के सट्टे के सौदों को रोकने और अंशों का एकाधिकार प्राप्त करने की प्रकृति को रोकने के लिये सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां होनी चाहियें। मैं आशा करता हूं कि निगमित क्षेत्र के सम्बन्ध में अनिवार्य निक्षेप के इस पहलू पर सरकार विचार करेगी और माननीय मंत्री इस विषय में कोई संतोषजनक आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र की समस्त आवश्यकताओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये, और जहां उनकी आवश्यकतायें दूसरी योजना की कार्यान्विति के लिये अनिवार्य हैं वहां इस क्षेत्र के के लिये उन सभी साधनों को उपलब्ध करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इंग्लैंड नष्ट होने को था तब श्री चर्चिल ने प्रेसीडेंट रूज़वैल्ट से जो कुछ कहा था, वही अब जब कि हम दरिद्रता और बेकारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, "कि हमें औजार दो और हम कार्य पूरा कर देंगे"।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है कि यह सरकार की एक चाल है कि वह यह बताना चाहती है यद्यपि बड़ पूंजी पति कांग्रेस को निर्वाचन के लिये धन दे रहे हैं, फिर भी सरकार उन पर कर लगान से नहीं घबराती है। परन्तु इन करों की देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी क्या इस पर विचार किया गया है? पूंजी लाभ कर पहले की अपेक्षा अधिक कठोर होगा। समवायों पर अधिकर बढ़ाने और लाभांश पर कर लगाने का भी प्रस्ताव है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के लगाये जाने के कारण ही लोगों को यह आशंका होती जा रही है कि आप निजी क्षेत्र को बिलकुल खत्म कर देना चाहते हैं और इसीलिये उसके मार्ग में बाधायें डाल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, लेकिन आप उस पर इतने अधिक प्रतिबन्ध लगाते जा रहे हैं। आप उसे अपना दायित्व निभाने योग्य न रहने दे कर, फिर उसे बिलकुल मिटा भी सकते हैं। यह उचित दृष्टिकोण नहीं है।

माननीय मंत्री को यह जानना चाहिये कि बचत के अभिकरण के रूप में व्यक्ति का महत्व कम होता जा रहा है। अब यह कार्य संस्थाओं के द्वारा ही अधिकाधिक रूप में किया जायेगा। आप पूंजी के नये क्षेत्रों में विनियोजन किये जाने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इन उपायों से नये क्षेत्रों में पूंजी के विनियोजन में और भी अधिक बाधा पैदा हो जायेगी। पूंजी निर्माण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बीमे के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों से तो संस्थाओं द्वारा की जाने वाली बचत भी कम हो जायेगी। निजी क्षेत्र में विनियोजन के लिये जो पूंजी उपलब्ध होती थी अब वह सुलभ नहीं रहेगी, और यह कार्य अब व्यक्तियों को करना पड़ेगा। हमारे जैसे कम विकसित देशों में पूंजी निर्माण की आधार-शिला साधारण नागरिकों की बचत और विनियोजन की क्षमता ही है। आप इसकी प्रेरणा को नष्ट कर रहे हैं।

समवाय विधि पर चर्चा के समय हमने पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समन्याय अंश पूंजी में विभेद किया था, और वह इसीलिये कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी लगाने वाले तो एक उचित और नियमित आय से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन समन्याय अंश पूंजी लगाने वालों को वर्षों तक कोई आय ही नहीं होती है उन्हें केवल यही विश्वास रहता है कि उनका विनियोजन सुरक्षित है और बाद में उन्हें अधिक लाभांश मिलेगा। आप के इस कराधान से तो उसे बाद में अधिक लाभांश पाने की आशा ही नहीं रह जायेगी, और इसीलिये उसकी विनियोजन करने की प्रेरणा भी खत्म हो जायेगी। साधारण नागरिक इन समवायों में अपनी पूंजी नहीं लगायेंगे।

दूसरी चिन्ता की बात यह है कि आपने निगमों की रक्षित राशि के भी एक भाग को केन्द्रीय सरकार के पास जमा कर देना अनिवार्य बना दिया है। इस विधान का प्रशासन नौकरशाही द्वारा ही किया जायेगा। समवाय विधि प्रशासन का अनुभव हमारे सामने है। तब श्री देशमुख ने सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया था कि सभी प्रार्थनापत्रों पर शीघ्रता से विचार करने के लिये प्रशासकीय व्यवस्था को बिलकुल बदल दिया जायेगा। लेकिन, नयी व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकी थी। निजी क्षेत्र को उसके कारण कष्ट उठाना पड़ा था।

अब, इसमें भी यही होगा कि सभी समवाय भारत सरकार के अधिकारियों की दया पर आश्रित हो जायेंगे और अपनी ही निधियों को लेने के लिये उन्हें उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। श्री कृष्णमाचारी ने आश्वासन दिया है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो नौकरशाही व्यवस्था उस कार्य को करेगी, उससे तो ऐसी आशा नहीं है।

आप समवायों का धन अपने यहां जमा करा लेंगे, लेकिन उसे लौटाते समय इसका निर्णय कौन करेगा कि वह उचित कार्यों पर व्यय किया जायेगा या नहीं ? यह तो कोई कार्य-पालक अधिकारी ही करेगा। न्यायालयों ने कई बार कार्य-पालक अधिकारियों को इतना अधिक स्वयं विवेक अधिकार दिये जाने की आलोचना की है। मेरा अनुरोध है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

यदि आप सम्पत्ति का सामाजीकरण करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र को बिलकुल ही खत्म कर दीजिये। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है, उनमें

उस पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहियें। उसे नौकरशाही प्रशासन की दया पर न छोड़िये। उनकी व्यापारिक सक्रियता को खत्म न कीजिये। मेरी सारी आपत्ति नौकरशाही व्यवस्था के सम्बन्ध में ही है, जो प्रत्येक कार्य में विलम्ब करती है। इन अनिवार्य निक्षेपों का फल यही निकलेगा कि समवायों को अपनी निधियों को वापस लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि श्री कृष्णमाचारी ने, श्री देशमुख की भांति, घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अधिक सहारा नहीं लिया है। उन्होंने अधिक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है। इन करों को लगाने के उन्होंने दो कारण बताये हैं : मुद्रा-स्फीति को रोकना और विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करना। मैंने जो कुछ भी आंकड़े इकट्ठे किये हैं उनके अनुसार तो गत कुछ माहों में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति बढ़ी ही है। यदि मेरी सूचना गलत है और यह कथन सच है कि गत पन्द्रह माहों में थोक मूल्यों की वृद्धि रुक गई है और मुद्रा-स्फीति में कमी हो रही है, तो फिर जनता पर इस प्रकार कर लगाने की क्या आवश्यकता है ? मध्य वर्ग के विनियोजकों पर तो हमें कोई बोझ नहीं डालना चाहिये। इस से मध्य वर्ग के वे हजारों परिवार बरबाद हो जायेंगे, जिन की सारी की सारी बचतें इन समवाय विनियोजनों में ही लगी हुई हैं।

विदेशी मुद्रा की कमी को आप कैसे दूर करेंगे ? निर्यातों में वृद्धि कैसे की जायेगी ? दक्षिण-पूर्वी देशों में भारत के माल की खपत कम होती जा रही है। वहां चीन और जापान के माल की खपत बढ़ रही है। १९५६ में, मेरी सूचना के अनुसार, भारत वहां कपड़े के निर्यात में जापान से बहुत पीछे रहा है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। हम अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो ५ दिसम्बर, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो ५ दिसम्बर, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब हम पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों को लेंगे। पहला विधेयक है—'वृद्ध तथा अपंग व्यक्ति आश्रम विधेयक।' लेकिन उसके प्रस्तावक श्री कृष्णाचार्य जोशी उपस्थित नहीं हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व) : मुझे इसके लिये प्राधिकृत कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : यह नियमानुकूल नहीं है। श्री कृष्णाचार्य जोशी ने मुझे इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया है। ऐसा किया जाना आवश्यक था। इसलिये, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): यदि उन्होंने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण पर हस्ताक्षर किये हों तो भी क्या उनको अनुमति नहीं दी जायेगी ?

†**सभापति महोदय** : परन्तु श्री कृष्णाचार्य जोशी ने अध्यक्ष को सूचना नहीं दी है।

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक*

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में बीड़ी तथा सिगार बनाने वाले कारखानों में सेवा-नियोजन और कार्य का विनियमन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में बीड़ी तथा सिगार बनाने वाले कारखानों में सेवा नियोजन और कार्य का विनियमन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक

श्री बलवन्त सिंह मेहता (उदयपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम १९५१ पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।

सभापति महोदय, सैंकड़ों और हजारों वर्षों की हमारी उपेक्षा और अंग्रेज़ों द्वारा की गयी, तोड़-फोड़ तथा वर्षा, आंधी, ओले और सर्दी-गर्मी की मार के बाद भी हमारे सारे भारतवर्ष में आज भी सवत्र हज़ारों की संख्या म राष्ट्रीय महत्व के कई स्थान, अवशेष स्मारक आदि मिलते हैं, जिनसे हमको अपने पुरान गौरव तथा संस्कृति की झलक मिलती है।

सबसे पहले सन् १९०४ में लार्ड कजन ने एंशेंट मानूमेंट्स प्रिजरवेशन ऐक्ट (प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम) का कानन बना कर इन सब स्मारक, अवशेषों आदि को संरक्षण दिया तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था की। किन्तु जहां तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था यह कानून उन पर लागू न हो सका और हमारी स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अर्थात् रियासतों के विलीनीकरण के बाद भी सन् १९४८ तक इस कानून का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब हमारा संविधान सन् १९५० में पास हुआ तब से हमारे केन्द्र के पुरातत्व विभाग का कार्य क्षेत्र संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व

---

†मूल अंग्रेजी में।

*दिनांक ७-१२-५६ के भारत सरकार के सूचनापत्र असाधारण, भाग २ विभाग २ में प्रकाशित पृष्ठ.....।

के स्मारकों और अवशेषों आदि तक सीमित हो गया। लेकिन जब सरकार ने देखा कि ऐसा होने पर भी ख और ग श्रेणी के राज्यों में बहुत से ऐसे स्मारक बाकी रह जाते हैं तो सन् १९५१ में "एंशेंट एण्ड हिस्टारीकल मानूमेंट्स एण्ड आर्कियालॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंम्पार्टेंस) ऐक्ट" (प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) (अधिनियम) स्वीकृत किया गया। लेकिन उस वक्त भी जब वह कानून अमल में आया तो बहुत से लोगों को यह शिकायत रही कि उसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान छूट गये हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उस कानून को लाने के पहले कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई थी और न कोई सर्वेक्षण ही हुआ था।

दो वर्ष के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ स्थानों को और उसमें जोड़ने के लिये एक विधेयक लाया जाये, और डा० रघुबीर ने राज्य-सभा में इसी सन् १९५१ के कानून के अन्तर्गत एक दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया और इस कमी की पूर्ति करानी चाही। सन् १९५४ में यह विधेयक राज्य-सभा के समक्ष रखा गया और जब उस पर बहस हो रही थी तब सरकार की ओर से कहा गया था कि एक बहुत बड़ा विधेयक सरकार की ओर से लाया जायेगा जिसमें बहुत से ऐसे स्थानों और अवशेषों आदि को शामिल कर लिया जायेगा जो कि छूट गये हैं।

लेकिन सभापति महोदय मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५४ में यह विधेयक पेश किया गया था और आज सन् १९५६ में यह कानून पास हो रहा है और उस वक्त भी उस मूल कानून में ऐसी धारायें थीं जिनमें सन् १९०४ के अन्तर्गत जितने भी अवशिष्ट स्मारक स्थान आते थे और जो भारतवर्ष के महत्वपूर्ण स्थान थे उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की बात थी। जब इसके ऊपर बहस हो रही थी तब उस वक्त हमारे यहां स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) भी पेश हो रहा था और उसमें १२६वीं धारा के अनुसार यह सब बातें जोड़ने का उल्लेख था, इसलिये इसके मूल प्रस्तावक डा० रघुबीर को उन सब स्थानों को निकाल देना पड़ा और इस कारण उसका रूप बहुत ही संक्षिप्त रह गया है, सिर्फ इसमें दो-तीन ही विशेष स्थान हैं, दो नये स्थान हैं और एक पहले के कानून में है लेकिन उसकी अलग-अलग व्याख्या की गई है। ऐसा क्यों किया गया है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके समक्ष प्रकाश डालना चाहता हूं।

हमारे भारतवर्ष में जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया हज़ारों की संख्या में ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण स्थान मिलते हैं और हमको उनसे अपनी पुरातन संस्कृति और इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। आज वह हमारी पुरातन संस्कृति और इतिहास की सामग्री नष्ट होती जा रही है और यह खेद का विषय है कि अभी तक हमारी सरकार का उस ओर विशेष ध्यान नहीं गया है। यह राष्ट्र का धन और निधि नष्ट हो रही है। मैं आप को आगे चल कर उद्धरण देकर बतलाऊंगा कि किस प्रकार आज उस राष्ट्रीय धन और निधि की क्षति हो रही है और यह दो-तीन मदें जो इसमें जोड़ी गई हैं अगर उनको जल्दी से सम्हाला नहीं गया तो हम राष्ट्र की बहुत बड़ी निधि को खो बैठेंगे और इसलिये इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि इनको जल्दी से जल्दी पास किया जाय।

इसके अलावा बहस के दौरान में यह भी कहा गया था कि नये विधेयक में जब कि वह आयेगा तब उसमें इनको रख दिया जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस हाउस (सभा) का काल बहुत कम रह गया है और कोई उम्मीद नहीं है कि इस सेशन (सत्र) में वह आ सकेगा और अगले सेशन में भी जो कि दो-चार दिन का होने वाला है शायद ही आ सकेगा।

इसके अलावा जो स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन ऐक्ट हमने पास किया है उसकी १२६वीं धारा के अन्तर्गत वे सब स्मारक आ जाते हैं लेकिन हमारे संविधान में जो सप्तम अनुसूची की

[श्री बलवन्त सिंह मेहता]

ऐंटरीज (प्रविष्टियां) हैं उनमें संशोधन करना पड़ेगा और तभी उनसे कोई लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन उनमें संशोधन करने के बाद भी जब तक कि हम संविधान पास नहीं कर लेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि वह कानून का रूप धारण कर सकें, इसलिये यह बहुत जरूरी समझा गया कि यह दो-चार मदें लेकर इस विधेयक में जोड़ी जायें और जल्दी से जल्दी इसको कानून का रूप दे दिया जाय।

इसमें जो खास-खास मदें हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सा इस समय प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो वह है जो पुराने कानून में पृष्ठ १४ पर "ऐनशिएट रुईंस ऑफ बाडोली" (बाडोली के प्राचीन खण्डहर) के सम्बन्ध में उल्लेख है। नये विधेयक में उसका विस्तार किया गया है और अलग-अलग उसका उल्लेख किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है वह मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं। उसमें "ऐनशिएट रुईंस" के नाम से उल्लेख किया गया है और कई मन्दिर ऐसे बने हुए हैं और इतने सुन्दर बने हैं कि भारतवर्ष में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जेम्स फर्गुसन की "ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एण्ड ईस्टर्न आर्चिटेक्चर" में इस बाडोली के मंदिर का उल्लेख आया है और उन्होंने लिखा है कि कुछ मंदिर अति सुन्दर हैं और उनकी टक्कर लेने वाले मंदिर अन्यत्र कहीं नहीं हैं। इसी तरह डा० ओझा जो कि हमारे इतिहास के बड़े मर्मज्ञ हैं उनका भी उद्धरण इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने रखूंगा। फर्गुसन साहब फरमाते हैं कि बाडोली के मंदिर मध्य भारत में निस्संदेह प्राचीनतम और कला में उत्कृष्टतम हैं। वे नवीं या दसवीं शताब्दी के हैं। उनकी वास्तुकला बड़ी सुधरी हुई है और नमूने बेजोड़ हैं।

इससे आपको अन्दाजा हो जायगा कि वे मंदिर कितने महत्वपूर्ण हैं। आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिरों तथा नागदा के "सास के मंदिर" को छोड़ कर इन मंदिरों की समता करने वाले मंदिर भारतवर्ष में कोई नहीं हैं। भारतीय शिल्प के अद्वितीय ज्ञाता फर्गुसन ने यहां के मंदिरों की कारीगरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह बड़े दुःख की बात है कि बाडोली मंदिर से विष्णु की शेषशैय्या मूर्त्ति गायब हो गई है हालांकि वह सारा का सारा प्रोटेक्टेड मौन्यूमेंट (संरक्षित स्मारक) है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि वह मौन्यूमेंट आप की संरक्षता में होते हुए भी वह मूर्त्ति कहां चली गई और वह क्यों नहीं वहां पर फिर से बैठायी जाती है? मालूम नहीं हमारा पुरातत्व विभाग सोता है जो उसका ध्यान इधर नहीं जाता.....

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० मा० मो० दास)** : क्या माननीय सदस्य उसका कुछ ब्यौरा बतायेंगे?

†**श्री बलवन्त सिंह मेहता** : बाडोली के मंदिर से शेष शयन की मूर्त्ति गायब हो गई है। वह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले गायब हुई थी।

वह विष्णु की मूर्त्ति वहां से गायब है। हमारा पुरातत्व विभाग न जाने क्या कर रहा है और वह सोता है कि जागता है। लाखों रुपये हम बजट में इन ऐनशिएंट मौन्यूमेंट्स को प्रीजर्व करने के लिये मंजूर करते हैं लेकिन यह बड़े खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि वे हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और गौरवमयी अतीत के नमूने नष्ट होते जा रहे हैं।

इस तरह उदयपुर का प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर जिस नागदा मंदिर के लिये श्री फर्गुसन ने लिखा है कि ऐसा सुन्दर मंदिर अन्यत्र देखने को नहीं मिलता वहां से भी कई चीजें गायब हो रही हैं और मुझे वहां के एक आदमी ने बताया कि एक कर्नल साहब वहां मोटर में बैठ कर गये और ऐनशिएंट मौन्यूमेंट को उठा कर ले गये। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारा पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जिनकी अभी सूची भी नहीं बनी है, सर्वेक्षण भी

†मूल अंग्रेजी में।

नहीं हुआ है। इसलिये मेरा सरकार से और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन जगहों की सूची बनावें। वह एक कमीशन (आयोग) बनावें जो सारे भारतवर्ष के अन्दर घूमे और सूची बना कर उनका माकूल इन्तजाम करे। जो चीजें आज आप की संरक्षता में हैं वह भी खराब हो रही हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि जो जगहें आपकी संरक्षता में नहीं हैं उनका क्या हाल होगा। यह बहुत आवश्यक है कि इन रुईंस की अलग-अलग व्याख्या की जाये। उनका समावेश पहले विधेयक में है, लेकिन मेरे विधेयक में उनकी व्याख्या की गई है। वह बहुत सुन्दर मन्दिर हैं, और मैं अपने दूसरे भाइयों से भी अर्ज करूंगा कि वह भारतवर्ष की कला के बहुत उत्तम नमूने हैं। वहां की मूर्त्ति ८वीं, ९वीं शताब्दी की बनी हुई है। जिस स्थान के बारे में मैं ने अर्ज किया वह जहां पर चम्बल का बांध बन रहा है वहां पर एक फाल (झरना) है, जिसके लिये फर्गुसन ने भी लिखा है। उसके पास सड़क भी जाती है। यह भी चित्तौड़ जिले में है।

दूसरी चीज जो समावेश के लिये सुझाई गई है वह राक इंस्क्रिप्शन (शिला लेखों) के बारे में है। यह एक अजीब चीज है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ऐसी चट्टानें बहुत कम होंगी जिन पर हमारा इतिहास खुदा हुआ होगा। यह जो चट्टान है जिस पर इतिहास खुदा हुआ है, वह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वहां पर दो शिलायें हैं। एक के ऊपर जैनियों का पूरा-पूरा पुराण खुदा हुआ है, जिसका नाम 'उत्तम शिखर पुराण' है। उसकी प्रति नहीं मिलती है, सारे का सारा चट्टान पर खुदा हुआ है। उसका समावेश इस विधेयक में किया गया है। जो दूसरी चट्टान है वह पार्श्वनाथ मन्दिर के हाते के अन्दर है। यह बिजौलिया के बिल्कुल पास है जो कि भीलवाड़ा जिले में एक छोटा सा कस्बा है। इतिहास के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में डा० ओझा ने, जो कि इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हैं, भी थोड़ी लिखा है और एपिग्राफिआ इंडिया में भी इसके सम्बन्ध में उल्लेख है। उसमें भी यही कहा गया था कि इसकी क्षति हो रही है। अगर इस विधेयक में इसको नहीं लिया जाता तो उसकी क्षति की और ज्यादा सम्भावना है। इसकी हमारे इतिहास के लिये बहुत बड़ी देन है। हमारे हिन्दी साहित्य के आदि काल का ग्रंथ जो "पृथ्वीराजरासो" है उसके सम्बन्ध में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस चट्टान के लेख से वे सब भ्रांतियां भी दूर हो जाती हैं। इस विषय का भी इसी एपिग्राफिआ इंडिया में उल्लेख मिलता है। यह एक बहुत ही प्रमुख लेख मिला है और इससे पृथ्वीराज के समय के इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश पड़ता है। यह जो ग्रंथ है वह हमारे देश के इतिहास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और आदिकाल का माना जाता है। उसके नाम से कई लोग उस की झूठी-झूठी प्रतियां निकाल कर राज्य सरकारों और भारत सरकार से सहायता ले रहे हैं। यह शिला लेख इसके ऊपर भी काफी प्रकाश डालता है। इसलिये इस महत्वपूर्ण लेख को इस विधेयक में लिया गया। उसके पास ही जैसा मैंने अर्ज किया जो चट्टान है जिसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ खुदा हुआ है, उसको पहले संरक्षण में ले लिया गया है, इसलिये इस को भी ले लिया जाये।

इसके पश्चात् मैं मेनाल अथवा महानाल के सुप्रसिद्ध स्मारक के विषय में कहना चाहता हूं। यह १२वीं शताब्दी का बना हुआ है और चित्तौड़ ज़िले की बेगूं तहसील में स्थित है। यह हमारे प्राचीन इतिहास की स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना है और हिन्दू भारत के इतिहास की एक सजीव कृति है। इसका संरक्षण होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिये इसको लिया गया है।

यह जो तीनों चीजें ली गई हैं, मैं समझता हूं कि उनका बड़ा महत्व है और यदि इनको बहुत समय तक अरक्षित छोड़ दिया जायेगा तो बहुत सम्भव है कि यह बहुत खराब हो जायें। इसलिये मैं सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे और साथ ही जैसा मैंने निवेदन किया, पुरातत्व विभाग जो सोया हुआ सा है और लाखों रुपया खर्च करता है, वह भी थोड़ा सजग हो, और जो यह सब चीजें हमारी राष्ट्र की निधि हैं उनको बचावे। साथ ही जो हमारी

[श्री बलवन्त सिंह मेहता]

बहुत सी मूर्त्तियां गायब हो गई हैं, उनको भी वहां फिर से स्थापित करे। इसके लिये भी मेरी विनती है कि जो अन्य चीजें हैं, जैसे राजस्थान का जन्तर मन्तर है, उसकी हालत भी अखबारों में निकली। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को उसको भी जल्दी से जल्दी लेना चाहिये। अभी हाल में कुतुब मीनार के वास्ते चार दिन पहले प्रश्न किया गया था। उसका हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि उसका एलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) हो रहा है या नहीं। मैं समझता हूं कि जो हमारे ऐसे-ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकारी संरक्षण में लेने के ऊपर विचार किया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस पर बोलने वाले सदस्य कृपया अपनी टिप्पणियां किसी स्मारक विशेष तक ही सीमित रखें, सामान्य विषयों को न लें, क्योंकि यह एक संशोधन विधेयक है।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): यह विधेयक विस्तृत नहीं है। इसमें भारत के सभी ऐतिहासिक स्मारकों को सम्मिलित किया जाना चाहिये था परन्तु सभा के समक्ष जो विधेयक रखा गया है वह अपर्याप्त है। यद्यपि इसके नाम से यह पता लगता है। कि यह समूचे भारत के लिये है, परन्तु यह केवल राजस्थान के लिये है। अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक हैं। मेरा राज्य ब्रह्मा की सीमा पर है.....

†**सभापति महोदय** : मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य इस विधेयक के खण्ड २ में उल्लिखित विषयों को ही लें। इस विधेयक में केवल कतिपय स्मारकों को घोषित किया जा रहा है। अन्य स्मारकों का उल्लेख किये जाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता। यदि वे अन्य राज्यों के स्मारकों को अधिसूचित करना चाहते हैं तो इसके लिये उपयुक्त ढंग से केन्द्रीय सरकार से कहें।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : माननीय मंत्री से मेरी केवल यह प्रार्थना है कि १९५१ के मूल विधेयक को संशोधित करते हुए अन्य राज्यों को भी सम्मिलित किया जाये।

†**सभापति महोदय** : अपने राज्य के स्मारकों के सम्बन्ध में वे एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : मैं केवल सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी महत्व के कुछ स्मारकों की रक्षा करने के लिये उन्हें इस सूची में रखा है।

भूतकाल में चित्तौड़ के किले की उपेक्षा होती रही है। अब मुझे आशा है कि इसकी मरम्मत कराई जायेगी और उसका पुनर्निर्माण होगा।

यह दु:ख की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को खण्डश: रूप से लिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि बार-बार संसद् के समक्ष विधेयक लाने की बजाय गजट में अधिसूचना निकाल कर स्मारकों को सूची में सम्मिलित कर लेना चाहिये।

मुझे आशा है कि जब स्मारकों का पुनर्निर्माण होगा तो आगे आने वाली संतति, जो अपनी परम्पराओं को न जानने के कारण कलात्मक रचनाओं के लिये विदेश से प्रेरणा प्राप्त करती है इनसे प्रेरणा ले सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अपनी संस्कृति के इन कोषागारों में सरकार जो अभिरुचि दिखा रही है उसके लिये मैं देश के कलाकारों की ओर से उसे धन्यवाद देता हूं । इनसे हमें अपने पूर्वजों का स्मरण हो आता है जो हमारे लिये जिये और जो आज भी हमें भारत को अधिक सम्मान और उन्नति की ओर ले जाने के लिये प्रेरणा दे रहे हैं ।

†**डा० म० मो० दास** : आरम्भ में मैं यह नहीं चाहता था कि जहां तक इस प्रस्ताव विशेष का सम्बन्ध है मैं सभा के समक्ष एक लम्बा भाषण दूं क्योंकि दूसरे सदन में हमने भारत सरकार की ओर से इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है और मैं समझता था कि इस सभा में भी मुझे माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना था कि सरकार इस विधान को स्वीकार करती है । परन्तु इस विधान पर जो चर्चा हुई है मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं, उनमें कई ऐसी बातें कही गई हैं, जिन्हें मैं पुरातत्व विभाग के प्रति न्याय करने और औचित्य की दृष्टि से स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, राजस्थान के कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । जिन मन्दिरों और स्मारकों को इस विधेयक द्वारा सूची में सम्मिलित किया जा रहा है वे हैं पार्श्वनाथ जैन मन्दिर (पंचायतन), जिस पर १२वीं शताब्दी के शिलालेख हैं, और बाहोली मन्दिर हैं । दूसरे मेनल (महानल) मंदिर मठ और पुराना कुआं और सुहावेश्वर मंदिर तथा रानी सुहावदेवी का महल है । इस विधेयक द्वारा इन स्मारकों को भारत सरकार के संरक्षण में लाया जा रहा है, परन्तु मैं माननीय मित्र को यह स्मरण करा दूं कि राजस्थान में ऐसे और बहुत से महत्वपूर्ण स्मारक हैं जिन्हें अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है, उदाहरणत: ——यदि मैं स्पष्ट करने लगूं तो कुछ समय लगेगा——क्या मुझे अपेक्षित समय की अनुमति दी जा सकती है ?

†**सभापति महोदय** : निस्संदेह वे समय ले सकते हैं ।

†**श्री म० मो० दास** : उदाहरणत: जिला जोधपुर का ओशियन मंदिर, और कई मंदिर, हरिहर का मंदिर, सूर्य का मंदिर, महावीर का मंदिर, पिपला देवी का मंदिर, साहिमा माता का मंदिर और अन्य स्थान भी हैं । वे सब बहुत महत्वपूर्ण हैं । उन सब पर बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण हैं । उदाहरणत: महावीर के मंदिर पर जो लेख उत्कीर्ण हैं उसमें प्रतिहार वंश के वत्सराज के नाम का उल्लेख है, इस वंश ने सन् ७७० ईस्वी से ८०० ईस्वी तक राज्य किया था । कुछ मंदिर आठवीं और नवीं शताब्दी में बनाये गये थे । ये बहुत महत्वपूर्ण मन्दिर हैं और राजस्थान में हैं ।

और स्मारक भी हैं जो सूची में सम्मिलित किये जाने योग्य हैं; उदाहरणत: पाली जिला के रानकपुर का सूर्य मंदिर है, यह मंदिर भगवान सूर्य का है और इसमें बहुत सुन्दर खुदाई का काम है । यह मध्ययुगीय हिन्दू वास्तुकला का एक सुन्दर नमूना है । उदयपुर ज़िला में जगत का, अम्बिका जी का मंदिर भी है जिसमें प्लास्टिक की शानदार सजावट है और यह सुरक्षित अवस्था में है । ज़ावर के प्राचीन नगर में, जो चांदी की खानों के लिये प्रसिद्ध है, एक जैन मन्दिर है । उदयपुर नगर में नोचौकी के स्थान पर एक घाट है जिसमें एक शिलालेख है । इस सारे घाट से हमें प्राचीन काल की धर्म निरपेक्ष वास्तुकला का परिचय मिलता है । घाट के शिलालेखों से केवल ऐतिहासिक तथ्यों का ही पता नहीं चलता है वरन् वे स्वयं भी सुन्दर कला कृतियां होने के नाते महत्वपूर्ण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (जिला ऐटा—उत्तर व ज़िला बदायूं—पूर्व) : क्या सरकार का कोई संशोधन है कि इनको सम्मिलित किया जाये ?

†**डा० म० मो० दास** : क्योंकि माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है, अतः मैं सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चहाता हूं कि इस विधेयक विशेष के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ।

जहां तक इस देश के स्मारकों का सम्बन्ध है उसकी विधि सम्बन्धी स्थिति में सम्भवतः दो या तीन बार परिवर्तन हुआ है । अंग्रेज़ों के शासनकाल में जहां तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित प्रान्तों का सम्बन्ध था, पुरातत्व केन्द्र का विषय था । ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित राज्य सरकारों को पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों के संरक्षण और संधारण के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना होता था । हमारे स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक यही स्थिति चलती रही। जहां तक कि देशी रियासतों का सम्बन्ध था, उन्हें पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण और संधारण के अपने प्रबन्ध करने पड़ते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब देशी राज्य भारत संघ में संविलीन हुए, तो देशी राज्यों के सब पुरातत्वीय स्मारक केन्द्रीय सरकार के पास आ गये, और केन्द्रीय सरकार का पुरातत्व विभाग देश के समस्त पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों के संधारण के लिये उत्तरदायी बन गया । फिर हमारा संविधान लागू हुआ । हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के पुरातत्व विभाग और स्मारकों को दो वर्गों में रखना ठीक समझा—एक वर्ग में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक रखे गये जिनका प्रशासन केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत रखा गया, और दूसरे वर्ग में कम महत्व के स्मारक रखे गये जिनका प्रशासन राज्य सरकारों को करना था। संविधान के लागू होने के समय विधि सम्बन्धी स्थिति यही थी और अभी तक यही स्थिति है ।

वर्ष १९५१ में हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात् इस सभा के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया । यह विधेयक था प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, जिसकी ओर माननीय प्रस्तावक ने निर्देश किया है । इस बीच पुरातत्व विभाग के हमारे पदाधिकारी हमारे देश के जो कि एक बहुत बड़ा देश है, प्रत्येक महत्वपूर्ण मंदिर नहीं देख सके । इस देश के प्रत्येक कोने में प्राचीन पुरातत्वीय महत्व के स्मारक और मंदिर हैं, और हमारे पुरातत्व विभाग के थोड़े से पदाधिकारियों के लिये इन सब को देखना और महत्वपूर्ण स्मारकों, प्राचीन स्थानों और कला आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की ओर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाना सम्भव नहीं था । अतः जो विधेयक १९५१ में पारित किया गया था उसमें इस देश के उन महत्वपूर्ण स्मारकों के नामों की एक अनुसूची संलग्न की गई थी, जिनका संधारण और संरक्षण केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये । यह कल्पना की जा सकती है कि यह अन्तिम सूची नहीं थी और इसमें गलतियां थीं । इस सूची में बहुत से ऐसे मंदिर सम्मिलित किये गये थे जो पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे और जो सूची में सम्मिलित किये जाने योग्य स्मारक थे वह छूट गये थे । फरवरी १९५४ में सरकार ने इन गलतियों को सुधारने के लिये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था । उस विधेयक को भी दोनों सभाओं ने पारित कर दिया था परन्तु उस विधेयक द्वारा भी सब गलतियों को ठीक नहीं किया जा सका । अब भी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें हमारे पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को देखना है और फिर निश्चय करना है कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें सूची में सम्मिलित किया जाये । यह विधेयक सन् १९५४ के अन्त में प्रस्तुत किया गया था । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हमने इसे अनुसूची के अन्तिम संशोधक विधेयक के रूप में स्वीकार नहीं किया है वरन् इसलिये स्वीकार

†मूल अंग्रेजी में ।

किया है कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है इसमें कई ऐसे स्थानों के नाम हैं जिन्हें कि अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

सरकार ने एक संशोधन विधेयक तैयार कर लिया है जिसमें अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रीय महत्व के समस्त स्मारकों को सम्मिलित किया गया है । इसी बीच राज्यों का पुर्नगठन हुआ, और क्योंकि हमें उस जगह के जहां कि स्मारक होता है, ज़िला, राज्य आदि का नाम देना पड़ता है अतः राज्य के नाम के बदलने से अनुसूची बदलनी पड़ी थी । उसमें कुछ समय लगा और इसलिये हम अन्तिम संशोधन विधेयक सभा के समक्ष नहीं ला सके । हम निकट भविष्य में इसे लाना चाहते हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री चट्टोपाध्याय ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि किसी प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मारक को सूची में सम्मिलित कराने के लिये प्रत्येक बार संसद् के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । यह कार्य सरकारी गजट में एक सूचना प्रकाशित करके कर दिया जाना चाहिये । संविधान के सप्तम संशोधन से ऐसा करना सम्भव हो गया है, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में सूचना प्रकाशित करके महत्वपूर्ण पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों को अनुसूची में सम्मिलित कर सकता है । परन्तु हमें वह अधिकार सभा से लेना है, और प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सम्भवतः—मैं वचन नहीं देता हूं—इस प्रकार का एक उपबन्ध होगा । मैंने वर्तमान स्थिति सभा के समक्ष स्पष्ट कर दी है ।

मेरे माननीय मित्र ने एक मूर्त्ति के विषय में बताया कि वह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व खो गई थी ।

†**श्री बलवन्त सिंह मेहता** : स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व इसे अनुसूची में सम्मिलित किया गया था परन्तु इस वर्ष इसे निकाल दिया गया ।

†**डा० म० मो० दास** : उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे इसका लिखित ब्योरा दें । हमारे विभाग के विरुद्ध यह एक गम्भीर आरोप है और इसकी जांच की जायेगी । यदि संरक्षित स्मारकों में से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुयें खो जायें तो सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यदि जांच से यह पता लगेगा कि ऐसी कोई बात हुई है कि कुछ मूर्त्तियां अथवा सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुयें खो गई हैं तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

उन्होंने जंतर-मंतर के सम्बन्ध में कहा है । आज भी जंतर-मंतर के सम्बन्ध में एक प्रश्न था । पहिले यह राजस्थान सरकार का, कदाचित् महाराज़ा जयपुर का था । राजस्थान सरकार १९५० में ही इसे भारत सरकार को देना चाहती थी । लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि भारत सरकार उसे वेधशाला के रूप में चलायेगी । पुरातत्व विभाग के पास वेधशाला का संचालन करने के लिये कोई मशीनें या साधन नहीं हैं । इसलिये हमने इस मामले को अन्तरिक्ष विभाग को भेज दिया । निस्संदेह यह बहुत बड़ी बात है, तथापि आधुनिक आविष्कारों से हमारी गणनायें बहुत सही उतरती हैं । इसलिये विभाग ने यह अनुभव किया कि प्राचीन ढंग से वेधशाला के चलाने से कोई लाभ नहीं होगा । हमने राजस्थान सरकार को इस बात की सूचना दे दी । उसने हमें यह सूचित किया कि वह इस स्मारक को इस शर्त पर हमें सौंप सकती है कि उसे उसी क्षेत्र में कुछ भूमि दी जाये । वह कुछ इमारतें बनाना चाहती थी । पुरातत्व के दृष्टिकोण से किसी इमारत के निकट बड़ी इमारतों के बनने से, उसका सौंदर्य और आकर्षण नष्ट हो जाता है । हमने उसे यह लिखा कि हम उसे इस शर्त पर भूमि दे सकते हैं कि वह भवन बनाते समय उनके नकशे तथा तत्सम्बन्धी कागज पत्र पुरातत्व के निदेशक को दिखलायें, जिससे हम यह देख सकें कि उनसे स्मारक के सौंदर्य पर आघात तो नहीं होता है । पिछले अक्तूबर को सहमत हो गयी है और हमने इस स्मारक को लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

[डा० म० मो० दास]

अब मैं कुतुब मीनार के प्रश्न को लेता हूं। मुझे मेरे माननीय मित्र श्री पांडे का एक प्रश्न याद है जो कि बिजली लगाने के सम्बन्ध में था। सभा में पूछे गये प्रश्नों से मुझे यह ज्ञात हुआ कि सभा की यह इच्छा है कि वहां बिजली लग जाये। मैं अपने माननीय मित्रों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं यह घोषित करूं कि सरकार ने सभा के सदस्यों की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया है तथा वह सीढ़ियों पर बिजली लगायेगी तथा सबसे उपरी मंजिल में बहुत आकर्षक ढंग से बिजली लगायेगी जिससे कि यह बहुत दूरी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। मेरे विचार से मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं और मैं इस विधेयक को स्वीकार करता हूं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : क्या राजस्थान के स्मारकों को भी इस विधेयक में शामिल करने वाला कोई संशोधन है ?

†**डा० म० मो० दास** : हम स्वयं एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें केवल राजस्थान के ही नहीं, अपितु अन्य स्थानों के स्मारक भी शामिल होंगे।

†**सभापति महोदय** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री सुबोध हासदा** : (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : कुतुब मीनार में बिजली लगाने के लिये क्या किया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : जैसा कि मैं बता चुका हूं उसमें बिजली लगने वाली है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम १९५१ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : इस विधेयक के कोई संशोधन नहीं हैं। अतः मैं खंडों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि जब वह नया विधेयक लावेंगे, जो कि अपने आप में सम्पूर्ण होगा, उसमें राजस्थान के और भी कुछ स्मारक और पुरातव की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान जोड़ दिया जायेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को जल्दी लावें ताकि चुनाव के बाद जो नया सदन बैठे उस समय उसके सामने सबसे पहले यही बिल हो क्योंकि यह हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे पुराने गौरव से सम्बन्धित है। अगर वह उसका काम अभी से शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस समय तक यह बिल ला सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसके साथ मैं डा० रघुवीर को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आपके सामने इस विधेयक को लाने का मौका दिया। डा० रघुवीर अच्छे विद्वान हैं और यदि वह चाहते तो अपने ही प्रदेश के मानूमेंट्स का जिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में जो चीज इतिहास की दृष्टि से और पुरा-तत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उसको सामने रखा। उन्हीं स्थानों को लेकर वे इस विधेयक को लाये और मुझे आपके सामने उसे रखने का मौका दिया। इसके लिये मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो.....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य धन्यवाद देने के पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पास किया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ब० द० पांडे (जिला-अल्मोड़ा-उत्तर पूर्व) : मैं इस विधेयक के तृतीय वाचन के समय कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक हमारे सामने है यह बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे ही ऐनशिएट मौनयूमेंट्स को कायम रखना चाहिए जो कि हमारी पूर्व कीर्ति और गौरव के स्तम्भ हों और जिनसे हमें प्रेरणा मिलती हो अर्थात् जो सत्य, शिवं, सुन्दरम् हों, जिनके पीछे यश हो, कीर्ति हो और प्रतिष्ठा हो। मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ें जो कि ब्रिलकुल टूटी हुई हैं और ईंट मात्र रह गयी हैं और जो कि देखने में कुरूप लगते हैं ऐसे स्मारकों पर व्यर्थ में पैसा न खर्च किया जाना चाहिये। तुलसीदास के स्मारक और वृंदावन के स्मारक और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तम्भ है वे हमारे अतीत गौरव की याद दिलाते हैं और हमारी पुरानी संस्कृति के उत्कृष्ट नमूने हैं और सरकार को अपने पुरातत्व विभाग द्वारा उनकी देख-रेख कराते रहना चाहिये और उनको अच्छी हालत में बनाये रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप इन स्थानों को उसी तरह मेंटेन (संभाल) करें जैसे कि आप ताज-महल और कुतुब मीनार की करते हैं। लेकिन बेकार में कुरूप और बदसूरत चीज़ों को प्रीजर्व (रक्षित) मत करिये और उन पर व्यर्थ में रुपया न बर्बाद कीजिये। मैं कई स्मारक इस तरह के बेकार के बतला सकता हूं। मैं चूंकि उस कमेटी में नहीं हूं और मेरे पास वह लिस्ट नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि यहीं दिल्ली में बहुत से ऐसे बेकार के स्मारक खड़े हैं और जो कि आंखों में कांटे के समान लगते हैं उनको तो तोड़ दिया जाना चाहिये। लाजपतनगर और विनयनगर के रास्ते में बहुत से इस तरह के बदसूरत खंडहर खड़े हैं जो कि बिलकुल बेकार हैं और उन पर रुपया खर्च करना बेकार है। मैं श्री चट्टोपाध्याय से पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे ही स्मारकों की देख-रेख होनी चाहिये जोकि सुन्दर हों और जो कि हमारे प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति की याद दिलाते हों। मैं और अधिक न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

†**श्रीमती उमा नेहरू** (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में, संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रजी में।

[श्रीमती उमा नेहरू]

यह एक वांछनीय संशोधन है जिसे राज्य-सभा पारित कर चुकी है। मैं आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**विधि-कार्य मंत्री** (श्री पाटस्कर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। इसका कारण यह है कि विशेष विवाह अधिनियम में, गुप्त रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में एसी ही व्यवस्था की गयी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस अधिनियम के अनुसार, गुप्त रोग से पीड़ित होना भी पृथक् होने का एक आधार बन सकता है। डाक्टरी चिकित्सा के अनुसार इस रोग की चिकित्सा हो सकती है। इसके अलावा हमने विशेष विवाह अधिनियम में यह व्यवस्था की है कि यदि व्यक्ति ऐसी बीमारी से तीन वर्ष पहले से पीड़ित रहा हो तभी उसके आधार पर कार्यवाही हो सकती है। इसलिये हिन्दू विवाह अधिनियम को, विशेष विवाह अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिये यह संशोधन राज्य-सभा में किया गया था। मैं इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में, संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती उमा नेहरू :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल जिला बिजनौर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि स्त्रियों तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं का विनियमन और अनुज्ञापन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय"।

†**सभापति महोदय :** इस विधेयक को डेढ़ घंटा दिया गया था जिनमें से एक घंटा २० मिनट पहले ही लिये जा चुके हैं। अब केवल १० मिनट बाकी हैं।

किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इतने समय में इस विधेयक पर उचित चर्चा नहीं हो सकती है। यह विधेयक महत्वपूर्ण है और मैं सभा की इच्छा के अनुरूप चलूंगा। अतः मैं इसके लिये एक घंटा निश्चित करता हूं। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये। मेरे विचार से इतना समय पर्याप्त होगा।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** मेरे विचार से एक घंटा पर्याप्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रघुबीर सहाय** (जिला एटा––उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं––पूर्व) : १ घंटे २० मिनट का समय मिलना चाहिये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्ननूर) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथापि मुझे ५ बजे के पूर्व अपना विधेयक प्रस्तुत करने का समय मिल जाये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक के विचारार्थ तथा पारित करने के लिये १ घंटा १५ मिनट का समय दिया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** राजमाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** अन्य सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे बच्चों तथा बहिनों के सम्बन्ध में समाज-विरोधी कार्यवाहियों का अन्त होगा । वस्तुतः इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों से स्त्रियों और बालकों की रक्षा करना है, जो परोपकारियों के नाम से उनका शोषण करते हैं । इस विधेयक का यह उद्देश्य भी है कि आश्रयहीन अभागी अबलाओं का पालन-पोषण और कल्याण हो सके । मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रवर समिति में बड़ी कुशलता से इस विधेयक का संचालन किया ।

मैं इस विधेयक की केवल एक बात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विधेयक में यह कहा गया है कि राज्य प्राधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति दी जा सकती है । अनुज्ञप्ति अस्वीकार किये जाने पर उसे अपील का अधिकार मिला हुआ है । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये अन्यथा इससे केवल विधि सम्बन्धी जटिलतायें ही उत्पन्न होंगी ।

इस विधेयक में केवल तीन माह की कैद, अथवा २५० रुपये अर्थ दंड, अथवा दोनों ही विहित किये गये हैं । इन बालकों के आश्रमों के इतिहास को देखते हुए तथा स्त्रियों के आश्रमों के सम्बन्ध में अपना अनुभव देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यह बहुत कम है । वहां सभी प्रकार के कदाचरण होते हैं । मेरे विचार से दंड को बढ़ाया जाये और उसे अधिक निरोधात्मक बनाया जाये ।

राज्य-सरकारों को नियम इत्यादि बनाने के सम्बन्ध में बहुत अधिकार दे दिये गये हैं । यहां तक कि विधेयक के क्रियाकारी खंड भी उनके सामने तुच्छ ज्ञात होते हैं । वस्तुतः सभी महत्वपूर्ण बातें, यथा किस प्रकार की व्यवस्था हो, स्त्रियों व बच्चों को किस प्रकार की सहायता दी जाये, स्त्रियों व बच्चों को कैसे आश्रम में दाखिल किया जाए इत्यादि, इन सभी बातों पर राज्य सरकारों से नियम बनाने को कहा गया है । मेरे विचार से यह बात उचित नहीं है ।

मेरा विश्वास है कि शीघ्र ही भारत से ये अनाथाश्रम और विधवाश्रम इत्यादि समाप्त हो जायेंगे तथा सभी स्त्री और बालकों को कल्याणकरी राज्यों के लाभ प्राप्त होंगे ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी––पश्चिम) : मैं इस बिल का स्वागत करने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं कि आज उनकी वजह से यह बिल यहां पर आया और पास भी हो रहा है । इस बिल के जरिये हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्रीमती उमा नेहरू]

है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जब यह कानून की शक्ल ले लेगा और इसको ठीक तरह से लागू किया गया तो हम समाज की बहुत कुछ गन्दगी दूर कर देंगे। इस बिल पर ज्यादा समय तक, मैं समझती हूं, बोलना बेकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जब हम वैलफेयर स्टेट (कल्याणकरी राज्य) बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह यह है कि हम अपने सोशल लाज़ (सामाजिक विधियों) को बदल दें, अपने सोशल स्ट्रकचर (सामाजिक ढांचे) को बदल दें और हमारे समाज में जो खराबियां हैं, उनको दूर करें। अब जब कि हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, यह हमारा फर्ज है कि हम सामाजिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ायें, और हमारी जो सामाजिक जरुरतें हैं उनको पूरा करें और समाज में जहां-जहां परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, वहां-वहां परिवर्तन लायें। आज जब हम अपने देश के सामाजिक ढांचे की ओर देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रंज और अफसोस होता है। आज खास तौर से जब हम स्त्री की हालत को देखते हैं और जब हम उसको बहुत ज्यादा गिरी हुई पाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुःख होता है। कहने को हम चाहे कुछ कहें लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसकी हालत बहुत ज्यादा गिरी हुई है और उसकी स्थिति को बदलने की जितनी आवश्यकता आज है उतनी शायद पहले न हुई हो। आज हम देश में स्त्रियों के लिये, तथा बच्चों के लिये बहुत से आश्रम खुले हुए देखते हैं परन्तु वहां पर जिस तरह की चीजें हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस वास्ते जो बुराइयां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज है। मुझे खुशी है कि आज सरकार ने इस बात की जिम्मेवारी ली है और वह इस बिल को पास कराने जा रही है। इस बिल के पास हो जाने पर हम सामाजिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे और अब हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि इस कानून को हम सख्ती से और अच्छी तरह से लागू करें।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि इस बिल को बिना ज्यादा बहस के पास कर दिया जायगा। मेरा यह अपना विचार है कि इस बिल के पास हो जाने पर हमारे समाज में आज जो गंदगी फैली हुई है वह साफ हो जायेगी और जिस तरह से हमें बच्चों को रखना चाहिये, जिस तरह से स्त्रियों को रखना चाहिये, जिस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिये, जिस तरह से उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये, वह सब हम कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी आशा करती हूं कि इससे स्त्रियों की इज्जत भी बढ़ेगी।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई–उपनगर) : मझे इस विधेयक को पारित होते देखते हुए बहुत प्रसन्नता है। नैतिक तथा सामाजिक आचार सम्बन्धी संघ ने दो विधेयक तैयार किये। पहला अनैतिक पण्य दमन विधेयक था जो पारित हो चुका है। किन्तु वह विधेयक भी बिना इस विधेयक के पारित हुए प्रभावशाली सिद्ध नहीं होता अतः इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रत्येक राज्य में ऐसी संस्थाओं को अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता होगी।

प्रवर समिति ने मूल मसविदे पर कुछ सुधार किये हैं। यह अच्छी बात है कि नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकरों को दिया गया है।

हमने एक महत्वपूर्ण सुधार यह भी किया है कि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के ६० दिन पूर्व नयी अनुज्ञप्ति दी जा सकती है, और विलम्ब होने पर उस अवधि को क्षमा किया जा सकता है। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण सुधार हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ––मध्य) : सभापति महोदय, स्त्रियों और बच्चों की जो संस्थायें हैं, उनके लिये लाइसस देने के लिये यह जो बिल आज इस सदन के सम्मुख पेश किया गया है, इसका मैं स्वागत करती हूं और मैं समझती हूं कि आज इस तरह के बिल की बहुत ही आवश्यकता

†मूल अंग्रेजी में।

थी। बिना इस बिल के पास किये, कुछ दिन हुए हमने जो 'सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रफिक इन विमन एंड चिल्डरन बिल' पास किया है, वह सम्पूर्ण और सशक्त नहीं हो सकता है। आजकल हमारे देश में बहुत से लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिये अपने निजी आश्रम और अनाथालय खोल रखे हैं जहां पर धर्म के नाम पर पर्दे के पीछे पाप और व्यभिचार होता है। इन आश्रमों को चलाने वालों ने लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिये, इनके नाम हमारे देश के बड़े-बड़े धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों के नामों के ऊपर रखे हैं जैसे विवेकानन्द आश्रम, ब्रह्मानन्द अनाथालय, स्वामी दयानन्द विधवा आश्रम आदि। ऐसे नामों को पढ़ कर लोगों के दिलों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि जिन लोगों ने ये आश्रम खोल रखे हैं वे बहुत ही धार्मिक लोग हैं और ये लोग बिना आश्रय की स्त्रियों को और अनाथ बच्चों को यहां पर इसलिये शरण देते हैं कि इनको उनके ऊपर दया आती है, उनके जो कष्ट हैं वे इनसे देखे नहीं जाते हैं और उनकी सहायता करने के लिये ये लोग निःस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन, सभापति महोदय, बात बिल्कुल इसके विपरीत है। ये लोग धर्म के नाम पर और समाज सेवा की ओट में धन कमाने के लिये इन संस्थाओं को व्यभिचार का एक अड्डा बना रहे हैं। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि वे स्त्रियों की रक्षा करने के लिये उनको यहां पर शरण देते हैं लेकिन असल में यहां पर स्त्रियों को बेचा जाता है और दूसरे घृणित पाप कर्म किये जाते हैं। इन आश्रमों में आश्रय लेने के लिये जो स्त्रियां आती हैं, उनमें से एक ही स्त्री की पांच-पांच, सात-सात बार शादी की जाती है। उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे धोखा देने में बड़ी उस्ताद और मक्कारी में बड़ी निपुण बन जाती हैं। उनको यह सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति की विश्वासपात्र बन कर उसका सारा धन बटोर कर भाग कर फिर आश्रम को लौट आयें और कई दुखियारी स्त्रियां मजबूर हो कर ऐसा करती भी हैं। इस प्रकार अनेक घरों और अनेक मनुष्यों को नष्ट करके वे फिर अपने आश्रमों में वापिस चली जाती हैं, जहां किसी दूसरे आदमी को उल्लू बना कर उसके साथ शादी करने का प्रबन्ध किया जाता है।

इन निजी अनाथालयों में संगीत जैसी उत्तम कला बालकों और स्त्रियों को भीख मंगवाने के लिये सिखाई जाती है। इन सब अनर्थों को रोकने के लिये यह आवश्यक था कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाये, जिससे अनाथालयों और आश्रमों के संचालक मनमानी न कर सकें और उनकी मैनेजिंग कमेटियों (प्रबन्ध समितियों) पर सरकारी नियंत्रण रहे। ऐसी अवस्था में यह बिल्कुल न्याययुक्त और उचित था कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि हमारे देश में जितनी भी ऐसी निजी संस्थायें हैं, वे बिना लाइसेंस के न रहने पायें।

इस बिल के सैक्शन ५ (४) में लिखा है कि जहां तक सम्भव हो, ऐसी संस्थाओं का संचालन स्त्रियों के हाथ में दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसमें मैं यह बढ़ाना चाहती हूं कि इन संस्थाओं का संचालन हमेशा ऐसे पुरुषों के हाथों में दिया जाय, जिनकी आयु पचास वर्ष से अधिक हो और जो विवाहित हों और जिनकी स्त्री जीवित हो। यदि ऐसे विश्वासपात्र और सज्जन पुरुष रखे जायेंगे, तो वे इन संस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकेंगे। यह व्यवस्था की जाय कि जिन संस्थाओं में इस प्रकार के पुरुष न हों, उनको लाइसेंस न दिया जाय।

श्री रघुवीर सहाय : पुरुष इसके लिये आप के बड़े आभारी होंगे।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : इन संस्थाओं को लाइसेंस देने और उनका निरीक्षण करने के लिये जो कमेटी या जो लोग नियुक्त किये जायें, उनमें स्त्रियां अवश्य रखी जायें, और इस काम के लिये जो स्त्रियां मुकर्रर हों, वे या तो शिक्षा विभाग की उच्च पदाधिकारी हों, या सोशल वेलफेयर बोर्ड (समाज कल्याण बोर्ड) की सदस्या हों। यदि ऐसी स्त्रियां निरीक्षण करने के लिये नियुक्त की जायेंगी, तो वे इन संस्थाओं

[श्रीमती शिवराजवती नहरू]

में रहने वाले बालकों और स्त्रियों के सम्बन्ध में पूर्ण और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और अच्छी और विश्वसनीय रिपोर्ट भी दे सकेंगी ।

मेरा यह भी सुझाव है कि जो निरीक्षक लोग हों, वे इन संस्थाओं में जाकर यह भी देख लें कि इनमें बालकों और स्त्रियों की संख्या क्या है और उसके बाद ही उनको लाइसेंस दिया जाय । आजकल यह देखने में आता है कि पांच-पांच, सात-सात बालकों या स्त्रियों को लेकर लोगों ने आश्रम खोल रखे हैं और एक ही उद्देश्य को लेकर एक ही नगर में पांच-पांच, सात-सात आश्रम खुले हुए हैं । मेरा निवेदन यह है कि इन छोटे-मोटे आश्रमों और संस्थाओं——अधर्म करने वाले इन आश्रमों——से देश को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि ये तो देश में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को स्थापित किये हुए हैं । इन से बालकों और स्त्रियों का हित के बजाय अहित होता है । इन संस्थाओं को न तो दान ही प्राप्त होता है और न ही सरकार इतनी संस्थाओं को ग्रांट (अनुदान) ही दे सकती है । नतीजा यह है कि इन सभी आश्रमों का बुरा हाल रहता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन सब छोटे-मोटे आश्रमों इत्यादि को बन्द कर के, इनको लाइसेंस न देकर, राज्यों में डिस्ट्रिक्ट (जिलों) में एक-एक बड़ा आश्रम——जो कि महिला आश्रम और अनाथालय हो——खोला जाय, जो कि बहुत बढ़िया हो और बहुत बड़े पैमाने पर काम करे और जो एक आदर्श संस्था कहलाने के योग्य हो । ऐसे आश्रम हमारे देश और समाज दोनों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे ।

हमारे देश में ऐसी जितनी संस्थायें, महिला आश्रम, अनाथालय इत्यादि हैं, इन सब का सुधार हो, यह हमारे देश की मांग थी और इस बिल से, जो कि आज हमारे सामने आया है, वह मांग पूरी होती है, इसलिये मैं इसका हृदय से समर्थन करती हूं ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर——दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । वास्तव में यह एक अत्यावश्यक विधान है क्योंकि इन संस्थाओं में कुछ बुराइयां हैं यद्यपि सारे ही आश्रम ऐसे नहीं हैं । अनुज्ञापन करना बहुत आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मेरा केवल यह सुझाव है कि इन संस्थाओं का प्रबन्ध महिलाओं के हाथ में होना चाहिये । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । मेरा ख्याल है कि महिलायें इन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से चलायेंगी । मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं इस विधेयक की प्रस्तुतकर्ता माननीय महिला सदस्या श्रीमती कमलेन्दुमति शाह को बधाई देता हूं । मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि १९५३ में श्री मन्नूलाल द्विवेदी ने इसी प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया था जो विधि मंत्री के यह आश्वासन देने पर वापिस ले लिया गया था कि सरकार एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेगी । फिर, श्रीमती मणिबन पटेल ने ऐसा ही विधेयक रखा और वह भी उपरोक्त जैसा आश्वासन देने पर वापस ले लिया गया । १९५५ के अन्त में श्रीमती कमलेन्दुमति शाह ने यह विधेयक रखा और कदाचित् आपके कहने पर यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया और आज यह विधेयक हमारे समक्ष आ गया है । मैं आशा करता हूं कि इसके पारित होने में कोई भी व्यक्ति कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सराहनीय है कि इन बनावटी संस्थाओं को, जहां अनाथ बच्चे और विधवायें अमानवीय परिस्थतियों में रहती हैं, बंद किया जाये और उनके स्थान पर अच्छी संस्थायें खोली जायें । सर्वप्रथम १९४८ में इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान गया था । उन्होंने एक समिति बनाई जिसका मैं भी एक सदस्य था । हमने राज्य के सारे अनाथालयों तथा विधवागृहों को देखा तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो १९४९ में प्रकाशित प्रतिवेदन में समाविष्ट

†मूल अंग्रेजी में ।

किया गया । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रतिवेदन की सारी बातों की सामाजिक तथा नैतिक आचार सम्बन्धी समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में समाविष्टि व पुष्टि की गई है। दोनों प्रतिवेदनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन संस्थाओं में से अधिकतर बनावटी हैं और वे यथाशीघ्र बंद होनी चाहियें । निश्चय ही इस विधेयक का प्रभाव यह होगा कि यदि राज्य सरकारें इस विधेयक के उपबन्धों को उचित ढंग से कार्यान्वित करती हैं तो ये सब आपत्तिजनक संस्थायें बंद हो जायेंगी । मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें इस विधेयक को निष्ठापूर्वक लागू करेंगी ।

मैं अपने मित्र श्री शर्मा से इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि इस विधेयक में कुछ और सुधार किया जा सकता था । उदाहरणार्थ मैं महसूस करता हूं कि अनुज्ञा देने सम्बन्धी उपबन्ध करने का अधिकार नियमन समिति को देने के बजाये स्वयं विधेयक में सम्मिलित होना चाहिए था । मैं आशा करता हूं कि इन नियमों को बनाते समय उन बातों का ध्यान रखा जायेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये विधेयक में सम्मिलित थीं और जो इस प्रतिवेदन के खंड ९ के अन्तर्गत रखी गई हैं ।

इस संसद् की अवधि के अन्त में हम सामाजिक सुधार सम्बन्धी यह विधेयक पारित कर रहे हैं तथा मैं आशा करता हूं कि इसके पारित होने से आपत्तिजनक संस्थायें अन्तिम रूप से समाप्त हो जायेंगी । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मैं श्रीमती कमलेन्दुमति शाह और श्रीमती उमा नेहरू, श्रीमती जयश्री तथा अन्य महिलाओं को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने १९५३ में ही ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार किया था। यह एक अच्छा और उचित विधेयक है । यद्यपि मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक में कुछ ऐसी गम्भीर त्रुटियां हैं जिनसे इसकी कार्यान्विति में बाधा उत्पन्न होगी, फिर भी मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं । मैं इन त्रुटियों का संकेत विधि में सुधार करने की दृष्टि से रचनात्मक टिप्पणी के रूप में कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि संस्था की परिभाषा कदाचित उपयुक्त नहीं है । आपने संस्था की परिभाषा में 'देखभाल' (Care) का शब्द प्रयोग किया है। इस शब्द में मानसिक, नैतिक और शारीरिक देखभाल का भाव है। अतः शिक्षा संस्थायें भी इस परिभाषा में आ जाती हैं परन्तु खंड १० में आपने छात्रावासों को सम्मिलित नहीं किया है । आप शिक्षा संस्थाओं को या तो पूर्णतया छोड़ दें या पूर्णतया उन्हें सम्मिलित कर लें । यदि आप छोड़ते हैं तो शब्द 'देखभाल' परिभाषा से निकालना होगा ।

फिर, खंड ४ के परन्तुक में अनोखी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा यह अर्थ निकलता है कि पहले एक प्रार्थनापत्र दूसरा प्रार्थनापत्र देने की अनुमति के लिये दिया जायेगा । यह इस प्रकार रखा जा सकता था कि जो व्यक्ति अपनी संस्था चालू रखने की अनुज्ञा का स्वीकरण कराना चाहे वह तीन मास के भीतर प्रार्थनापत्र दे सकता है ।

खण्ड ७ का सम्बन्ध अनुज्ञा के विखडन से है । इसमें यह मान लिया गया है कि अनुज्ञा मौजूद है और यह खंड ७ में वर्णित विभिन्न कारणों से विखंडित की जा सकती है । परन्तु आपने ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कोई तत्संवादी खंड नहीं रखा है जहां किसी चालू संस्था की अनुज्ञा को नवीकृत न किया गया हो । दूसरे शब्दों में, आपको इस सम्बन्ध में भी एक खंड रखना चाहिये था कि केवल विखण्डन के मामले में ही नहीं अपितु किसी अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने पर क्या होगा क्योंकि अनुज्ञा का विखंडन तो किसी क्रियात्मक कार्यवाही से होता है, परन्तु सम्भव है कि विद्यमान अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर लागू न रहे और फिर वह संस्था भी बंद हो जानी चाहिये । यदि वह चालू रहती है तो क्या होगा ? इसका उपबन्ध नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री टेक चन्द]

फिर खंड ७ के उपखंड (३) में आपने कहा है कि अनुज्ञा विखंडित होने पर संस्था में रहने वाले व्यक्ति अपने माता-पिता, पति या वैध संरक्षक को सौंप दिये जायेंगे या दूसरी संस्था में भेज दिये जायेंगे। मेरा ख्याल है कि एक अनुमतिदायिक खंड होना चाहिये था। केवल वैध संरक्षक, पति या माता-पिता की अनुमति होने पर ही व्यक्तियों को, दूसरी संस्था में भेजने की अनुमति मिलनी चाहिये। इसी प्रकार अपीलों के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि खंड दोषयुक्त है क्योंकि आप राज्य सरकार से अपील करने की अनुमति दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको कोई उपबन्ध करना चाहिये था।

खड ९ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का, या उनके अन्तर्गत बने किसी नियम का, या किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, दंडित किया जायेगा। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। मान लीजिये कि शर्त यह है कि ऐसी प्रत्येक इमारत की तीन खिड़कियां अमुक-अमुक आकार की होनी चाहियें परन्तु वहां ऐसा नहीं है, तो क्या आप इसे दंडनीय अपराध मानेंगे अतः उपबन्ध यह होना चाहिये "कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ कर ..... का उल्लंघन करता है" दंडित किया जायेगा। अतः मेरा परामर्श है कि इसमें शब्द "जान बूझकर" होना चाहिये।

साधारणतया मैं संशोधन प्रस्तुत करता, परन्तु यह आशा करते हुए कि एक बार इसके विधि बनने के पश्चात् यथाशीघ्र ही इसके दोष दूर कर दिये जायेंगे, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री (जिला कानपुर—मध्य): सभापति महोदय, राजमाता कमलेन्दुमति शाह ने जो यह विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो आजकल दोष है उसी का यह सब परिणाम है कि हमारे बच्चे भीख मांगने निकलते हैं और हमारे लड़के और लड़कियां घरों से बाहर निकल करके इधर-उधर भीख मांगते मारे-मारे फिरते हैं और तब हम यह जो बुरी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम होता है उसकी रोकथाम करने की चेष्टा करते हैं। यह सही है कि जो बुराई सामने आये उसकी रोकथाम करने की कोशिश होनी ही चाहिये पर मेरा यह विश्वास है कि जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं होता और हमारी आर्थिक स्थिति जैसी आज है वैसी ही बनी रहती है तब तक इस तरह की बुराइयां न केवल हमारे बीच में बनी ही रहेंगी बल्कि दिनों दिन बढ़ती चली जायेंगी। इसलिये हमें मूल समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये और हमारा प्रयत्न जितनी जल्दी सम्भव हो सके सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का होना चाहिये। फिर भी आज जो बुराई हमारे सामने मौजूद है उसकी जितनी भी रोकथाम की जा सके उसको करने की कोशिश होनी चाहिये और इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

आजकल इसमें कोई शक नहीं कि वास्तव में लड़कों और लड़कियों के सुधार के नाम पर और उनकी रक्षा करने के नाम पर ऐसे आश्रम और अनाथालय खोल दिये गये हैं जिनको कि सुधारक संस्था न कह कर एक आमदनी का जरिया ही कहा जा सकता है और छोटे-छोटे बच्चों से उनकी मुसीबतों से, उनकी गरीबी से नाजायज़ फायदा उठा करके चन्द लोग भीख मंगवाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। मेरी अपनी राय तो यह है कि जहां तक हो सके सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसी संस्थाओं को निजी व्यक्तियों के हाथों में न छोड़ कर वह स्वयं इस काम को अपने हाथ में ले और अगर ऐसा होता है तो मेरा यह विश्वास है कि ज्यादा सुचारू रूप से उनका संचालन हो सकेगा।

इस मौके पर मुझे एक घटना याद आ जाती है। मैं सोवियत रूस में घूमने गया था और वहां मैंने बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीजें देखीं तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश भी पैदा हो गई कि इनके देश में कोई अनाथालय भी होता है कि नहीं और यदि होता है तो मैं देखूं कि उनमें किस तरह का प्रबन्ध होता है।

मैं एक अनाथालय को देखने के लिये गया। अनाथालय वहां पर इस तरह के नहीं होते कि ऐसे लोग जिनका कि कोई परवरिश करने वाला न हो, जिनकी दुनिया में कोई देखभाल करने वाला न हो या जो गरीबी या और किसी वजह से अनाथ हो गये हों और अनाथालयों में आ गये हों बल्कि पिछले महायुद्ध के दौरान में हजारोंआदमी रूस के मारे गये और बहुत से घराने बर्बाद हुये और बहुत से ऐसे बच्चे जो इस तरह से अनाथ हो गये थे, वे वहां पर थे और उनकी परवरिश करने के लिये जो संस्थायें वहां पर बनाई गई थीं उनको देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। जिस वक्त मैं उस संस्था में घूम रहा था, मुझे अपना देश याद आ रहा था कि हमारे यहां भी अनाथालय होते हैं। किस तरह से भीख मंगवा कर उनका इंतजाम होता है। न वहां रहने की कोई ठीक व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है न कोई अन्य व्यवस्था है। इस संस्था को देखकर मेरे दिल के ऊपर यह असर पड़ा जिस सरकार की व्यवस्था को मां-बाप की व्यवस्था कहा जाता है, वह व्यवस्था का आदर्श वहां पर था। जिन अनाथ बच्चों का दुनिया में कोई नहीं था उनके मां-बाप के रूप में सरकार वहां पर थी। बच्चों के पहनने के जूते देखिये, कपड़े देखिये, शिक्षा देखिये, उनके जीवन में उन्नति करने के, उनको शिक्षित बनाने के जितने तरीके हो सकते थे, वह मैंने वहां देखे। मैं समझता हूं कि वास्तव में सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि जो संस्थायें इस प्रकार की खोली जायें उनमें इस बात की कोशिश हो कि जो भी लड़के, औरतें और बच्चे उन संस्थाओं में आ जायें, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध ऐसा हो, उसको इस प्रकार की कोई न कोई शिक्षा दी जाये, जिससे वहां से निकल कर वह अपने जीवन को अच्छा बना सकें। केवल उन्हीं संस्थाओं के अन्दर रह कर उनको अपना जीवन यापन न करना पड़े। कहीं ऐसा न हो कि कोई संस्था उनकी तरक्की के लिये कोशिश ही न करें, जो भी संस्थायें इस तरह करेंगी वह समाज के लिये कलंक के रूप में होंगी। इसलिये आज सारी संस्थाओं का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि जो भी काम किया जाये वह उनके सुधार के लिये होना चाहिये।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं किसी के प्रति कटाक्ष करके नहीं कहता, बल्कि इसलिये कहता हूं कि जब भी कोई मसला सदन के सामने पेश होता है, जैसे पिछली दफा हुआ कि चूंकि औरतों पर अनैतिक व्यापार होता है, इसलिये जो संस्थायें उनके लिये खोली जायें उनका प्रबन्ध औरतों को मिलना चाहिये। उनके अन्दर कोशिश की जाती है कि पुरुष का हाथ न रहे। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह बात कहकर, बार-बार दोहरा कर, क्यों इस बात की कल्पना की जाती है कि औरतों की संस्थाओं का प्रबन्ध औरतों के हाथ में रहेगा तो इंतजाम अच्छा होगा। अगर पुरुषों को सौंप दिया जायेगा तो वहां बदमाशी ही बदमाशी हो जायेगी। मैं समझता हूं कि स्त्री समाज में और पुरुष समाज में, दोनों ही जगह बदमाश होते हैं। क्या औरतें ऐसी नहीं हो सकतीं जो वहां की औरतों के लिये अड्डे बनाने का काम करें। इसलिये इस चीज पर बार-बार क्यों जोर दिया जाता है? मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध चाहे औरतों को दिया जाये चाहे मर्दों को दिया जाये, जो अच्छे हों उनको देना चाहिये। अगर पुरुष अच्छे हों, तो क्यों न उनको दिया जाये? क्या वजह है कि पुरुषों को प्रबन्ध देने से खराब हो जायेगा और स्त्रियों को देने से अच्छा होगा? आज इसी बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि जो लोग अच्छे हों उनको इंतजाम दिया जाये। इस समय जो बिल हम यहां पेश करने जा रहे हैं, असली सवाल यह है कि उसका प्रबन्ध कैसा होता है। जो कानून लागू करने जा रहे हैं, उसमें देखना यह चाहिये कि उसको अच्छे ढंग से लागू किया जाये। बुराई करने वाले लोग यह महसूस कर सकें कि वास्तव में कानून सरकार ने बनाया है और वह उस पर सख्ती से अमल करेगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानून तो रोज बनते चले जाते हैं, लेकिन कानून की प्रतिष्ठा जनता के अन्दर से उठती चली जाती है। कानून बनते हैं, लेकिन उनका सुचारू रूप से संचालन नहीं होता है, जो लोग कानून को तोड़ने वाले हैं, उनको उसके कारण डर नहीं पैदा होता है। जो कानून आज बन रहा है उसको इस तरह से लाग होना चाहिये

[श्री राजा राम शास्त्री]

कि जो लोग ऐसी संस्थाओं में रखे जायें, उनकी उन्नति हो सके और जो कानून कायदों को तोड़ने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाये ।

मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं ।

†**श्री पाटस्कर** : यह एक अच्छी सामाजिक विधि है तथा मैं इस विधेयक की माननीय प्रस्तुतकर्ता को सभा और जनता का ध्यान ऐसे सामाजिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करने के लिये बधाई देता हूं । मेरा ख्याल है कि विधेयक पर प्रवर समिति में पूर्ण चर्चा हो चुकी है । मैं जानता हूं कि कुछ अभावों का उल्लेख किया गया है परन्तु मेरा ख्याल है कि यह उन पर विचार करने का समय नहीं है । उन पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

जहां तक हम देख सकते हैं, इस पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था और जो भी किया जा सकता था किया गया है । निस्सन्देह यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है । स्त्रियों व बालकों की देखरेख का काम करने के लिये हमें ऐसी संस्थाओं को काम नहीं करने देना चाहिये जिन्हें अनुज्ञा प्राप्त न हो । मेरा ख्याल है कि यह विधेयक एक सामाजिक बुराई दूर करने का उचित प्रयत्न करता है ।

मैं जानता हूं कि कुछ सदस्य चाहेंगे कि इस विधेयक में और अधिक बातों के सम्बन्ध में उपबन्ध हों । परन्तु जहां तक इस संसद् की शक्तियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते । मुझे विश्वास है कि महिला तथा बाल संस्थाओं पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । यदि इतने महत्व की कोई सामाजिक विधि किसी गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्तुत करने पर पारित हो जाती है तो गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही के लिये नियत समय का यह सर्वोत्तम प्रयोग है । मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि स्त्रियों तथा बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को विनियमन और अनुज्ञापन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : अब हम खंडवार विचार करेंगे । कोई संशोधन नहीं है । यदि कोई सदस्य किसी विशिष्ट खंड को सभा के मतदान के लिये पृथक् रखना चाहें तो मैं ऐसा करूंगा । अन्यथा मैं सारे खंडों को एक साथ रखूंगा और फिर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"खंड २ से १२ तक विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से १२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रीमान्, मुझे सरकार का और सदन के सदस्यों का धन्यवाद देना है, साथ ही अपने भाइयों और बहनों को भी धन्यवाद देना है, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि यह बिल मैं सदन के सम्मुख लाऊं। वास्तव में भले ही मुझे इसको लाने का श्रेय दिया गया हो, लेकिन इसका श्रेय पूरा मुझ को ही नहीं है। हमारी कई बहनों ने इस विधेयक को सन् १९५३ में रखा था, मैंने स्वयं ने भी नोटिस दिया था, और मेरा नाम आ गया। मैं इसके लिये सरकार का भी धन्यवाद करती हूं कि सरकार ने इसको माना है। मैं सदन से केवल इतनी ही प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह इस बिल को स्वीकार करे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार स्त्रियों तथा बच्चों की इस प्रकार की संस्थाओं के लिये एक पर्यवेक्षक संस्था बनाये जो कि उन सभी संस्थाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखे। वास्तव में कारण यह है कि इस समय देश में जितने भी अनाथालय तथा महिला-आश्रम हैं, उनमें से अधिकांश की अवस्था शोचनीय है, उनकी वित्तीय अवस्था बहुत खराब है। इसलिये यदि उन संस्थाओं की वित्तीय सहायता न की गयी तो इनकी दशा कदापि न सुधर सकेगी और न ही इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

इन संस्थाओं के बच्चे और स्त्रियां कई बार भिखारी बन जाते हैं जिससे उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार एक पर्यवेक्षक संस्था बनाये जो इनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करे।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम): सभापति महोदय, यह जो विमन एंड चिल्डरन्स इंस्टीट्यूशंस लाइसेंसिंग बिल (स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक) इस सदन में पेश किया गया है, इसका म स्वागत करता हूं। इस बिल को वक्त की मांग को देखते हुए ही उपस्थित किया गया है। आज तक ज्यादातर इस तरह की संस्थाओं को चलाने का काम आर्य समाज ने ही हाथ में लिया था। दयानन्द सरस्वती ने जब यह देखा कि बच्चे दर-दर फिरते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तथा निस्सहाय स्त्रियों को शरण देने वाला कोई नहीं है तो उन्होंने अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों की स्थापना की। शुरू-शुरू में इन संस्थाओं में बहुत अच्छा काम होता था लेकिन ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया त्यों-त्यों स्वार्थी लोग इन संस्थाओं में घुसते गये और उन्होंने इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग यहां तक शुरू हो गया कि जिन स्त्रियों को यहां आश्रय देने के लिये लाया जाता था उनको बेचा जाने लग गया और कई दूसरी किस्म के पाप होने शुरू हो गये। बच्चों को भी यहां पर बेचा जाने लगा। ऐसी स्थिति में यह जरूरत महसूस हुई कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे और इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिये तथा यह देखने के लिये कि इन संस्थाओं में काम ठीक प्रकार से होता है या नहीं, इस बिल को उपस्थित किया गया है। लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि सरकार अपनी तरफ से आदर्श संस्थायें खोले और दूसरों के लिये एक आदर्श रखे। इसलिये यह आवश्यक है कि हर एक स्टेट को कम से कम एक-एक अनाथालय और एक-एक विधवा आश्रम स्थापित करना चाहिये जो कि दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं का मार्गदर्शक हो। मैं केन्द्रीय गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह हर स्टेट में कम से कम एक आदर्श संस्था स्थापित करावे।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।

पंजाब प्रदेश में अम्बाला जिले में कालका लाइन पर पंचकूला जैन गुरुकुल है। यहां पर पंजाब सरकार द्वारा कोई ७०० बच्चों को शिक्षा देने का इंतिजाम किया गया है। ये वे बच्चे हैं जो कि आवारा फिरा करते

†मूल अंग्रेजी में।

[सेठ अचल सिंह]

थे और बुरे कामों में फंसे हुए थे । ये वे बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान से आये हैं। इस संस्था को ३० रुपया प्रति बच्चा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और इनका यहीं पर खाने पीने का, पढ़ने का तथा दस्तकारी सिखाने का इंतिजाम है । इस संस्था को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैंने इसको देखा है और मैंने इस संस्था के प्रिंसिपल से बात भी की है और उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़के जो बुरे कामों में फंसे हुए थे, जुवारी व बदचलन थे, अब रास्ते पर आ गये हैं और ये आदर्श नागरिक बन कर इस संस्था में से निकलेंगे । तो मेरा विचार है कि अगर सरकार इस तरह की एक-एक संस्था हर एक स्टेट में अपने हाथ में रखे तो बहुत कुछ हो सकता है ।

बहरहाल यह जो बिल है और यह जिन संस्थाओं पर लागू होगा वहां पर आज जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने में यह मदद करेगा । आज मैं देखता हूं कि हमारे देश में बहुत थोड़ी संस्थायें ऐसी हैं जो आदर्श काम कर रही हैं । मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग आफिसर्स (अनुज्ञापक पदाधिकारियों) ने तथा इंस्पेक्टर्स ने ठीक काम किया तो आज जो बुराइयां वहां देखने को मिलती हैं वे दिखाई नहीं देंगी और साथ ही साथ जो आज अनाथ बच्चे आवारा घूमते नजर आते हैं वे भी रास्ते पर आ जायेंगे और जब वे इन संस्थाओं से बाहर निकलेंगे तो आदर्श नागरिक बनकर निकलेंगे । यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अनाथ बच्चों की तथा निस्सहाय स्त्रियों की देख भाल करे ताकि वे अच्छे नागरिक साबित हों और जो पाप हो रहा है या जो बुराइयां हमारी समाज में घुस आई हैं उनका अन्त हो ।

†**श्री पाटस्कर** : यह सुझाव दिया गया है कि सरकार भी इस प्रकार की संस्थायें प्रारम्भ करे । निस्सन्देह राज्य सरकारें अब इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगी क्योंकि हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि संवैधानिक औचित्य के आधार पर तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी स्त्रियों तथा बच्चों के लिये इस प्रकार के आश्रम स्थापित करना राज्य सरकारों का ही काम है । परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि हम ऐसी सामान्य विधि बना दें जिसमें इस प्रकार की संस्थायें चलाने की एक नियमित व्यवस्था हो । अब आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की संस्थाओं को अनुज्ञापित कर दिया जाये । और उसी दृष्टि से माननीय स्त्री सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का सरकार समर्थन करती है ।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि इससे निराश्रित स्त्रियों तथा बच्चों की समस्या पूर्णरूपेण हल हो जायेगी । उसे तो वास्तव में राज्य सरकारें ही अपने प्रयत्नों से हल करेंगी । कई राज्यों में इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है । कई एक संस्थायें तो बहुत अच्छी हैं जो कि दान के नाम पर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं । परन्तु कई संस्थायें ऐसी भी हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रही हैं । इसीलिये यह उचित समझा गया कि इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये । इससे उन संस्थाओं पर, जो कि दान के नाम पर कई लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, एक प्रकार का नियंत्रण रहेगा । हम जानते हैं कि ऐसी कई संस्थायें हैं जिनके स्वामी कई बच्चों को इकट्ठे कर लेते हैं और उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों से भीख मंगवा कर अपने लिये धन इकट्ठा करवाते हैं । और उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा अंश उन बच्चों को देते हैं । मैं नहीं समझता हूं कि इससे उन बच्चों का कोई अच्छे प्रकार से पालन-पोषण हो सकता है ।

हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्हें आश्रय तथा सुरक्षा की आवश्यकता है । यदि कोई इस प्रकार की विधि न हुई तो पापी लोग उस संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकेंगे । माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बतलाया है कि इस प्रकार की कई घटनायें हो चुकी हैं । इससे यद्यपि निराश्रित स्त्रियों तथा बच्चों की समस्या पूर्णरूपेण तो हल नहीं होगी तो भी इससे वर्तमान संस्थाओं पर, जो कि गन्दे रूप में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

चल रही हैं, नियंत्रण रखा जा सकेगा। भारत में दान सुगमता से मिल जाता है और इनमें से अधिकांश संस्थायें दानी लोगों से प्राप्त दान के बल पर ही चल रही हैं। यह विधान इन आश्रमों के कार्य संचालन को नियमित कर देगा।

जहां तक वित्तीय प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें भी उन्हें अवश्य सहायता देंगी। हमारे लिये यह संभव नहीं है कि हम इस विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध रख दें जिसके अनुसार राज्य सरकार कोई विशेष राशि प्रदान करे। मैं समझता हूं कि यह विधान उचित मार्ग पर एक ऐसा कदम है जिससे अन्त में यह समस्या हल हो जायेगी। अन्य सदस्यों के समान मैं भी माननीया स्त्री सदस्य को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना महान विधेयक प्रस्तुत किया है। सभा की स्त्री सदस्यों को इस बात का श्रेय है कि वे स्त्रियों और बच्चों की भलाई में इतनी रुचि ले रही हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। मुझे हर्ष है कि यह विधेयक सभा द्वारा पारित किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि यह विधेयक इस प्रकार की संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी पूरी सहायता करेगा। बहुत से बुरे कर्म दान के नाम पर किये जाते हैं और हमें उन्हें रोकना है। मैं समझता हूं कि इसके बाद इस प्रकार के धन का सदुपयोग होगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्ननूर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर परिवहन श्रमिकों की स्थिति का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इस सम्बन्ध में मेरा एक औचित्य प्रश्न है और वह यह है यह एक वित्त-विधेयक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इसके लिये राष्ट्रपति से अभी तक अनुमति नहीं ली है और न ही उसके लिये प्रार्थना की है। अतः उस पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही इसे पारित किया जा सकता है। अतः इस पर विचार करके सभा का समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : एक अन्य विधेयक, मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक, १९५६, सभा में पहले प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के खण्ड लगभग वही हैं जैसे कि उस विधेयक के थे। और क्योंकि उस समय कोई आपत्ति नहीं की गयी थी, अतः अब भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसके खण्ड उसके खण्डों के समान ही हैं। उस समय तो माननीय उपमंत्री ने उस विधेयक की भावना को स्वीकार करते हुए यह आश्वासन दिया था कि वे इस प्रकार का एक विधेयक स्वयं प्रस्तुत करेंगे जिसमें ये सभी बातें निहित होंगी।

उस समय हमारे उस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं की गयी थी अपितु उपमंत्री महोदय ने यह बताया था कि वे तो इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने पर पहले ही विचार कर रहे थे। उस विधेयक को प्रस्तुत करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने यह भी बताया था कि उसमें मोटर परिवहन के श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाली सभी सुविधायें निहित होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० क० गोपालन]

अतः जहां तक मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक का सम्बन्ध है, वह तो एक प्रकार से सभा में प्रस्तुत हो चुका है। जब उस समय उस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी, तो इस समय आपत्ति क्यों की जा रही है? और दूसरी बात यह है कि उस समय मंत्री जी ने इस प्रकार के विधेयक का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिये मैंने सोचा कि संसद् के इस अन्तिम सत्र में यह अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति से अनुमति ले ली है?

†**श्री अ० क० गोपालन** : इस विधेयक की धारायें बिल्कुल उसी विधेयक की धाराओं के समान हैं। और उस समय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वे स्वयं एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसमें ये सभी धारायें होंगी।

†**सभापति महोदय** : ये सभी बातें फालतू हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है और क्या संविधान का अनुच्छेद ११७ (३) इसकी अनुमति देता है। प्रस्तुत विधेयक का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें भारत की संचित निधि से धन लगाना पड़ेगा। अतः इसके लिये जब तक राष्ट्रपति से अनुमति न ली जाये, उसे पारित नहीं किया जा सकता।

अतः इस समय हमारे सम्मुख दो ही मार्ग हैं। या तो यह है कि माननीय सदस्य इसके लिये राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करें, या यह कि इस विधेयक में से वे उपबन्ध निकाल दिये जायें जिन पर अनुच्छेद ११७ (३) लागू हो सकता है। अतः यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा अवश्य की जाये, तो वह इस प्रकार के उपबन्ध निकाल दें जो कि भारत की संचित निधि से धन की अपेक्षा करते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जहां तक संघ क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उन पर तो बहुत कम धन खर्च होगा। अतः इस विधेयक के पास करने पर बहुत अधिक धन नहीं खर्च करना पड़ेगा।

और जहां तक गैर-सरकारी मोटर परिवहन का सम्बन्ध है, उस पर सरकार द्वारा धन खर्च करने का प्रश्न ही नहीं। अतः अभी केवल इसी पक्ष पर विचार कर लिया जाये।

†**श्री आबिद अली** : श्री गोपालन ने जो कुछ कहा है उसक सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच है कि पिछली बार मैंने यह आश्वासन दिया था कि हम स्वयं इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात के लिये अनुरोध करते हैं कि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय किया जाये।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हाल ही में स्थायी श्रम समिति की एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें इस बारे में बात की गयी थी और कई सिफारिशें दी गयी थीं। वे सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी कारण से यह देरी हो गयी है, परन्तु यह सारा कार्य विपक्ष के सदस्यों की इच्छानुसार ही किया गया था।

मैं आपको फिर से आश्वासन देता हूं कि हम स्वयं एक संशोधन विधेयक शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने के अत्यधिक उत्सुक हैं। अतः इस आश्वासन से माननीय सदस्य को संतोष मानना चाहिये। बड़े खेद की बात है कि गत बार भी मैंने जब आश्वासन दिया था, माननीय सदस्य ने उसे स्वीकार नहीं किया था।

†**सभापति महोदय** : स्थिति स्पष्ट है कि सरकार अपना वचन पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। तो भी जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यदि इसके लिये राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाय तो इस पर

---

†मूल अंग्रेजी में।

भी विचार किया जा सकता है, अथवा यदि श्री गोपालन हमें यह वचन दें कि इस विधेयक को केवल गैर-सरकारी परिवहन तक ही सीमित रखा जायेगा, तो भी हम उस पर विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्य के सामने दोनों मार्ग हैं जैसे उनकी इच्छा है वे कर सकते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं इस विधेयक को केवल गैर-सरकारी परिवहन तक ही सीमित रखूंगा। अतः उस आधार पर मुझे अनुमति दी जाये।

†**सभापति महोदय** : अगल दिन वह सभा को यह वचन दें, और यदि सभा ने वह वचन स्वीकार कर लिया तो वह उस पर चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : सभापति महोदय, मेरा भी एक बिल मूव (प्रस्तुत) करने के लिये है, मुझे भी आधे मिनट का समय दे दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : यह विधेयक समाप्त नहीं हुआ है। अतः मैं अगला विधेयक प्रारम्भ नहीं कर सकता। अब सभा कल ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३९० दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५५५ से २५६३, दिनांक १० नवम्बर, १९५६ ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) टाटा लोकोमोटिव तथा इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, १९५६ द्वारा तैयार किये गये रेलवे इंजनों तथा बायलरों के मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(२) भारी उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या इंग-इंड १७ (१७)/५६ दिनांक २३ नवम्बर, १९५६ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचरी) ने १९५६–५७ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण उपस्थित किया ।

राज्य सभा से सन्देश ७८२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त हुए इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने ५ दिसम्बर, १९५६ की हुई अपनी बैठक में, हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक, १९५६ को, जिसे लोक-सभा ने २१ नवम्बर, १९५६ को पारित किया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ... ७८२

चवालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ

पुरःस्थापित किया गया विधेयक ७८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

विचाराधीन विधेयक ७८४–८०१

वित्त (संख्या २) विधयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ८०१–०२

पैंसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित किया गया ... ८०२

श्री अ० क० गोपालन का बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक

पारित किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक ८०२–२३

निम्न विधेयकों पर विचार किया गया तथा वे पारित किये गये :

(१) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान का अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक।

(२) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १० का संशोधन)।

(३) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में श्रीमती कमलेन्दुमति शाह का स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक।

गैर-सरकारी सदस्य का विचाराधीन विधेयक ८२३–२५

श्री अ० क० गोपालन ने प्रस्ताव रखा कि मोटर परिवहन श्रमिक विधयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६ की कार्यवाही—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में बाट तथा माप प्रमापीकरण विधेयक और सड़क परिवहन निगमें (संशोधन) विधेयक और कमचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उन्हें पारित करना।

———

M47LSD—190—8-4-58—GIPF